

रजिस्टर्ड नं० HP / 13 / SML@2007.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 26 सितम्बर, 2007/4 आश्विन, 1929

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 002, 25 सितम्बर, 2007

संख्या : एल० एल० आर०-डी०(६)-९/२००७-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 21-09-2007 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश पुलिस विधेयक, 2007 (2007 का विधेयक संख्यांक 8) को वर्ष 2007 के

अधिनियम संख्यांक 17 के रूप में सविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
(जे० एन० बारोवालिया),
प्रधान सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007**धाराओं का क्रम****धारा :****अध्याय-1****प्रारम्भिक**

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार ।
2. परिभाषाएं ।

अध्याय-2**राज्य पुलिस सेवा का गठन और संगठन**

3. राज्य के लिए एक पुलिस सेवा ।
4. राज्य पुलिस सेवा का गठन और संरचना ।
5. पुलिस महानिदेशक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति ।
6. पुलिस महानिदेशक के चयन की पद्धति और कार्यकाल ।
7. विधि सलाहकार और वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति ।
8. पुलिस परिक्षेत्रों (जोनज) और रेंजों का सृजन ।
9. पुलिस जिले ।
10. जिला स्तरीय विशेष प्रकोष्ठों और उप-मण्डलों का सृजन ।
11. पुलिस थाने ।
12. पुलिस कृत्यकारियों की पदावधि ।
13. अध्यारोही लोक महत्व के मामलों में समन्वय ।
14. सामान्य प्रशासन ।
15. रेलवे पुलिस ।
16. राज्य अन्वेषण और गुप्तचर विभाग ।
17. तकनीकी और समर्थक सेवाएं संगठन ।

18. राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी के निदेशक और पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की नियुक्ति।
19. विशेष पुलिस अधिकारी।
20. अतिरिक्त पुलिस की तैनाती (अभिनियोजन)।
21. अभिलेखों और विवरणियों का रख-रखाव।
22. अनुसंधान और विकास।

अध्याय-3

सिविल पुलिस: नियन्त्रण, कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व

23. भर्ती।
24. प्रथम नियुक्ति पर शपथ या प्रतिज्ञान।
25. नियुक्ति का प्रमाण पत्र।
26. रैंक की वर्दी और बैज।
27. आयुध (शस्त्र) और गोला बारूद का मापमान (स्केल)।
28. नियन्त्रण और पर्यवेक्षण।
29. आचरण और अनुशासन।
30. अश्वारोही पुलिस।

अध्याय-4

सशस्त्र पुलिस

31. जिला सशस्त्र रिजर्व और राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियनों।
32. भूमिका और कृत्य।
33. सशस्त्र पुलिस संगठन की संरचना।
34. बटालियनों और सशस्त्र रिजर्वों के बीच चक्रानुक्रम (रोटेशन)।
35. प्रथम नियुक्ति पर शपथ या प्रतिज्ञान।
36. नियुक्ति का प्रमाणपत्र।

37. रैंक की वर्दी और बैज ।
38. आचरण और अनुशासन ।
39. प्रशिक्षण ।
40. तैनाती (अभिनियोजन) ।
41. आयुध (शस्त्र), उपस्कर, गतिशीलता (मोबिलिटी), संसूचना आदि ।
42. वार्षिक रिपोर्ट ।

अध्याय-5

प्रशासन और अधीक्षण

43. पुलिस का प्रशासन ।
44. महानिदेशक की शक्तियां और उत्तरदायित्व ।
45. राज्य सरकार में राज्य पुलिस के अधीक्षण का निहित होना ।
46. राज्य पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) योजनाएं (प्लान), पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) के उद्देश्य और प्राथमिकताएं ।
47. पुलिस के कार्य मूल्यांकन हेतु क्रियाविधि (मेकॅनिज्म) ।
48. राज्य पुलिस बोर्ड की स्थापना ।
49. बोर्ड की संरचना ।
50. गैर सरकारी सदस्यों के चयन के लिए पैनल (नामिका) ।
51. निरर्हताएं ।
52. गैर सरकारी सदस्यों की पदावधि और पारिश्रमिक ।
53. राज्य पुलिस बोर्ड के कृत्य ।
54. कारबार का संव्यवहार ।
55. बोर्ड के कामकाज पर वार्षिक रिपोर्ट ।
56. पुलिस स्थापना समितियां ।
57. पुलिस गजट ।
58. वित्तीय प्रबन्धन ।
59. सराहनीय सेवा को मान्यता ।

अध्याय-6

पुलिस की भूमिका, कृत्य, कर्तव्य और उत्तरदायित्व

60. पुलिस की भूमिका और कृत्य।
61. पुलिस के सामाजिक उत्तरदायित्व।
62. पुलिस सेवा के कर्तव्य।
63. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी किसी अधीनस्थ अधिकारी के कर्तव्यों का पालन स्वयं कर सकेगा।
64. सभी व्यक्ति पुलिस अधिकारी के युक्तियुक्त निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।
65. गिरफ्तारी और निरुद्ध करना।
66. पुलिस अधिकारियों के लिए प्रतिषिद्ध आचरण।

अध्याय-7

ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस तैनाती (पोलिसिंग)

67. ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस सेवाएं।
68. हलका (बीट) अधिकारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व।
69. ग्राम पंचायत को सहायता।
70. पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी और पर्यवेक्षण पुलिस अधिकारियों द्वारा ग्राम के दौरे।
71. परामर्शात्मक क्रियाविधि (मेकॅनिज्म)।

अध्याय-8

शहरी क्षेत्रों में पुलिस तैनाती (पोलिसिंग)

72. शहरी पुलिस जिलों, उपमण्डलों और पुलिस थानों का गठन।
73. शहरी क्षेत्रों में पुलिस के कर्तव्य और उत्तरदायित्व।

अध्याय-9**लोक व्यवस्था और आन्तरिक सुरक्षा**

74. लोक व्यवस्था, आन्तरिक सुरक्षा और आपदा प्रबन्धन।
75. विशेष सुरक्षा परिक्षेत्रों (जोनज) की घोषणा।
76. विशेष सुरक्षा परिक्षेत्रों (जोनज) का प्रशासन।

अध्याय-10**आपराधिक अन्वेषण**

77. अपराध की रिपोर्टिंग और रजिस्ट्रीकरण।
78. जिला पुलिस द्वारा अन्वेषण।
79. उप-मण्डल पुलिस अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण।
80. जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा पर्यवेक्षण।
81. अन्य अपराधों का अन्वेषण।
82. राज्य गुप्तचर विभाग (स्टेट सी.आई.डी.)।
83. न्याय सम्बन्धी (फॉरेनसिकज)।
84. अपराध और फॉरेनसिक डाटा बैंकों का रख-रखाव।
85. गोपनीयता और उचित अन्वेषण के लिए आदरभाव।

अध्याय-11**विनियमन, नियन्त्रण और अनुशासन**

86. कतिपय पद्धतियों का प्रतिषेध।
87. पुलिस अधिकारी द्वारा अनुशासन भंग और अनुशासनिक अवचार।
88. अनुशासनिक शास्तियां।
89. निलम्बन।
90. दण्ड के आदेशों की अपील।
91. पुलिस अधिकारियों के लिए अलग से नियम।

92. पुलिस अधिकारियों का सदैव कर्त्तव्य पर होना।

अध्याय-12

पुलिस की जवाबदारी

93. राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण।
94. जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण।
95. जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की संरचना।
96. जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कृत्य।
97. जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की रिपोर्ट।
98. शिकायतकर्ता के अधिकार।
99. पुलिस और राज्य के अन्य अभिकरणों के कर्त्तव्य।
100. राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण या जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप करने का वर्जन।
101. राज्य पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा अनुपालन संपरीक्षा (परफारमेन्स आडिट)।
102. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।
103. निधि सुलभ कराना (फंडिंग)।

अध्याय-13

कल्याण और शिकायत प्रतितोष क्रियाविधि (मेकॅनिज्म)

104. कैरियर प्रगति।
105. कल्याण समिति।
106. जोखिम राशि (बीमा कवरेज), अस्पताल आदि।
107. शिकायत प्रतितोष।
108. काम के घण्टे।

अध्याय—14**अपराध, शास्तियां और शक्तियां**

109. सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों का विनियमन।
110. विहित शर्तों का अतिक्रमण करने वाली सभाएं और जुलूस।
111. सार्वजनिक सड़कों पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए निदेश।
112. सार्वजनिक स्थानों को आरक्षित करने तथा बैरियर स्थापित करने की शक्ति।
113. सार्वजनिक स्थानों में और इनके निकट संगीत तथा अन्य ध्वनि प्रणाली (साउन्ड सिस्टमज) के प्रयोग का विनियमन।
114. सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर कतिपय अपराधों की बाबत पुलिस अधिकारियों की शक्तियां।
115. आदेशों या निदेशों की अवज्ञा के लिए शास्ति।
116. जिला के मजिस्ट्रेट के नियन्त्रण की व्यावृत्ति।
117. पुलिस अधिकारी का, अदावाकृत सम्पत्ति को अपने भारसाधन में लेना।
118. पुलिस के कार्य में बाधा डालना।
119. पुलिस वर्दी का अप्राधिकृत प्रयोग।
120. पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रमाणपत्र आदि अभ्यर्पित करने से इन्कार।
121. मिथ्या या भ्रामक कथन करना।
122. गिरफ्तारी, तलाशी, अभिग्रहण और हिंसा।
123. यह अभिवचन कि कार्य वारंट के अधीन किया था।
124. पुलिस अधिकारियों का अभियोजन।
125. अन्य विधियों के अधीन अपराधों के लिए अभियोजन।
126. कतिपय मामलों का संक्षिप्त निपटारा।
127. शास्तियों और जुर्मानों की वसूली।
128. परिसीमा।
129. निदेशों और सार्वजनिक सूचनाओं को प्रकाशित करने के लिए प्रक्रिया।

अध्याय—15**प्रकीर्ण**

130. फीस और पुरस्कारों का निपटारा।

131. आदेशों और अधिसूचनाओं को साबित करने का ढंग।
132. नियमों और आदेशों की विधिमान्यता।
133. रिक्तियों के प्रभार रखने वाले या उनके उत्तरवर्ती अधिकारियों का शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम होना।
134. अनुज्ञप्तियां और शर्तें विनिर्दिष्ट करने की लिखित अनुज्ञा।
135. अनुज्ञप्तियों का प्रतिसंहरण और इसके परिणाम।
136. सार्वजनिक सूचनाएं (नोटिस) कैसे दी जाएंगी।
137. सक्षम प्राधिकारी की सहमति उसके हस्ताक्षर से लिखित दस्तावेज द्वारा साबित की जा सकेगी।
138. सूचनाओं (नोटिसों) पर हस्ताक्षर स्टाम्पित हो सकेंगे।
139. कठिनाई दूर करने की शक्ति।
140. व्यथित व्यक्ति, किसी भी नियम या आदेश को बातिल (निष्प्रभाव) करने, उलटने या परिवर्तित करने के लिए राज्य सरकार को आवेदन कर सकेगा।
141. नियम बनाने की शक्ति।
142. विनियम बनाने की शक्ति।
143. स्थायी आदेश जारी करने की शक्ति।
144. निरसन और व्यावृत्तियां।
145. 2007 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 1 का निरसन और व्यावृत्तियां।

अनुसूचियां।

हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 21 सितम्बर, 2007 को
यथाअनुमोदित)

पुलिस की स्थापना और प्रबन्धन से सम्बन्धित विधि को समेकित और संशोधित करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम।

राष्ट्र की आधारभूत निष्ठा विधि सम्मत शासन के प्राधान्य तथा पुलिस में है जो विधि के संरक्षकों के रूप में विधि सम्मत शासन की अभिवृद्धि अवश्यम्भावी करे और मानव अधिकारों के लिए सम्यक् सम्मान के साथ-साथ राज्य और राष्ट्र की सुरक्षा को सम्यक् महत्व देते हुए लोगों को निष्पक्ष और दक्षतापूर्ण सेवा प्रदान करें;

पुलिस को व्यावसायिक (पेशेवर) रूप से संगठित करने तथा बाहरी प्रभावों से मुक्त रखने की आवश्यकता है ताकि इसे नागरिकों द्वारा सम्मान दिया जाए और विधि के लिए इसकी जवाबदारी हो;

पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) की उभरती चुनौतियों और राज्य की सुरक्षा के लिए सम्बद्धता के साथ-साथ बेहतर शासन सुनिश्चित करने और मानव अधिकारों को सम्मान देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पुलिस की भूमिका, कर्तव्यों और दायित्वों को स्पष्टतः परिभाषित करना समीचीन है;

पुलिस को व्यावसायिक रूप से दक्ष, प्रभावी और जिम्मेदार अभिकरण की हैसियत से कार्य करने के लिए समर्थ बनाने हेतु समुचित रूप से सशक्त करना आवश्यक है;

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

l f{klr uke]
i kj EHK vKj
foLrkjA

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 है।

(2) यह 16 जुलाई, 2007 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल राज्य पर है।

i fjHk'kk, A

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 अभिप्रेत है;

(ख) "पशु" के अन्तर्गत गाएं, भैंसे, ऊंट, घोड़े, गधे, खच्चर, भेड़ें, बकरियां और सुअर हैं;

(ग) "आयुक्त" से राजस्व मण्डल का मण्डल आयुक्त अभिप्रेत है;

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" से, यथास्थिति, इस अधिनियम या केन्द्रीय सरकार के लागू नियमों के अधीन विहित किया जाने वाला प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) "आपराधिक अवचार" से ऐसा अवचार अभिप्रेत है जो प्रवृत्त किसी दंड विधि के अधीन अपराध है;

(च) "जिला" या "राजस्व जिला" से हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के उपबन्धों के अधीन गठित जिला अभिप्रेत है;

(छ) "निधि" से इस अधिनियम की धारा 130 के अधीन स्थापित निधि अभिप्रेत है;

- (ज) "राजपत्रित पुलिस अधिकारी" से सहायक पुलिस अधीक्षक या उप-पुलिस अधीक्षक या इसके ऊपर की पंक्ति का पुलिस अधिकारी अभिप्रेत है;
- (झ) "विद्रोह" से राज्य या राष्ट्र के विरुद्ध राजनैतिक उद्देश्य से जनसंख्या के समूह या वर्ग द्वारा सशस्त्र संघर्ष (लड़ाई) करना है, जिसके अन्तर्गत भारत के राज्यक्षेत्र से राज्य के किसी भाग का पृथक्करण भी है;
- (ञ) "आंतरिक सुरक्षा" से राज्य की एकता और अखण्डता का राष्ट्रविरोधी ताकतों से परिरक्षण अभिप्रेत है;
- (ट) "विपक्षी नेता" से विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा इस रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति अभिप्रेत है और मान्यता प्राप्त विपक्षी नेता न होने की दशा में एकल बड़े विपक्षी समूह के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति इसके अन्तर्गत है;
- (ठ) "युयुत्सु (मिलिटेन्ट) क्रियाकलाप" के अन्तर्गत राजनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विस्फोटकों, ज्वलनशील पदार्थों, अग्न्यायुधों या अन्य प्राणहर्षक हथियारों या परिसंकटमय पदार्थों का प्रयोग करने वाले समूह का कोई हिंसात्मक क्रियाकलाप है;
- (ड) "मजिस्ट्रेट" से जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 20 के अधीन नियुक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उप-मण्डल मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति भी है;
- (ढ) "अवचार" से पुलिस अधिकारी का ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है जो इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रतिषिद्ध है या इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट आचरण के स्तर के अनुसार नहीं है या इस अधिनियम के अधीन पुलिस

अधिकारी को दी गई भूमिका, कृत्यों या उत्तरदायित्वों के अनुसार नहीं है;

- (ण) "अधिसूचना" से उचित प्राधिकार के अधीन राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;
- (त) "अराजपत्रित पुलिस अधिकारी" से इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन नियुक्त ग्रेड-I या ग्रेड-II का अराजपत्रित पुलिस अधिकारी अभिप्रेत है;
- (थ) "अपराध" से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दण्डनीय बनाया गया कोई कार्य या लोप अभिप्रेत है;
- (द) "राजपत्र" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;
- (ध) "संगठित अपराध" से विधिविरुद्ध अभिलाभ के सामान्य आशय के अनुसरण में व्यक्तियों के समूह द्वारा किया गया अपराध अभिप्रेत है;
- (न) "लोक आमोद या लोक मनोरंजन के स्थान" से ऐसे सार्वजनिक स्थान अभिप्रेत हैं जो राज्य सरकार द्वारा लोक आमोद या लोक मनोरंजन के स्थान घोषित किए जाएं;
- (प) "पुलिस जिला" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे अधिनियम की धारा 9 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा पुलिस जिला घोषित किया जाए;
- (फ) "पुलिस अधिकारी" से राज्य के लिए पुलिस सेवा का कोई भी सदस्य अभिप्रेत है;
- (ब) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

- (भ) "पुलिस संगठन" से इस अधिनियम के अधीन गठित राज्य पुलिस सेवा के विभिन्न विंग (स्कन्ध) अभिप्रेत हैं;
- (म) "सार्वजनिक स्थान" से ऐसा स्थान अभिप्रेत है जिसमें लोगों (जनता) की, संदाय पर या निःशुल्क पहुंच है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं—
- (i) सार्वजनिक भवन, मण्डियां, रेलगाड़ियां, बसें और संस्मारक तथा उनकी प्रसीमा;
- (ii) कोई स्थान जिसमें लोगों (जनता) की, पानी लेने, नहाने या धोने या आमोद-प्रमोद के प्रयोजनों के लिए पहुंच है; और
- (iii) ऐसे अन्य स्थान जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं;
- (य) "रेंज या पुलिस रेंज" से इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन सृजित रेंज अभिप्रेत है;
- (य क) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;
- (य ख) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं;
- (य ग) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
- (य घ) "सेवा कम्पनियों" से राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियनों और जिला सशस्त्र रिजर्व की यूनिटें अभिप्रेत हैं जो सिविल पुलिस की सहायता के लिए विधि और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात की गई हैं;

- (य ड) "सेवा या पुलिस सेवा" से इस अधिनियम के अधीन गठित पुलिस सेवा अभिप्रेत है;
- (य च) "स्थायी आदेश" से पुलिस महानिदेशक द्वारा इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुरूप जारी विशेष या साधारण आदेश अभिप्रेत है;
- (य छ) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;
- (य ज) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है; और
- (य झ) "आंतकवादी क्रियाकलाप" से समाज में या उसके किसी वर्ग में आंतकवाद फैलाने के उद्देश्य से या विधि द्वारा स्थापित सरकार को आंतकित करने के आशय से विस्फोटकों या ज्वलनशील पदार्थों या अग्न्यायुधों या अन्य प्राणहर हथियारों या अपायकर गैसों या अन्य रसायनों या परिसंकटमय प्रकृति के अन्य पदार्थों का प्रयोग करने या प्रयोग करने की धमकी देने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का कोई क्रियाकलाप (गतिविधि) अभिप्रेत है।
- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु विनिर्दिष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो साधारण खण्ड अधिनियम, 1897, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में उनके हैं।

अध्याय-2

राज्य पुलिस सेवा का गठन और संगठन

3. (1) राज्य के लिए 'हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा' के नाम से एक पुलिस सेवा होगी और ऐसी सेवा के सदस्य सशस्त्र पुलिस या किसी भी अन्य विशिष्ट विंग सहित सेवा की किसी भी शाखा (ब्रांच) में तैनाती (पोस्टिंग) के लिए दायी होंगे।

(2) पूरे राज्य में पुलिस का अधीक्षण राज्य सरकार में निहित होगा और इसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जैसा

प्राधिकृत हो उसके सिवाय, कोई भी व्यक्ति, अधिकारी या न्यायालय या किसी पुलिस कर्मचारी को अतिष्ठित या नियंत्रित करने के लिए सशक्त नहीं होगा या राज्य सरकार द्वारा सशक्त नहीं किया जाएगा।

(3) पुलिस अधिकारी सभी समयों पर विधि के लिए जवाबदार होंगे और लोगों की विधिपूर्ण आवश्यकताओं के लिए जिम्मेदार (उत्तरदायी) होंगे तथा नैतिक आचरण और सत्यनिष्ठा की कड़ी संहिताओं का अनुपालन करेंगे।

(4) कोई भी पुलिस अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी को तीन मास का लिखित में नोटिस दिए बिना अपने पद का त्याग नहीं करेगा।

4. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन राज्य की पुलिस सेवा, सिविल पुलिस और सशस्त्र पुलिस के रूप में वर्गीकृत की जाएगी और प्रत्येक में निम्नलिखित में की समुचित संख्या होगी :-

jkT; i{yl
l xok dk
xBu vkj
l j{pukA

- (i) आरक्षियों (कांस्टेबलज) और मुख्य आरक्षियों से समाविष्ट ग्रेड-II के अराजपत्रित पुलिस अधिकारी;
- (ii) सहायक उप-निरीक्षकों, उप-निरीक्षकों तथा निरीक्षकों से समाविष्ट ग्रेड-I के अराजपत्रित पुलिस अधिकारी; और
- (iii) राजपत्रित राज्य पुलिस सेवा अधिकारी; और
- (iv) राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी ।

(2) राज्य सरकार सिविल और सशस्त्र पुलिस में विभिन्न रैंकों (पंक्तियों) की संख्या ऐसी रीति में अवधारित करेगी जो विहित की जाएं।

(3) ग्रेड-II के अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों की जिला और राज्य संवर्गों (काडर) में भर्तियां पुलिस भर्ती बोर्डों के माध्यम से, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए भर्ती और प्रोन्नति नियमों के अनुसार की जाएंगी:

परन्तु पुलिस महानिदेशक राज्य सरकार के साधारण आदेशों के अधीन ग्रेड-II के पुलिस अधिकारियों का स्थानान्तरण राज्य संवर्ग (काडर) से जिला संवर्ग (काडर) और विपर्ययेन कर सकेगा।

(4) ग्रेड-II के अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों के रैंकों (पंक्तियों) के भीतर प्रोन्नतियां, राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए बनाए गए भर्ती और प्रोन्नति नियमों के अनुसार की जाएंगी।

(5) ग्रेड-I के अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों के रैंकों (पंक्तियों) के लिए भर्ती और प्रोन्नतियां, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए भर्ती और प्रोन्नति नियमों के अनुसार की जाएंगी:

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के पचास प्रतिशत तक, कम से कम सात वर्ष की सेवा वाले और सीधी भर्ती हेतु विहित शैक्षिक अर्हताएं पूर्ण करने वाले अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों के लिए आरक्षित किए जा सकेंगे।

(6) राजपत्रित राज्य पुलिस सेवा के लिए नियुक्तियां, राज्य लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा बनाए गए भर्ती और प्रोन्नति नियमों के अनुसार की जाएंगी।

(7) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राज्य में पद धारण करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार नियुक्त किए जाएंगे।

(8) भारतीय पुलिस सेवा से भिन्न राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों का वेतन, भत्ते, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी समय-समय पर विहित की जाएं।

i fyl
egkfun's kd
vksj vll;
vf/kdkfj; k
dh fu; fDrA

5. (1) पुलिस सेवा के सम्पूर्ण नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए, राज्य सरकार पुलिस महानिदेशक नियुक्त करेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों और कर्तव्यों का पालन करेगा तथा जिसके ऐसे उत्तरदायित्व और ऐसे प्राधिकार होंगे जैसे इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के द्वारा या अधीन उपबंधित किए जाएं।

(2) पुलिस महानिदेशक का पद, राज्य की पुलिस सेवा के अधिक्रम (हाईअरार्की) में वरिष्ठतम पद होगा और कोई भी अधिकारी, जो पुलिस महानिदेशक

के पद के पदधारी से पंक्ति (रैंक) में वरिष्ठ या समकक्ष हो, राज्य पुलिस संगठन के भीतर किसी पद पर तैनात नहीं किया जाएगा।

(3) राज्य सरकार, इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन, एक या अधिक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और उतने ही पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस उप-महानिरीक्षक और सहायक पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त कर सकेगी जितने यह आवश्यक समझे।

(4) राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक के परामर्श से, राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस उप-महानिरीक्षक या सहायक पुलिस महानिरीक्षक को, पुलिस महानिदेशक की उसके कृत्यों, कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों, प्राधिकार और शक्तियों के पालन तथा प्रयोग में, ऐसी रीति में और ऐसे विस्तार तक, सहायता करने के लिए निदेश दे सकेगी जैसा ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(5) पुलिस महानिदेशक, राज्य सरकार के साधारण और विशेष आदेश के अधीन समय-समय पर, साधारण या विशेष स्थायी आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट कर्तव्य और उत्तरदायित्व सौंप सकेगा।

6. राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति, राज्य संवर्ग में भारतीय पुलिस सेवा के रैंक (पंक्ति) के लिए पैनल में रखे अधिकारियों में से नियमों के अनुसार और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस प्रयोजन के लिए गठित तीन सदस्यीय छानबीन (स्क्रीनिंग) समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर करेगी। छानबीन (स्क्रीनिंग) समिति कम से कम तीन उपयुक्त व्यक्तियों का पैनल तैयार करेगी और सरकार द्वारा, छानबीन समिति को नया पैनल तैयार करने को कहा जा सकेगा यदि इसके विचार में पैनल में से कोई भी उपयुक्त व्यक्ति नहीं है। ऐसे मामले, जहां रिक्ति अप्रत्याशित है, के सिवाए, छानबीन समिति अपनी सिफारिश, रिक्ति उद्भूत होने से पूर्व करेगी:

पुलिस
महानिदेशक
के चयन की
पद्धति और
कार्यकाल।

परन्तु यदि सरकार इस निष्कर्ष, जिसके लिए कारण लिखित में अभिलिखित किए जाने हैं, पर पहुंचती है कि राज्य संवर्ग (काडर) में कोई उपयुक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है तो यह छानबीन (स्क्रीनिंग) समिति को, अन्य राज्य संवर्गों के पैनल में रखे भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की उपयुक्तता का निर्धारण उनकी राजामंदी और केन्द्रीय सरकार की सहमति के अधीन, करने के लिए कह सकेगी।

(2) छानबीन (स्क्रीनिंग) समिति स्वयं अपनी प्रक्रिया प्रकल्पित कर सकेगी और राज्य संवर्ग (काडर) में भारतीय पुलिस सेवा के समस्त पैनल में रखे अधिकारियों के नामों पर विचार करेगी तथा निम्नलिखित आधार पर निर्धारण करेगी—

- (i) कार्य आकलन रिपोर्टें;
- (ii) केन्द्रीय पुलिस संगठनों में कार्य के अनुभव सहित वृत्तिक पुलिस कार्य से सुसंगत अनुभव की श्रेणी (रैंज);
- (iii) किसी आपराधिक या अनुशासनिक कार्यवाही में अथवा भ्रष्टाचार या नैतिक अधमता के आधार पर अधिकारी के अभ्यारोपण के सम्बन्ध में सेवा का स्वच्छ अभिलेख; और
- (iv) शौर्य, विशिष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए पदक प्रदान करने हेतु दी जा रही सम्यक् वरीयता:

परन्तु जहां समिति का यह निष्कर्ष है कि राज्य संवर्ग में कोई भी उपयुक्त भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो यह उपधारा (1) के परंतुक के अनुसार अन्य राज्य संवर्गों के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की बाबत अपना निर्धारण करेगी।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त पुलिस महानिदेशक की पदावधि अधिवर्षिता तक होगी जैसी केन्द्रीय सरकार द्वारा, इस निमित्त बनाए गए नियमों में उपबंधित की जाए:

परन्तु राज्य सरकार द्वारा, निम्नलिखित के परिणामस्वरूप, कारण विनिर्दिष्ट करते हुए लिखित आदेश के आधार से पदधारी को उसकी पदावधि के अवसान से पूर्व पद से हटाया जा सकेगा—

- (i) न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक मामले में आरोपों की विरचना पर;

- (ii) अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियमों या किन्हीं अन्य सुसंगत नियमों के उपबन्धों के अधीन आरोप-पत्र जारी होने पर; या
- (iii) सेवा से निलंबन पर; या
- (iv) शारीरिक या मानसिक रोग के कारण असमर्थता होने पर या अन्यथा पुलिस महानिदेशक के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने में आयोग्य होने पर:
- (v) व्यापक लोक हित में प्रशासनिक अत्यावश्यकताएं :

परन्तु यह और कि निम्नलिखित के कारण, राज्य सरकार द्वारा अधिकारी को पदभारमुक्त करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा—

- (i) ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसी तैनाती के लिए अपनी सहमति दिए जाने के अध्यक्षीन, केन्द्रीय सरकार या अन्य राज्य सरकार या अन्तरराष्ट्रीय संगठन के अधीन पद पर नियुक्ति होने पर; या
- (ii) सेवा से त्यागपत्र देने पर या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर।

7. राज्य सरकार पुलिस महानिदेशक को उसके कर्तव्यों और कृत्यों के निर्वहन में क्रमशः विधिक और वित्तीय मामलों में सहायता करने के लिए ऐसी पंक्ति के विधि सलाहकार और वित्तीय सलाहकार नियुक्त कर सकेगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएं।

विधि सलाहकार और वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति।

8. (1) राज्य सरकार पुलिस महानिदेशक के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, राज्य के सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का, प्रत्येक के अपने मुख्यालय सहित, एक या अधिक पुलिस परिक्षेत्रों (ज़ोनज) में गठन कर सकेगी। दो या अधिक पुलिस रेंजों से समाविष्ट प्रत्येक परिक्षेत्र (ज़ोन) का नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक की पंक्ति के अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो परिक्षेत्र (ज़ोन) के

पुलिस परिक्षेत्रों (ज़ोनज) और रेंजों का सृजन।

पुलिस प्रशासन के अधीक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा तथा पुलिस महानिदेशक को रिपोर्ट करेगा।

(2) राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक के अपने-अपने मुख्यालय सहित, उतनी ही पुलिस रेंजों का सृजन कर सकेगी, जितनी आवश्यक समझी जाएं। दो या अधिक पुलिस जिलों से गठित प्रत्येक रेंज का नेतृत्व पुलिस उप-महानिरीक्षक की पंक्ति के अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो रेंज के पुलिस प्रशासन के अधीक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा तथा संबद्ध परिक्षेत्र (जोन) के प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक को रिपोर्ट करेगा।

पुलिस जिले।

9. राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, इसके मुख्यालय सहित, राज्य के भीतर किसी क्षेत्र को पुलिस जिला घोषित कर सकेगी। ऐसे जिले में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन पुलिस अधीक्षक के प्रभार के अधीन होगा, जिसे उतने ही पुलिस के अतिरिक्त, सहायक या उप-अधीक्षकों द्वारा सहायता दी जाएगी जितने, प्रयोजन के लिए बनाए गए नियमों के अधीन, आवश्यक समझे जाएं:

परन्तु राज्य सरकार, लोक हित में और कारणों को अभिलिखित करते हुए, जिले के लिए ऐसे पुलिस के अतिरिक्त, सहायक या उप-अधीक्षक को, जितने आवश्यक हो, छह मास से अनधिक की अवधि के लिए तैनात (पोस्ट) कर सकेगी।

जिला स्तरीय विशेष प्रकोष्ठों और उप-मण्डलों का सृजन।

10. (1) ऐसे गम्भीर अपराधों जैसे अधिसूचित किए जाएं, का शीघ्र और वैज्ञानिक अन्वेषण सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, अन्वेषण के पर्यवेक्षण और मानीटरिंग हेतु तथा न्यायालय में ऐसे मामलों के अभियोजन के बेहतर समन्वय के लिए प्रत्येक पुलिस जिले में विशेष प्रकोष्ठ का सृजन करेगी, जिसका नेतृत्व पुलिस के अतिरिक्त, सहायक या उप-अधीक्षक की पंक्ति के अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, पुलिस जिलों को, प्रत्येक इसके मुख्यालय सहित, उतने ही उप-मण्डलों में जितने आवश्यक समझे जाएं विभाजित कर सकेगी, जो सहायक या उप पुलिस अधीक्षक की पंक्ति के अधिकारी के प्रभार के अधीन होगा, जिसे उप-मण्डल पुलिस अधिकारी के रूप में जाना जाएगा।

11. (1) ऐसे सन्नियमों के अध्यक्षीन, जो विहित किए जाएं, राज्य पुलिस थाने। सरकार, पुलिस महानिदेशक के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा विधि और व्यवस्था की बाबत जनसंख्या, क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, अपराध-दर, कार्यभार (वर्कलोड) तथा पुलिस थाने में पहुंचने के लिए निवासियों द्वारा तय की गई दूरियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे गांवों पर, जैसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, अधिकारिता के साथ, पुलिस जिलों में उतने ही पुलिस थानों का सृजन कर सकेगी जितने आवश्यक समझे जाएं:

परन्तु सरकार, पुलिस थाने की स्थानीय सीमाओं के भीतर, ऐसे अन्य अराजपत्रित अधिकारियों की संख्या सहित जैसी सरकार नियत करे, पुलिस चौकी का सृजन कर सकेगी, जिसका नेतृत्व ग्रेड०० अराजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जाएगा और ऐसी पुलिस चौकी सम्बद्ध पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के सम्पूर्ण नियंत्रण में होगी तथा पुलिस थाने का भाग समझी जाएगी।

(2) पुलिस उप-मण्डल को, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजन के लिए दो या अधिक पुलिस थाने सौंपे जा सकेंगे।

(3) प्रत्येक पुलिस थाने में, पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के रूप में, एक थाना प्रभारी (एस. एच. ओ.) होगा जो पुलिस उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो:

परन्तु अधिक जनसंख्या या अधिक अपराध-दर वाले पुलिस थानों को पुलिस निरीक्षक की पंक्ति के पुलिस अधिकारियों के भारसाधन के अधीन रखा जाएगा।

(4) राज्य सरकार, सभी समयों पर, ऐसे सन्नियमों पर आधारित, जो विहित किए जाएं, प्रत्येक पुलिस थाने में कर्मचारिवृन्द की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

(5) राज्य सरकार, प्रत्येक पुलिस थाने में जैसे कि स्वागत एवं आगंतुक कक्ष, समुचित परिकल्पना के परिप्रश्न कक्ष, पुरुष और महिलाओं के लिए पृथक प्रसाधन और पृथक हवालात सहित समस्त आवश्यक सुख सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगी।

(6) व्यावसायिक (प्रोफेशनल) और वैज्ञानिक अन्वेषण सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पुलिस थाने में "आपराधिक, अन्वेषण इकाई" (सी आई यू) के नाम से पृथक अन्वेषण खण्ड होगा, जिसके कर्मचारिवृन्द में ग्रेड-II के अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों की समुचित संख्या सहित ग्रेड-I के अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों में से उतनी ही संख्या में अन्वेषण अधिकारी होंगे, जितनी अवधारित की जाए।

(7) अन्वेषण अधिकारियों के लिए अर्हताएं और अनुभव पुलिस महानिदेशक द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(8) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जिला मुख्यालयों और उप-मण्डल मुख्यालयों में प्रत्येक पुलिस थाने और ऐसे अन्य पुलिस थाने, जो समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं, में महिलाओं और बालकों के विरुद्ध अपराधों की शिकायतें अभिलिखित करने के लिए महिला कर्मचारियों से युक्त महिला पुलिस एवं बाल प्रकोष्ठ होगा।

(9) प्रत्येक पुलिस थाना, अपराध की घटना, गिरफ्तारी, निरोध, निर्मुक्ति, दोषसिद्धि और दोषमुक्ति से सम्बन्धित सूचना के साथ-साथ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सार्वजनिक किए जाने हेतु समस्त जानकारी, तथा इस प्रकार प्रदर्शित किए जाने के लिए अपेक्षित पुलिस महानिदेशक के समस्त स्थायी आदेश प्रमुख रूप से प्रदर्शित करेगा:

परन्तु जानकारी ऐसी रीति में प्रदर्शित की जाएगी जैसी पुलिस महानिदेशक, समय-समय पर साधारण या विशेष स्थायी आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, और पुलिस उप-महानिरीक्षक अपनी रेंज के भीतर ऐसे स्थायी आदेश के अध्यक्षीन, ऐसी जानकारी के प्रदर्शन हेतु, जो आवश्यक हो, लोक हित में निदेश जारी कर सकेगा।

(10) पुलिस थाना के प्रत्येक भारसाधक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह साधारण डायरी ऐसे प्ररूप में रखे जैसा विहित किया जाए और उसमें शिकायतें, शिकायतकर्ता का नाम, और लगाए गए आरोप, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम, उनके विरुद्ध आरोपित अपराध, अस्त्र-शस्त्र या सम्पत्ति जो

उनके कब्जे में से या अन्यथा ली गई है, और साक्षियों के नाम जिनकी परीक्षा की जानी है, अभिलिखित करेगा।

12. जब तक इससे पूर्व उच्चतर पद पर प्रोन्नत न किया गया हो तो थाना प्रभारी (एस0एच0ओ0) या उप-मण्डल पुलिस अधिकारी या जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात अधिकारी की न्यूनतम पदावधि सामान्यतः दो वर्ष तथा अधिकतम तीन वर्ष होगी: पुलिस कृत्यकारियों की पदावधि।

परन्तु अधिकारी को उसकी पदावधि के अवसान के पश्चात्, कारणों को अभिलिखित करते हुए, लोक हित में, छह मास तक प्रतिधारित किया जा सकेगा:

परन्तु यह और कि ऐसे किसी अधिकारी को उसे हटाने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा कारणों को अभिलिखित करते हुए;

- (i) न्यायालय में आपराधिक मामले में आरोप-पत्र दाखिल होने पर; या
- (ii) सुसंगत अनुशासनिक नियमों के अधीन मुख्य शास्ति के लिए आरोप-पत्र तामील होने पर; या
- (iii) सुसंगत अनुशासनिक नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा से निलंबन पर; या
- (iv) प्रशासनिक कारणों से निम्नतर पद पर प्रतिवर्तन पर; या
- (v) शीरीरिक या मानसिक रोग के कारण असमर्थता पर या अन्यथा अपने कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने में अयोग्य होने पर; या
- (vi) व्यापक लोक हित में आपात परिस्थितियों में, दो वर्ष की न्यूनतम पदावधि के अवसान से पूर्व उसके पद से हटाया जा सकेगा।

अध्यारोही लोक
महत्व के
मामलों में
समन्वय।

13. (1) आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार की ओर से, अपनी अधिकारिता में नोडल और समन्वय प्राधिकारी के रूप में कृत्य करेंगे तथा लोक शांति को संभाव्य प्रभावित करने वाले संकट काल में नेतृत्व की भूमिकाएं निभाएंगे।

(2) रेंज का पुलिस उप-महानिरीक्षक, मण्डल में विधि और व्यवस्था की स्थिति और लोक शांति में विघ्न डालने के लिए किसी सामूहिक प्रयत्न की संभावना से सम्बन्धित समस्त मामलों की पूर्ण जानकारी आयुक्त को देगा, ताकि ये कृत्यकारी अध्यारोही लोक महत्व के मामलों में, इन कृत्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने में समर्थ रहें।

(3) जिला पुलिस अधीक्षक, जिले में विधि और व्यवस्था की स्थिति और लोक शांति में विघ्न की संभावना से सम्बन्धित समस्त मामलों की पूर्ण जानकारी जिला मजिस्ट्रेट को देगा तथा पुलिस से सम्बन्धित अध्यारोही लोक महत्व के समस्त मामलों में तत्काल उससे परामर्श करेगा।

(4) उप-मण्डल पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारी (एस0 एच0 ओ0), उप-मण्डल या अन्य स्थानीय अधिकारिता में विधि और व्यवस्था की स्थिति और लोक शान्ति में विघ्न की संभावना से सम्बन्धित समस्त मामलों की पूर्ण जानकारी, यथास्थिति, उप-मण्डल मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट को देगा तथा पुलिस से सम्बन्धित अध्यारोही लोक महत्व के समस्त मामलों में तत्परता से उससे परामर्श करेगा।

सामान्य
प्रशासन।

14. (1) जिले के बेहतर सामान्य प्रशासन के लिए जिला मजिस्ट्रेट के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त, जिला पुलिस को निम्नलिखित की बाबत, निदेश जारी करना विधिपूर्ण होगा, अर्थात्:—

- (i) सरकारी भूमि, सामान्य भूमि (कॉमन लैंड) और वन भूमि पर अधिक्रमण को हटाने सहित भूमि सुधारों के संवर्धन और भूमि विवादों के निपटारे से सम्बन्धित मामले;

-
- (ii) राज्य स्तरीय महत्व की परियोजनाओं, विशिष्टतः विद्युत, उद्योग और पर्यटन सेक्टर से सम्बन्धित मामले;
 - (iii) जिला के किसी भी भाग में लोक शान्ति एवं प्रशान्ति में व्यापक विघ्न से सम्बन्धित मामले;
 - (iv) किसी लोक निकाय के निर्वाचन के संचालन से या लोक महत्व के किसी समारोह या कार्यक्रम का आयोजन करने से सम्बन्धित मामले;
 - (v) प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाओं या बड़ी दुर्घटनाओं से निपटने से सम्बन्धित मामले;
 - (vi) किसी बाह्य आक्रमण, आन्तरिक सुरक्षा के लिए धमकी, विद्रोह, बलों, औद्योगिक या अन्य हड़तालों इत्यादि से उत्पन्न स्थितियों से सम्बन्धित मामले;
 - (vii) महिलाओं, कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यकों के संरक्षण से सम्बन्धित मामले;
 - (viii) कोई और मामला, जो किसी एक विभाग के कार्यक्षेत्र के भीतर न हो और जिला के लोगों के सामान्य कल्याण को प्रभावित करता हो या न्यायिक निर्णय से उद्भूत हुआ हो जो जिला मजिस्ट्रेट को पुलिस की सेवाओं का उपयोग करने के लिए बाध्य करता हो; और
 - (ix) ऐसे अन्य मामले, जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर लोक हित में सौंप सकेगी।

(2) जिला मजिस्ट्रेट को, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट मामलों की बाबत पुलिस से साधारण या विशेष प्रकृति की जानकारी या सहायता मांगना विधिपूर्ण होगा और पुलिस अधीक्षक, इस प्रयोजन के लिए, जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी जानकारी और समस्त आवश्यक सहायता देने के लिए कर्तव्य द्वारा आबद्ध होगा।

(3) पुलिस अधीक्षक, उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट मामलों की बाबत पुलिस सेवा उपलब्ध कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को, जिला में समस्त या किसी विभाग को, ऐसी सहायता, जो आवश्यक हो सुकर बनाने के लिए निदेश जारी करने हेतु मामला निर्दिष्ट कर सकेगा तथा जिला मजिस्ट्रेट समुचित निदेश जारी कर सकेगा, जिसका अनुपालन सम्बन्धित विभाग के जिला प्रमुख (हैड) द्वारा बिना आपत्ति या विलम्ब के किया जाएगा।

(4) मण्डल का आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट की कानूनी शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपने मण्डल के जिला मजिस्ट्रेट को इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट किसी भी मामले की बाबत साधारण निदेश दे सकेगा तथा जिला मजिस्ट्रेट ऐसे निदेशों को कार्यान्वित करेगा।

रेलवे पुलिस।

15. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा राज्य में ऐसे रेलवे क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए, जैसा यह विनिर्दिष्ट करे एक या अधिक विशेष पुलिस जिलों का सृजन कर सकेगी और प्रत्येक ऐसे विशेष जिला के लिए पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप-महानिरीक्षक, पुलिस सहायक महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, एक या अधिक सहायक या उप पुलिस अधीक्षक तथा ऐसे अन्य पुलिस अधिकारी नियुक्त कर सकेगी, जो यह आवश्यक समझे।

(2) ऐसे पुलिस अधिकारी, पुलिस महानिदेशक के नियंत्रण के अध्यधीन, अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर अवस्थित रेलवे के प्रशासन से संबद्ध पुलिस कृत्यों तथा ऐसे अन्य कृत्यों, जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर सौंपे, का निर्वहन करेंगे।

(3) राज्य सरकार, विशेष पुलिस जिले या उसके किसी भाग के भीतर, ऐसे पुलिस कृत्यों, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, का निर्वहन करने के लिए और उस जिले में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की शक्तियों को प्रयोग करने के लिए साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को सशक्त कर सकेगी, और ऐसा पुलिस अधिकारी, यथा पूर्वोक्त किसी ऐसे आदेश के अध्यधीन, ऐसी शक्तियों को प्रयोग करते हुए अपने थाने की सीमाओं के भीतर, ऐसे अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करते हुए पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी समझा जाएगा।

(4) ऐसे पुलिस अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए साधारण या विशेष आदेशों के अधीन, राज्य के भीतर निहित शक्तियां और विशेषाधिकार प्रदत्त किए जाएंगे तथा वे इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दायी होंगे।

(5) पुलिस अधीक्षक, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इस धारा के अधीन उसे प्रदत्त किसी भी शक्ति और कृत्य को अपने अधीनस्थ सहायक या उप पुलिस अधीक्षक को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

16. (1) राज्य पुलिस संगठन के समन्वय, विश्लेषण और आसूचना के प्रसारण हेतु राज्य आसूचना विभाग होगा और ऐसे अन्तर-राज्य और अन्तर-जिला अपराध तथा अन्य महत्वपूर्ण मामलों, जो पुलिस महानिदेशक द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएं, का अन्वेषण करने के लिए राज्य आपराधिक अन्वेषण विभाग होगा।

राज्य अन्वेषण और गुप्तचर विभाग।

(2) राज्य सरकार, किसी पुलिस अधिकारी को, जो पुलिस महानिरीक्षक की पंक्ति के नीचे का न हो, दोनों विभागों का अलग-अलग प्रमुख (हैड) नियुक्त कर सकेगी।

(3) राज्य आपराधिक अन्वेषण विभाग के पास अन्वेषण हेतु सकेन्द्रित सावधानी या विशेष सूविज्ञता के लिए अपेक्षित विभिन्न प्रकार के अपराध से निपटने के लिए विशेषज्ञीय विंग (स्कन्ध) होंगे तथा इन विंगों (स्कन्धों) के प्रत्येक का नेतृत्व समुचित पंक्ति के राजपत्रित पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(4) राज्य आसूचना विभाग के पास, विशिष्ट कार्य, जैसे सुरक्षा, प्रति-आतंकवाद, प्रति-मिलीटेन्सी (हिंसा), आंतरिक सुरक्षा इत्यादि को समन्वित करने के लिए इसी प्रकार के विशिष्ट विंग (स्कन्ध) होंगे तथा इन विंगों (स्कन्धों) के प्रत्येक का नेतृत्व समुचित पंक्ति के राजपत्रित पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(5) राज्य सरकार, राज्य आपराधिक अन्वेषण विभाग और राज्य आसूचना विभाग में विभिन्न रैंकों की संख्या अवधारित करेगी।

तकनीकी और
समर्थक सेवाएं
संगठन।

17. (1) राज्य सरकार, पुलिस को स्वतन्त्र फरेनसिक (न्याय संबन्धी) रिपोर्टें उपलब्ध करवाने के लिए समर्पित न्याय-विज्ञान (फॅरेनसिक साईंस) निदेशालय का सृजन करेगी और उसे प्रभावी रूप से बनाए रखेगी, जो न्याय-विज्ञान निदेशालय या पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा अधिकथित मार्गदर्शन के अनुसार, समुचित उपस्कर और वैज्ञानिक जनशक्ति सहित राज्य स्तर पर न्यायालयिक (फॅरेनसिक साईंस) प्रयोगशाला, प्रत्येक पुलिस रेंज के लिए क्षेत्रीय न्यायालयिक (फॅरेनसिक साईंस) प्रयोगशाला तथा प्रत्येक पुलिस जिला के लिए सचल न्याय विज्ञान (फॅरेनसिक साईंस) इकाई से गठित होगा।

(2) पुलिस संगठन के समस्त स्तरों पर, विश्वसनीय और समर्पित संचार माध्यमों, सूचना- विज्ञान और अन्य तकनीकी सहायता प्रदान करने के प्रयोजन हेतु पुलिस संचार माध्यम और तकनीकी सेवाएं निदेशालय होगा जिसका नेतृत्व किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो पुलिस उप-महानिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो तथा जिसकी सहायता के लिए उतने ही पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप-अधीक्षक होंगे, जितने आवश्यक समझे जाएं।

(3) राज्य सरकार, इन पदों पर तैनाती के लिए अर्हताएं और अनुभव विनिर्दिष्ट करते हुए भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाएगी।

राज्य पुलिस
प्रशिक्षण
अकादमी के
निदेशक और
पुलिस
प्रशिक्षण
महाविद्यालय
तथा
विद्यालयों के
प्रधानाचार्यों
की नियुक्ति।

18. (1) राज्य सरकार, राज्य स्तर पर राजपत्रित पुलिस अधिकारियों को सेवा के दौरान प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, ग्रेड-I के अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों को सेवा के दौरान प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा पुलिस संगठन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के विभिन्न विंग (स्कन्धों) के ग्रेड-II अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों को सेवा के दौरान प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, ऐसी संख्या में, जितने आवश्यक हों, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, स्थापित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, किसी पुलिस अधिकारी को, जो महानिरीक्षक की पंक्ति के नीचे का न हो, पुलिस प्रशिक्षण अकादमी का निदेशक और किसी पुलिस अधिकारी को जो उप-महानिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय का प्रधानाचार्य तथा किसी अधिकारी को, जो पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, प्रत्येक पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त करेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन स्थापित अकादमी, महाविद्यालय और विद्यालय में शैक्षिक संस्थाओं के साथ-साथ पुलिस और संबन्धित सेवाओं में संकाय सम्मिलित होगा, जैसे विहित किया जाए तथा अकादमी का निदेशक, राज्य पुलिस बोर्ड को समस्त प्रशिक्षण संस्थानों की ओर से वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(4) राज्य सरकार, ऐसे प्रशिक्षण संस्थानों के संकायों के लिए पुलिस और संबंधित सेवाओं में उपलब्ध उत्तम प्रतिभा को आकर्षित और प्रतिधारित करने के लिए धनीय और अन्य प्रोत्साहनों की एक स्कीम तैयार कर सकेगी।

19. (1) राज्य सरकार, पुलिस सेवा की सहायता के लिए विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया विहित कर सकेगी तथा उनकी नियुक्ति हेतु निबन्धन और शर्तें विहित कर सकेगी।

विशेष पुलिस अधिकारी।

(2) उपधारा (1) के अध्यक्ष, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त साधारणतः या विशेषतः सशक्त जिला पुलिस अधीक्षक, अठारह वर्ष से ऊपर की आयु के किसी हृष्ट-पुष्ट और इच्छुक व्यक्ति को जिसे वह उपयुक्त समझे, अपनी मुद्रा के अधीन, स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित लिखित आदेश द्वारा किसी भी समय विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त प्रत्येक विशेष पुलिस अधिकारी की वही शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां होंगी और उन्हीं कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के लिए दायी होगा तथा उन्हीं प्राधिकारियों के अध्यक्ष होगा जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन एक साधारण पुलिस अधिकारी होता हो।

20. (1) राज्य सरकार के साधारण या विशेष निदेशों के अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से, किसी व्यक्ति या निगमित निकाय द्वारा किए गए उसकी आवश्यकता दर्शित करते हुए आवेदन पर पुलिस जिला के भीतर किसी स्थान पर पुलिस अधिकारियों की ऐसी अतिरिक्त संख्या प्रतिनियुक्त करेगा जो आवश्यक हो और ऐसा अतिरिक्त बल, अनन्य रूप से ऐसे पुलिस अधीक्षक के नियन्त्रण के अधीन होगा तथा आवेदन करने वाले व्यक्ति या निगमित निकाय के प्रभार में होगा। परन्तु ऐसा व्यक्ति या निगमित निकाय, पन्द्रह दिन का नोटिस देकर, ऐसे पुलिस अधिकारियों को वापिस कर सकेगा तथा जो नोटिस की अवधि के अवसान पर प्रभार से निर्मुक्त समझे जाएंगे।

अतिरिक्त पुलिस की तैनाती (अभिनियोजन)।

(2) जहां कहीं कोई लोक संकर्म या लोकोपयोगिता या कोई विनिर्माण या वाणिज्यिक समुत्थान प्रचालन में है और पुलिस महानिदेशक को यह प्रतीत होता हो कि लोक संकर्म, लोकोपयोगिता या विनिर्माण या वाणिज्यिकी समुत्थान के कर्मचारियों या अन्य व्यक्तियों द्वारा हड़ताल या अन्य कार्यवाही की संभावना के कारण, लोक शान्ति या आवश्यक सेवा को बनाए रखने के हित में, ऐसे स्थान में, अतिरिक्त पुलिस बल का अभिनियोजन आवश्यक है, तो राज्य सरकार की सहमति से ऐसे स्थान पर, तब तक के लिए जब तक आवश्यक हो, समुचित अतिरिक्त बल प्रतिनियुक्त कर सकेगा और ऐसे संकर्म, समुत्थान की उपयोगिताओं के प्रबन्धन द्वारा ऐसे अतिरिक्त बल के लिए संदाय करने के आदेश तथा, यथास्थिति, ऐसे लोक संकर्म, लोकोपयोगिता या विनिर्माण या वाणिज्यिक समुत्थान का प्रबन्धन उस पर, तदनुसार, संदाय करेंगे।

(3) उपरोक्त उपधारा (1) और (2) के अधीन संदेय समस्त धन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 421 और 422 में शास्तियों की वसूली हेतु उपबंधित रीति में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा या किसी सक्षम न्यायालय में वाद द्वारा वसूली होगी।

अभिलेखों और
विवरणियों का
रख-रखाव।

21. (1) पुलिस महानिदेशक, महानिरीक्षक, उप-महानिरीक्षक या जिला पुलिस अधीक्षक ऐसे अभिलेख बनाए रखेगा और ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, प्रस्तुत करेगा।

(2) उपधारा (1) के अध्याधीन पुलिस महानिदेशक विशेष या साधारण स्थायी आदेश द्वारा, पुलिस संगठन के जिला, रेंज (खण्ड) और परिक्षेत्रीय (जोनल) स्तर के अधिकारियों और विशेषज्ञीय स्कन्धों (विंगों) और सशस्त्र पुलिस द्वारा बनाए गए अभिलेख और प्रस्तुत की गई रिपोर्टों और विवरणियों का प्रकार और आरूप (फारमेट) विनिर्दिष्ट कर सकेगा और उसके कम्प्यूटरीकरण सहित उसके प्रयोजन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया भी विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

अनुसंधान और
विकास।

22. राज्य सरकार सर्वेक्षण करने और अध्ययन करने तथा पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) सेवाओं की दक्षता में सुधार से सम्बन्धित मामलों पर राज्य सरकार को परामर्श देने और सिफारिश करने के लिए एक पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो स्थापित कर सकेगी जिसका प्रमुख (हैड) पुलिस संगठन से स्वतन्त्र एक अधिकारी होगा, जो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो।

अध्याय-3

सिविल पुलिस: नियन्त्रण, कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व

23. (1) सिविल पुलिस, सशस्त्र पुलिस से अन्यथा हिमाचल प्रदेश पुलिस के अधिकारियों से समाविष्ट होगी, और सिविल पुलिस के विभिन्न संवर्गों की संख्या इतनी होगी, जितनी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाए।

(2) सिविल पुलिस की भर्ती राज्य सरकार द्वारा बनाए गए भर्ती और प्रोन्नति नियमों के अनुसार की जाएगी। पुलिस महानिदेशक, इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यक्ष, सिविल पुलिस में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली समस्त अराजपत्रित रिक्तियों के लिए वार्षिक भर्ती संचालित करवाएगा।

(3) प्रत्येक सिविल पुलिस अधिकारी को, प्रारम्भिक भर्ती पर, ग्रेड-II के अराजपत्रित पुलिस अधिकारी की दशा में, पुलिस प्रशिक्षण स्कूल, और ग्रेड-I के अराजपत्रित पुलिस अधिकारी की दशा में पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, तथा राजपत्रित अधिकारियों की दशा में पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में, प्रवेश प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण की अवधि और पाठ्यक्रम ऐसा होगा जैसा समय-समय पर राज्य पुलिस बोर्ड के साधारण निदेशों के अध्यक्ष, पुलिस महानिदेशक की सिफारिशों पर विहित किया जाएगा।

24. प्रत्येक पुलिस अधिकारी प्रथम नियुक्ति पर इस अधिनियम की अनुसूची-I में उपवर्णित प्ररूप में नियुक्ति प्राधिकारी या ऐसे राजपत्रित अधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

25. (1) प्रत्येक अराजपत्रित सिविल पुलिस अधिकारी को प्रथम नियुक्ति पर इस अधिनियम की अनुसूची-2 में दिए गए प्ररूप में नियुक्ति का प्रमाण पत्र, ऐकरॅनिम हि0 प्र0 पु0 वाला पद चिन्ह जारी किया जाएगा और जिला संवर्ग के सदस्य के लिए जिला नामावली से और राज्य संवर्ग (काडर) के सदस्य के लिए राज्य नामावली (रोल) से सुभिन्न नामांकन (इनरोलमेन्ट) संख्या जारी की जाएगी।

(2) भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य से भिन्न प्रत्येक राजपत्रित सिविल पुलिस अधिकारी को सेवा में प्रथम नियुक्ति पर ऐकरॅनिम "हि0 प्र0 पु0 से0" वाला पद चिन्ह जारी किया जाएगा।

(3) पुलिस अधिकारी के राज्य पुलिस सेवा के सदस्य न रहने की दशा में, नियुक्ति का प्रमाण-पत्र और पद चिन्ह वापिस ले लिया गया समझा जाएगा और नियुक्ति प्राधिकारी को तुरन्त अभ्यर्पित किया जाएगा और सेवा से उसके निलम्बन की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी के पास जमा करवाया जाएगा।

रैंक की वर्दी
और बैज।

26. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, सिविल पुलिस के विभिन्न रैंकों के लिए वर्दी और कर्त्तव्यों तथा वर्दी पहनने की बाबत प्रोटोकॉल विनिर्दिष्ट करेगी।

(2) राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा रैंक के बैज और अन्य सुभिन्न बैज जो वर्दी के साथ पहने जा सकेंगे, विनिर्दिष्ट करेगी।

आयुध (शस्त्र)
और गोला
बारूद का
मापमान
(स्केल)।

27. (1) सिविल पुलिस के आयुधादि को, राज्य सरकार के आदेशों द्वारा उपस्कर सारणी में नियत किया जाएगा और सरकार समय-समय पर आयुधादि के उपापन की बाबत अनुदेश जारी करेगी।

(2) जिलों को शस्त्रों का वितरण पुलिस महानिदेशक के आदेश पर नियत किया जाएगा, जो स्थायी आदेश द्वारा आयुध (शस्त्रों), गोला बारूद, मरम्मत और रख-रखाव हेतु सामग्री के स्टॉक की अभिरक्षा और देखरेख के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और वह रीति जिसमें क्षतिग्रस्त तथा अनुपयोगी शस्त्र नष्ट किए जाने हैं और किसी आयुध (शस्त्र) या गोला बारूद के नष्ट (हानि) होने के मामले में प्रक्रिया अधिकथित करेगा।

नियन्त्रण और
पर्यवेक्षण।

28. (1) थाना प्रभारी (एस0एच0ओ0), उसके प्रभार में पुलिस थाना और पुलिस चौकियों के कर्मचारिवृन्द को कार्य सौंपेगा और उनकी कार्य-प्रणाली का नियन्त्रण तथा पर्यवेक्षण करेगा।

(2) उप-मण्डल पुलिस अधिकारी, साधारणतया अपने प्रभार में पुलिस थानों का नियन्त्रण और पर्यवेक्षण करेगा तथा ऐसे निदेश, जैसे आवश्यक हों, जारी करेगा।

(3) जिला पुलिस अधीक्षक, साधारणतया जिला में उप-मण्डल पुलिस अधिकारियों और पुलिस थानों तथा पुलिस चौकियों के कार्य का नियन्त्रण और पर्यवेक्षण करेगा तथा ऐसे निदेश, जैसे आवश्यक हों, जारी करेगा।

(4) रेंज उप-महानिरीक्षक और परिक्षेत्र (जोनल) महानिरीक्षक साधारणतया क्रमशः रेंज और परिक्षेत्र (जोन) में जिलों के कार्य का नियन्त्रण और पर्यवेक्षण करेगा।

(5) पुलिस महानिदेशक, अन्य सिविल पुलिस इकाईयों के लिए, विशेष स्थायी आदेश द्वारा नियन्त्रण और पर्यवेक्षण प्राधिकारियों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(6) इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, पुलिस महानिदेशक साधारण या विशेष स्थायी आदेश द्वारा, प्रत्येक कर्तव्य और दायित्व के संबन्ध में सिविल पुलिस के विभिन्न रैंकों द्वारा किए जाने वाले कृत्यों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(7) पुलिस महानिदेशक के साधारण या विशेष स्थायी आदेश के अध्यधीन, पुलिस थाना, पुलिस उप-मण्डल, पुलिस जिला या अन्य सिविल पुलिस इकाई का नियन्त्रक एवं पर्यवेक्षक अधिकारी, उसके नियन्त्रण के अधीन सिविल पुलिस के विभिन्न रैंकों द्वारा किए जाने वाले कृत्यों को लिखित में संसूचित किसी आदेश के माध्यम द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(8) विशिष्ट कर्तव्यों के बेहतर प्रबंधन, नियन्त्रण और पर्यवेक्षण तथा सिविल पुलिस के सदस्यों के व्यावसायिक विकास के लिए राज्य सरकार, राज्य पुलिस सेवा में संवर्ग या उप-संवर्ग गठित कर सकेगी और इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष के भीतर गंभीर अपराधों के अन्वेषण हेतु राज्य पुलिस सेवा में विशेष संवर्गों का सृजन कर सकेगी।

आचरण और
अनुशासन।

29. (1) प्रत्येक सिविल पुलिस अधिकारी, उसे सौंपे गए किसी कर्तव्य या उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में उससे अपेक्षित कृत्यों का पालन इस अधिनियम, तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों और पुलिस महानिदेशक के साधारण या विशेष स्थायी आदेश के अधीन, अपनी पूरी सामर्थ्य से करेगा।

(2) कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों के स्तर (मानक) में कोई अपालन या कमी, अवचार होगी और पुलिस अधिकारी को, राज्य सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए विहित आचरण और अनुशासनिक नियमों के अनुसार अनुशासनिक कार्रवाई के लिए दायी बनाएगी।

अश्वारोही
पुलिस।

30. (1) प्रत्येक जिला में गश्त लगाने, भीड़ नियंत्रित करने और दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचने के लिए ऐसी संख्या में अश्वारोही पुलिस होगी जितनी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए।

(2) पुलिस महानिदेशक, पुनरावस्था के उपाय, प्रबंध और अनुरक्षण तथा अश्वारोही पुलिस के प्रशिक्षण के बारे में स्थायी आदेश जारी करेगा।

अध्याय-4

सशस्त्र पुलिस

जिला सशस्त्र
रिजर्व और
राज्य सशस्त्र
पुलिस
बटालियनों।

31. राज्य सरकार, परिशान्ति भंग होने या विधि और व्यवस्था ठप्प होने से अन्तर्ग्रस्त या संभाव्यतः अन्तर्ग्रस्त होने वाले कृत्यों से तत्परता और दक्षता से निपटने में सहायता करने और आपदा प्रबन्धन में भी सहायता प्रदान करने के लिए महिला इकाइयों के लिए व्यवस्था सहित, प्रत्येक पुलिस जिला के लिए सशस्त्र पुलिस रिजर्व के रूप में समुचित जनशक्ति सहित सशस्त्र पुलिस इकाइयों तथा राज्य के लिए सशस्त्र पुलिस बटालियनों का समुचित संख्या में सृजन करेगी और ऐसी सशस्त्र पुलिस की भर्ती, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए भर्ती और प्रोन्नति नियमों के अनुसार की जाएगी।

भूमिका और
कृत्य।

32. (1) सशस्त्र पुलिस बटालियनों राज्य स्तर की रिजर्व होगी जो पुलिस महानिदेशक के विनिर्दिष्ट आदेशों के अधीन, परिशान्ति भंग या विधि और व्यवस्था के ठप्प होने तथा सिविल पुलिस के प्रबन्ध साधनों से परे, किसी

स्थानीय क्षेत्र में आपदाओं से उत्पन्न होने वाली परिस्थिति से निपटने में सिविल पुलिस की सहायता करने के लिए, तैनात (अभिनियोजित) की जाएंगी:

परन्तु, पुलिस महानिदेशक, साधारण या विशेष आदेश द्वारा रेंज पुलिस उप-महानिरीक्षक के आदेश पर तैनात (अभिनियोजित) की जाने वाली त्वरित अनुक्रियाशील इकाई के रूप में बटालियन की एक या अधिक सेवा कम्पनियां निश्चित (चिन्हित) कर सकेगा।

(2) जिला सशस्त्र रिजर्व, जिला पुलिस अधीक्षक के नियंत्रण, निदेशन और पर्यवेक्षण के अधीन किसी भी स्थानीय विधि-व्यवस्था समस्या या जिला में स्थानीय आपदा से निपटने और विधिपूर्ण अभिरक्षा में हिंसात्मक या खतरनाक या अन्यो को मार्गरक्षण (एसकोर्ट) की व्यवस्था करने के लिए या ऐसे अन्य कर्तव्यों को निभाने जैसे पुलिस महानिदेशक के विनियमों द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाएं, जिला पुलिस के सशस्त्र विंग के रूप में कार्य करेगी।

33. (1) कमांडेंट (समादेशक), जो रैंक (पंक्ति) में पुलिस अधीक्षक के समतुल्य हो, प्रत्येक सशस्त्र पुलिस बटालियन का प्रमुख (हैड) होगा। कमांडेंट (समादेशक) की, उप- कमांडेंट (उप-समादेशक) जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की पंक्ति के समतुल्य हो, द्वारा सहायता की जाएगी जो बटालियन में सेकण्ड-इन-कमाण्ड होगा। प्रत्येक बटालियन को समुचित संख्या में सेवा कम्पनियों और हैडक्वाटर कम्पनी में बांटा जाएगा, प्रत्येक का प्रमुख (हैड) पुलिस उप-अधीक्षक की पंक्ति के समतुल्य सहायक कमांडेंट (समादेशक) होगा।

सशस्त्र पुलिस संगठन की संरचना।

(2) राज्य की सशस्त्र पुलिस संगठन का प्रमुख (हैड), पुलिस उप-महानिरीक्षक या इससे ऊपर की पंक्ति का अधिकारी होगा जो पुलिस महानिदेशक के सम्पूर्ण संरक्षण और निरीक्षण के अधीन प्रशासन, प्रशिक्षण, संक्रियात्मक सन्नद्धता (तैयारी) तथा राज्य में समस्त सशस्त्र पुलिस इकाईयों के अधिकारियों के कल्याण के लिए दायी होगा।

(3) सशस्त्र पुलिस संगठन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की संख्या नियत करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक तीन या चार बटालियनों की कृत्यकारी और सन्नद्धता (तैयारी) का निरीक्षण करने के लिए,

उप-महानिरीक्षक की पंक्ति का वरिष्ठ अधिकारी तैनात (अभिनियोजित) किया गया है और यदि दो ऐसे उप-महानिरीक्षक हों, तो सशस्त्र पुलिस संगठन का प्रमुख (हैड) कम से कम महानिरीक्षक की पंक्ति का अधिकारी होगा।

(4) सशस्त्र पुलिस संगठन के प्रमुख (हैड), पुलिस उप-महानिरीक्षक, कमांडेंट (समादेशक), उप-कमांडेंटों, सहायक कमांडेंटों और रिजर्व निरीक्षकों के कर्तव्य, पुलिस महानिदेशक के परामर्श से, राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएंगे।

बटालियनों और
सशस्त्र रिजर्वों
के बीच
चक्रानुक्रम
(रोटेशन)।

34. जिला सशस्त्र रिजर्व और सशस्त्र पुलिस बटालियनों के अधिकारी, पुलिस महानिदेशक के साधारण या विशेष स्थायी आदेश के अनुसार समय-समय पर लगाए (रोटेट किए) जाएंगे। जिला सशस्त्र रिजर्वों में ग्रेड-II के अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों की कोई भी सीधी भर्ती नहीं की जाएगी और समस्त रिक्तियां बटालियनों में होंगी तथा पुलिस महानिदेशक, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष सीधी भर्ती वाली सभी रिक्तियों को भरवाएगा।

प्रथम नियुक्ति
पर शपथ या
प्रतिज्ञान।

35. सशस्त्र पुलिस का प्रत्येक अधिकारी प्रथम नियुक्ति पर, बटालियन के कमांडेंट (समादेशक) या ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जैसा सरकार इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, के समक्ष इस अधिनियम की अनुसूची 1 में दिए गए प्ररूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

नियुक्ति का
प्रमाण पत्र।

36. (1) सशस्त्र पुलिस के प्रत्येक अराजपत्रित अधिकारी को, प्रथम नियुक्ति पर इस अधिनियम की अनुसूची-2 में दिए गए प्ररूप में नियुक्ति का प्रमाण पत्र और ऐक्र्निम 'एच.पी.ए.पी.' वाला पद चिन्ह और सुभिन्न नामांकन (इनरोलमेन्ट) संख्या जारी की जाएगी जो सम्पूर्ण सशस्त्र पुलिस के लिए क्रमानुसार और ग्रेड-II के अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों और ग्रेड-I के अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों के लिए पृथकतः चलेगी।

(2) किसी पुलिस अधिकारी का सशस्त्र पुलिस का सदस्य न रहने की दशा में, नियुक्ति के प्रमाण पत्र और पद चिन्ह को प्रत्याहृत समझा जाएगा और तुरन्त अभ्यर्पित किया जाएगा तथा सेवा से निलंबित कर दिए जाने की दशा में उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी के पास जमा कर दिया जाएगा।

37. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा सशस्त्र पुलिस में विभिन्न रैंकों (पंक्तियों) के लिए वर्दियों तथा कर्त्तव्यों और वर्दी पहनने की बाबत प्रोटोकाल विनिर्दिष्ट करेगी।

रैंक की वर्दी
और बैज।

(2) राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा रैंक के बैज और अन्य सुभिन्न बैज, जो वर्दी के साथ पहने जा सकेंगे, विनिर्दिष्ट करेगी।

38. (1) कर्त्तव्यारूढ़ प्रत्येक सशस्त्र पुलिस अधिकारी, अपनी सर्वोच्च योग्यता के अनुसार शांति और प्रशांति बनाए रखना सुनिश्चित करेगा और—

आचरण और
अनुशासन।

- (i) विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसके पदीय वरिष्ठों द्वारा जारी किए गए सम्पूर्ण विधिपूर्ण आदेशों का अविलम्ब पालन करेगा;
- (ii) असंगत या अत्यधिक बल का उपयोग करने के अपने विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा;
- (iii) बाह्य प्रतिफलों या अपने पदीय वरिष्ठ से अन्य व्यक्ति के आदेशों या सुझावों के अनुसरण में लोक शांति बनाए रखने में समुचित बल के उपयोग में प्रविरत रहने के अपने विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा; और
- (iv) अपने कर्त्तव्यों के उचित निर्वहन में अपेक्षित से अन्यथा अपने पद, वर्दी या शस्त्र का उपयोग किसी व्यक्ति को अभित्रासित करने में नहीं करेगा।

39. (1) सशस्त्र पुलिस के सभी सदस्य, प्रारम्भिक भर्ती पर, ग्रेड-II के अराजपत्रित पुलिस अधिकारी होने की दशा में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में और ग्रेड-I के अराजपत्रित पुलिस अधिकारी होने की दशा में पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में दलों (बैंचों) में अधिष्ठापन (प्रवेश) प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण की अवधि और पाठ्यक्रम ऐसा होगा जैसा विहित किया जाए।

प्रशिक्षण।

(2) सशस्त्र पुलिस इकाईयों में समस्त रैंक चक्रानुक्रमानुसार (रोटेशन) द्वारा पुलिस महानिदेशक के साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित वार्षिक रिफ्रेशर/प्रशिक्षण प्रोग्राम और ऐसे विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे जैसे विभिन्न प्रवर्गों के लिए आवश्यक समझे जाएं।

(3) प्रत्येक बटालियन में, समस्त अधिकारियों को चक्रानुक्रमिक (रोटेशनल) प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए "प्रशिक्षण आरक्षण" (ट्रेनिंग रिजर्व) के रूप में चिन्हित एक पूर्ण कम्पनी होगी।

(4) जिला सशस्त्र रिजर्व और राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियनों के अधिकारियों के लिए वार्षिक रिफ्रेशर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों सहित अन्य विशिष्ट पाठ्यक्रमों की विषय-वस्तु और प्रणाली-विज्ञान ऐसा होगा, जैसा राज्य पुलिस बोर्ड के साधारण निदेशों के अध्यक्षीन पुलिस महानिदेशक की सिफारिशों पर विहित किया जाए।

तैनाती

(अभिनियोजन)

40. (1) जिला सशस्त्र रिजर्वों और राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियनों की इकाईयों और उप-इकाईयों की तैनाती (अभिनियोजन) इस अधिनियम की धारा 32 के उपबन्धों के अनुसार होंगी और केवल उन परिस्थितियों पर सर्वथा निर्बन्धित होंगी जिनमें ऐसी तैनाती (अभिनियोजन) पूर्णतया आवश्यक समझी जाए।

(2) तैनाती (अभिनियोजन), आदेश में यथा विनिर्दिष्ट नियत अवधि के लिए होगी और जब तक कि अवधि, विशेष आदेश द्वारा बढ़ाई न जाए, बल तैनाती (अभिनियोजन) अवधि के समापन पर अपने मुख्यालयों को वापस चले जाएंगे।

(3) जिला सशस्त्र रिजर्व की दशा में जिला पुलिस अधीक्षक और बटालियन की दशा में राज्य के लिए सशस्त्र पुलिस संगठन के प्रमुख (हेड) का यह सुनिश्चित करना कर्तव्य होगा कि इन सशस्त्र इकाईयों के अधिकारी ऐसी रीति में तैनात किए जाएं जो कर्तव्य के उचित चक्रानुक्रम (रोटेशन) के साथ-साथ उनका नियमित प्रशिक्षण और उनके कार्यों के लिए निरन्तर सन्नद्धता (तैयारी) सुनिश्चित करे।

(4) किसी सशस्त्र पुलिस इकाई की तैनाती का आदेश करते समय, विधि व्यवस्था की अपेक्षाओं के अध्यक्षीन रहते हुए, यह सुनिश्चित करने में यथोचित सावधानी बरती जाएगी कि अधिकारियों को पर्याप्त विश्राम और सप्ताह में एक दिन का अवकाश भी मिले।

41. (1) सशस्त्र पुलिस के आयुध (शस्त्र) आदि ऐसे होंगे जैसे राज्य सरकार के आदेश द्वारा उपस्कर सारणी में नियत किए जाएंगे और उपस्कर सारणी में उपदर्शित मर्दे (वस्तुएं) विहित रीति में अभिप्राप्त की जाएंगी।

आयुध
(शस्त्र),
उपस्कर,
गतिशीलता
(मोबिलिटी),
संसूचना
आदि।

(2) बटालियनों और जिला सशस्त्र रिजर्वों को आयुधों (शस्त्रों) का वितरण, पुलिस महानिदेशक के आदेश पर नियत किया जाएगा जो आयुध, गोला-बारूद, मरम्मत और रखरखाव हेतु सामग्री के स्टॉक की अभिरक्षा और देख-रेख के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और वह रीति जिस में क्षतिग्रस्त तथा अनुपयोगी हथियार नष्ट किए जाने हैं और आयुध (शस्त्र) या गोला-बारूद के नष्ट होने के मामले में प्रक्रिया भी अधिकथित करेगा।

(3) प्रत्येक बटालियन के साथ-साथ जिला सशस्त्र रिजर्व के लिए आयुध, उपस्कर, गतिशीलता, और संसूचना की पर्याप्तता आदि राज्य सशस्त्र पुलिस संगठन के प्रमुख द्वारा सम्बद्ध कमांडेंट (समादेशक) तथा जिला पुलिस अधीक्षक के परामर्श से वार्षिक आधार पर नियमित रूप से अवधारित की जाएगी।

42. पुलिस महानिदेशक, राज्य पुलिस बोर्ड के समक्ष, जिला सशस्त्र रिजर्व तथा बटालियनों की तैनाती (अभिनियोजन) के ब्यौरे, उनकी सन्नद्धता (तैयारी) और प्रशिक्षण की अवस्था, जिसमें पुरुषों, आयुधों, उपस्करों, गतिशीलता, संसूचना आदि की पर्याप्तता सम्मिलित है, दर्शाने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट रखेगा।

वार्षिक
रिपोर्ट।

अध्याय-5

प्रशासन और अधीक्षण

43. (1) सम्पूर्ण राज्य में पुलिस का प्रशासन, पुलिस महानिदेशक और ऐसे अतिरिक्त महानिदेशकों, महानिरीक्षकों, उप-महानिरीक्षकों और अन्य अधिकारियों में निहित होगा जैसे राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक के समग्र (सम्पूर्ण) नियन्त्रण के अध्यक्षीन नियत करे।

पुलिस का
प्रशासन।

(2) जिला में पुलिस का अधीक्षण, जिला पुलिस अधीक्षक में निहित होगा:

परन्तु राज्य सरकार कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए, केवल असाधारण मामलों में, ही जिनमें अनिवार्य लोकहित अंतर्ग्रस्त है, पुलिस महानिदेशक या किसी अन्य सक्षम पुलिस प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग में हस्तक्षेप कर सकेगी और समस्त ऐसे मामले राज्य पुलिस बोर्ड के समक्ष इसकी आगामी बैठक में लाए जाएंगे।

पुलिस
महानिदेशक की
शक्तियां और
उत्तरदायित्व।

44. (1) पुलिस महानिदेशक:

- (i) पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) के समस्त विषयों में राज्य सरकार और राज्य पुलिस बोर्ड को परामर्श देने;
- (ii) राज्य पुलिस बोर्ड के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा अधिकथित नीतियों (पॉलिसियों), सामरिक महत्व की (स्ट्रेटिजिक) पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) योजना (प्लान) और वार्षिक उप-योजना (सब-प्लान) का कार्यान्वयन करने;
- (iii) पुलिस सेवा की अपनी दक्षता, प्रभाविता, उत्तरदायित्व और जवाबदारी सुनिश्चित करने को प्रशासित और पर्यवेक्षित करने; और
- (iv) किन्हीं साधारण कार्यकारी अनुदेशों की प्रतिकूलता को विचार में लाए बिना लेकिन इस अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन, ग्रेड□□□ के अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों और ग्रेड-I के अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों की भर्ती के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियमों के अनुसार स्वीकृत पदों के आधार पर विद्यमान और प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए निदेश देने, के लिए दायी होगा।

राज्य सरकार में राज्य पुलिस के अधीक्षण का और जवाबदार पुलिस सेवा सुनिश्चित करेगी और इस प्रयोजन के लिए सारे निहित होना। राज्य में पुलिस सेवा का अधीक्षण, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार राज्य सरकार में निहित होगा और प्रयोग किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार पुलिस की व्यावसायिक (पेशेवर) दक्षता बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुलिस अनुपालना सभी समयों पर विधि के अनुसार है, पुलिस सेवाओं पर अपने अधीक्षण का प्रयोग करेगी और नीतियां (पॉलिसियां) तथा मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित करेगी, गुणवत्ता पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) के लिए मानक स्थापित करेगी, उनका कार्यान्वयन सुकर बनाएगी और सुनिश्चित करेगी कि पुलिस बल क्रियात्मक स्वायत्तता से व्यावसायिक रीति में अपने कर्तव्यों का पालन करे।

46. (1) राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक की रिपोर्ट के आधार पर और राज्य पुलिस बोर्ड की सिफारिशों पर, पांच वर्ष की अवधि को समाविष्ट करते हुए, वार्षिक उप-योजनाओं (सब-प्लानों) सहित सामरिक महत्व (स्ट्रेटजिक) की पुलिस तैनाती (पोलिसिंग), योजना (प्लान) को ऐसी रीति में अंतिम रूप देगी कि उत्तरोत्तर (आनुक्रमिक) योजना (प्लान), पूर्ववर्ती योजना (प्लान) के अंतिम वर्ष और उत्तरवर्ती योजना (प्लान) के प्रथम वर्ष को परस्पर व्याप्त करे:

राज्य पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) योजनाएं (प्लान), पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) के उद्देश्य और प्राथमिकताएं।

परन्तु पुलिस महानिदेशक अपनी रिपोर्ट देते समय, अवधि के दौरान प्राप्त किए जा सकने वाले पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) के उद्देश्यों और उनके कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित कार्रवाई योजना (ऐक्शन प्लान) को सम्यक् रूप से परिलक्षित करते हुए जिला और राज्य इकाइयों की रिपोर्टों द्वारा मार्गदर्शित होगा।

(2) राज्य सरकार, सामरिक महत्व की (स्ट्रेटजिक) पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) योजना (प्लान) और वार्षिक उप-योजना (सब-प्लान), जैसे ही उसे अंतिम रूप दिया जाता है, की एक प्रति राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखेगी।

(3) राज्य सरकार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ पर, पूर्ववर्ती वर्ष के लिए सामरिक महत्व की (स्ट्रेटजिक) पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) योजना और वार्षिक उप-योजना (एनुअल सब-प्लान) के कार्यान्वयन पर प्रगति रिपोर्ट भी विधान सभा के समक्ष रखेगी।

47. (1) राज्य सरकार, पूरे राज्य में और जिलावार भी पुलिस सेवा के कार्य के मूल्यांकन हेतु क्रियाविधियां तैयार (प्रकल्पित) करेगी।

पुलिस के कार्य मूल्यांकन हेतु क्रियाविधि (मेकॅनिज्म)।

(2) इन उपबन्धों की व्यापकता पर कोई प्रभाव डाले बिना, पुलिस महानिदेशक निम्नलिखित सुनिश्चित करने के लिए विनियम बनाएगा—

- (i) प्रत्येक रेंज में समस्त जिलों के रेंज उप-महानिरीक्षक द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार निरीक्षण करना; और
- (ii) जिला के राजपत्रित अधिकारी द्वारा वर्ष में कम से कम दो निरीक्षण, जिसमें प्रत्येक जिला में प्रत्येक थाना और पुलिस चौकी के पुलिस अधीक्षक द्वारा वैयक्तिक रूप से एक निरीक्षण भी सम्मिलित है:

परन्तु, विनियम, अन्य बातों के साथ-साथ निरीक्षण का ढंग, कार्यपद्धति, विषय-वस्तु विनिर्दिष्ट करेंगे और निरीक्षण को, कार्य मूल्यांकन हेतु प्रभावशाली साधन बनाने का प्रयास करेंगे।

राज्य पुलिस
बोर्ड की
स्थापना।

48. राज्य सरकार नीतियां (पालिसीज) अधिकथित करने को सुकर बनाने, कार्य मूल्यांकन करने और राज्य पुलिस सेवा की क्रियात्मक स्वायत्तता, जो इस अधिनियम में उपबंधित रीति में कार्य करेगी, को सुनिश्चित करने के लिए, राज्य पुलिस बोर्ड का गठन करेगी। बोर्ड उतनी बैठक करेगा जितनी आवश्यक समझी जाएं लेकिन तीन मास में कम से कम एक बैठक करेगा।

बोर्ड की
संरचना।

49. (1) राज्य पुलिस बोर्ड निम्नलिखित से गठित होगा—

- | | | |
|-------|---|------------------|
| (i) | मुख्य मन्त्री | —पदेन अध्यक्ष; |
| (ii) | गृह विभाग का प्रभारी मंत्री
(यदि यह मुख्य मन्त्री के अन्यथा हो) | —पदेन उपाध्यक्ष; |
| (iii) | हिमाचल प्रदेश राज्य
विधान सभा में विपक्षी
दल का नेता। | —पदेन सदस्य; |
| (iv) | मुख्य सचिव, हिमाचल
प्रदेश सरकार। | —पदेन सदस्य; |
| (v) | प्रधान सचिव (गृह),
हिमाचल प्रदेश सरकार। | —पदेन सदस्य; |
| (vi) | प्रधान सचिव (सामाजिक
न्याय एवं अधिकारिता),
हिमाचल प्रदेश सरकार। | —पदेन सदस्य; |

- | | | |
|--------|--|-----------------------|
| (vii) | प्रधान सचिव (वित्त),
हिमाचल प्रदेश सरकार। | —पदेन सदस्य; |
| (viii) | निदेशक अभियोजन | —पदेन सदस्य; |
| (ix) | निदेशक, न्यायालयिक
विज्ञान (फॉरेनसिक साइंसेस)
प्रयोगशाला। | —पदेन सदस्य; |
| (x) | निदेशक, राज्य पुलिस
प्रशिक्षण अकादमी। | —पदेन सदस्य; |
| (xi) | सत्यनिष्ठा और सक्षमता
के लिए ख्याति अर्जित करने
वाले तीन व्यक्ति जिनमें से
कम से कम एक महिला सदस्य
होगी जो, धारा 50 के अधीन
गठित चयन पैनल (सलेक्शन
पैनल) की सिफारिशों पर
ऐकडेमिआ, विधि और लोक
प्रशासन के क्षेत्र में से नियुक्त
किए जाएंगे। | —गैर—सरकारी सदस्य; और |
| (xii) | पुलिस महानिदेशक | —सदस्य सचिव |

(2) कोई भी सेवारत सरकारी कर्मचारी गैर—सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा और राज्य पुलिस बोर्ड में कोई भी रिक्ति यथासाध्य शीघ्रता से भरी जाएगी किन्तु पद के रिक्त होने के पश्चात् से तीन मास के अपश्चात् तथापि, बोर्ड की कोई भी कार्यवाही, किसी भी रिक्ति के कारण अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी।

50. (1) राज्य पुलिस बोर्ड के गैर—सरकारी सदस्य, चयन पैनल, जो निम्न प्रकार से होगा, की सिफारिशों पर नियुक्त किए जाएंगे—

- | | | |
|-----|------------------------------------|------------|
| (क) | लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश | —अध्यक्ष; |
| (ख) | राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त | —सदस्य; और |
| (ग) | राज्य लोक सेवा आयोग
का अध्यक्ष, | —सदस्य। |

गैर—सरकारी
सदस्यों के
चयन के लिए
पैनल
नामिका।

(2) राज्य सरकार प्रत्येक रिक्ति के विरुद्ध चार उपयुक्त व्यक्तियों की संक्षिप्त सूची उनके जीवन वृत्त सहित उपलब्ध करवाएगी। पैनल संक्षिप्त सूची में से चयन करेगा यदि पैनल, संसूचित किए जाने वाले कारणों से, चयन करने में असमर्थ है तो उस दशा में सरकार उपयुक्त व्यक्तियों की दूसरी संक्षिप्त सूची उपलब्ध करवाएगी।

(3) चयन पैनल गैर-सरकारी सदस्यों के चयन के लिए इसकी अपनी पारदर्शी प्रक्रिया प्रकल्पित करेगा।

निरर्हताएं।

51. कोई व्यक्ति, राज्य पुलिस बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने या होने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह—

- (i) भारत का नागरिक नहीं है; या
- (ii) न्यायालय में किसी आपराधिक मामले में उसके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल हुआ है; या
- (iii) किसी भी राज्य या केन्द्रीय सरकार या सरकारी संगठन की सेवा से पदच्युत या हटाया गया है या वहां से उसकी भ्रष्टाचार या अवचार के आधारों पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति हुई है; या
- (iv) लोक पद धारण किए हुए है जिसमें संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य, या किसी राजनैतिक दल या राजनैतिक दल से सम्बद्ध किसी संगठन का कोई पदाधिकारी है, सम्मिलित है; या
- (v) विकृत चित का है।

गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि और पारिश्रमिक।

52. (1) बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्य की पदावधि तीन वर्ष होगी और वह केवल एक और अवधि के लिए ही पुनः नियुक्ति का पात्र होगा।

(2) गैर-सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, बोर्ड के अध्यक्ष को संबोधित लिखित संसूचना द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा।

(3) गैर-सरकारी सदस्य, बोर्ड की वास्तविक बैठक के लिए प्रति दिन एक हजार रुपए बैठक फीस का हकदार होगा और इस निमित्त राज्य सरकार के नियमों के अनुसार यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

53. (1) राज्य पुलिस बोर्ड—

राज्य पुलिस
बोर्ड के कृत्य।

- (i) विधि के अनुसार दक्ष, प्रभावी, उत्तरदायी और जिम्मेदार पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) का संवर्धन करने हेतु व्यापक पॉलिसी मार्गदर्शक सिद्धांत जिस में पांच वर्षीय सामरिक महत्व की (स्ट्रेटेजिक) पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) उप-योजनाएं (सब-प्लान) और वार्षिक पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) उप-योजनाएं सम्मिलित हैं, अनुमोदित करेगा;
- (ii) अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों और राज्य राजपत्रित पुलिस सेवा अधिकारियों के विभिन्न रैंकों के स्वीकृत पदों को समय-समय पर अनुमोदित करेगा;
- (iii) पुलिस सेवा की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करने हेतु कार्य सूचक परिलक्षित करेगा और इन सूचकों में अन्य बातों के साथ-साथ कार्य परिचालन दक्षता, लोक तुष्टि और साधनों का उचित उपयोग भी सम्मिलित होगा; और
- (iv) राज्य पुलिस के संगठनात्मक कार्य की पांच-वर्षीय सामरिक महत्व की (स्ट्रेटेजिक) पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) योजना (प्लान) तथा वार्षिक पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) उप-योजना (सब-प्लान) और राज्य पुलिस बोर्ड द्वारा यथा परिलक्षित तथा अधिकथित कार्य परिचालन सूचकों के विरुद्ध पुनर्विलोकन और मूल्यांकन करेगा; और

(2) बोर्ड, उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट मामलों की बाबत, राज्य सरकार को सिफारिशें करेगा जो सामान्यतः राज्य सरकार पर आबद्धकर होंगी और सिफारिशों पर की गई कार्रवाई तीन मास की अवधि के भीतर बोर्ड को सूचित की जाएगी:

परन्तु यदि सरकार की यह राय है कि बोर्ड की किसी सिफारिश को लागू करना लोक हित में व्यवहार्य नहीं है तो यह इसके कारणों को संसूचित करेगी जो बोर्ड के समक्ष इसकी आगामी बैठक में रखे जाएंगे।

कारबार का संव्यवहार। **54.** (1) बोर्ड की बैठकों के लिए सूचना (नोटिस) सदस्य सचिव द्वारा प्रत्येक बैठक के कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व जारी की जाएगी। किसी मद पर प्रश्न करने की इच्छा रखने वाले सदस्य सूचना (नोटिस) भेजेंगे ताकि यह सदस्य सचिव के पास कम से कम सात दिन पूर्व पहुंच जाए और मदन बोर्ड के अध्यक्ष के अनुमोदन से उठाई जाएंगी।

(2) समस्त बैठकें, जब तक कि बोर्ड अन्यथा विनिश्चय न करे, शिमला में ही होंगी। बोर्ड की कार्यवाहियों का अभिलेख सदस्य सचिव द्वारा रखा जाएगा जो प्रत्येक बैठक के पन्द्रह दिन के भीतर इसे अध्यक्ष के अनुमोदन से परिचालित करवाएगा।

(3) बोर्ड की बैठक हेतु गणपूर्ति, बोर्ड की कुल सदस्यता के एक तिहाई से होगी। गणपूर्ति के अभाव में, बोर्ड की बैठक उसी समय के लिए आगामी कार्य दिवस को स्थगित की जाएगी और इस प्रकार स्थगित बैठक के लिए कोई भी गणपूर्ति अपेक्षित नहीं होगी।

(4) बोर्ड, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कारबार के संव्यवहार के लिए स्वयं अपनी प्रक्रिया बनाएगा (प्रकल्पित) करेगा।

बोर्ड के कामकाज पर वार्षिक रिपोर्ट। **55.** (1) बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अवसान के तीन मास के भीतर, बोर्ड द्वारा आगामी वर्ष के लिए यथा अनुमोदित वार्षिक पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) उप-योजना (सब-प्लान) सहित वर्ष के दौरान इस द्वारा किए गए कार्य के साथ-साथ राज्य पुलिस के कार्यों पर रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा। रिपोर्ट में उन सभी मामलों का वर्णन होगा जहां इस की सिफारिशों को, अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार या तो स्वीकार नहीं किया गया है या उन के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

(2) राज्य सरकार, की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सहित प्रत्येक ऐसी रिपोर्ट को, इसकी प्राप्ति के दो मास अपश्चात्, राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखवाएगी।

56. (1) एक राज्य पुलिस स्थापना समिति होगी जिसका प्रमुख पुलिस स्थापना समितियां। (हैड) पुलिस महानिदेशक होगा और जो पुलिस महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट चार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, जो पुलिस महानिरीक्षक की पंक्ति से नीचे के न हों, से समाविष्ट होगी। राज्य पुलिस स्थापना समिति—

- (i) अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों की समस्त तैनातियों (पोसटिंग) तथा स्थानांतरण और संगठन से बाहर प्रतिनियुक्ति और समस्त विंगों में अन्तर रेंज स्थानांतरण, सरकार के पूर्व अनुमोदन से इस बाबत अनुदेशों के अनुसार अनुमोदित करने;
- (ii) पुलिस उप-महानिरीक्षक तथा जिला अधीक्षक को अपनी अधिकारिता के भीतर स्थानांतरणों पर सामान्य नीति निदेश तथा स्थायी आदेश जारी करना अनुमोदित करने;
- (iii) पुलिस महानिदेशक के अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा जारी स्थानांतरण आदेशों के विरुद्ध अभ्यावेदनों की सुनवाई करने तथा निपटाने;
- (iv) इस अधिनियम और सुसंगत नियमों के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार के राजपत्रित पुलिस अधिकारियों की तैनाती (पोसटिंग) तथा स्थानान्तरण हेतु प्रस्ताव की सिफारिशें करने; और
- (v) राजपत्रित पुलिस अधिकारियों से सेवा मामलों को अभ्यावेदनों के बारे में राज्य सरकार को सिफारिशें करने :

परन्तु पुलिस महानिदेशक राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, पुलिस संगठन के भीतर किसी विनिर्दिष्ट इकाई हेतु ऐसी इकाई के भीतर अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों की तैनातियां (पोसटिंग) तथा स्थानान्तरण करने के लिए स्थापना समिति का गठन कर सकेगा।

57. पुलिस महानिदेशक, प्रत्येक मास पुलिस गजट प्रकाशित करवाएगा जिसमें विभागीय आदेश, अधिसूचनाएं तथा पुलिस संगठन के भीतर परिचालन हेतु सामान्य हित के परिपत्र (सर्कुलर) होंगे; और प्रकाशन के समुचित अंशों को पुलिस विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

पुलिस
गजट।

वित्तीय प्रबन्धन।

58. (1) पुलिस महानिदेशक, पुलिस सेवा की पूर्ण रूप से बजट सम्बन्धी अपेक्षाओं (बजट्टी रिक्वायर्मेंट) को पर्याप्त: अग्रिम रूप में प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी होगा।

(2) बजट सम्बन्धी आबंटन (बजट्टी ऐलोकेशन) पुलिस महानिदेशक के निपटारे पर रखा जाएगा जिसमें बजट के प्रत्येक शीर्ष के अधीन निश्चित रकम का व्यय करने की शक्तियां निहित होंगी।

सराहनीय सेवा को मान्यता।

59. राज्य सरकार, राज्य पुलिस बोर्ड के अनुमोदन से अराजपत्रित और राजपत्रित पुलिस अधिकारियों, जिन्होंने असाधारणतया सराहनीय कार्य किया हो या जिन्होंने उच्चतर आदेश के कर्तव्य के प्रति निष्ठा दर्शायी हो, की मान्यता के लिए स्कीम विरचित करेगी और राज्य पुलिस बोर्ड प्रत्येक वर्ष स्कीम के उपबन्धों के अनुसार लोक मान्यता के लिए उपयुक्त पुलिस अधिकारियों के नामों की अनुसंशा राज्य सरकार को करेगा।

अध्याय-6

पुलिस की भूमिका, कृत्य, कर्तव्य और उत्तरदायित्व

पुलिस की भूमिका और कृत्य।

60. (1) साधारण या विशेष आदेशों द्वारा राज्य पुलिस की इकाइयों या व्यक्तिगत सदस्यों को विनिर्दिष्ट कर्तव्यों को सौंपने के अध्यक्षीन, पुलिस सेवा की सामान्य भूमिका और कृत्य निम्नलिखित होंगे—

- (i) कानून की मर्यादा को बनाए रखने के लिए कार्य करना और जनसाधारण (लोक सदस्यों) के जीवन, स्वतन्त्रता, सम्पत्ति और मानव अधिकारों का संरक्षण करना, और समुदाय में सुरक्षा की भावना विकसित करना तथा बनाए रखना;
- (ii) लोक व्यवस्था का संवर्धन और परिरक्षण करना और सार्वजनिक स्थानों में न्यूसेंस का निवारण करना;
- (iii) आन्तरिक सुरक्षा का संरक्षण और आंतकवादी क्रियाकलापों, बलवों, विद्रोहों, औद्योगिक या अन्य हड़तालों, सांप्रदायिक सद्भावना

भंग करने, उग्रवादी हिंसा, युयुत्सु (मिलिटेंट) क्रियाकलापों और आन्तरिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाली अन्य परिस्थितियों का निवारण और नियन्त्रण करना;

- (iv) सार्वजनिक सम्पत्तियों और सार्वजनिक अवसंरचना का संरक्षण करना;
- (v) निवारक कार्रवाई, गुप्त जमावों (इन्टैलीजेंस गैदरिंग) और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से अपराधों का निवारण करना तथा अपराध के अवसरों को कम करना;
- (vi) वैज्ञानिक रीतियों के प्रयोग से पक्षपात रहित और व्यावसायिक रूप से समस्त अपराधों का अन्वेषण करना और अपराधियों को पकड़ना (गिरफ्तार करना);
- (vii) न्यायालय में अन्वेषण का समुचित उपस्थापन सुनिश्चित करते हुए अपराधियों के अभियोजन में सहायता करना;
- (viii) प्रथम प्रत्युत्तरदायियों के रूप में प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाओं से उत्पन्न स्थिति में लोगों को यथा सम्भव सहायता और मदद प्रदान करना और राहत तथा पुनर्वास उपायों में लगे अन्य अभिकरणों को सक्रिय सहायता प्रदान करना;
- (ix) जिन व्यक्तियों को शारीरिक अपहानि या सम्पत्ति का खतरा है, उनकी सहायता करना और आवश्यक सेवाएं प्रदान करना तथा दीन परिस्थितियों में लोगों को राहत प्रदान करना;
- (x) सार्वजनिक स्थानों में लोगों के व्यवस्थित संचलन को सुकर बनाना, उनकी सामान्य सुरक्षा और बचाव को सुनिश्चित करना तथा इस प्रयोजन के लिए सार्वजनिक सभाओं, मेलों और जुलूसों को सुव्यवस्थित करना;
- (xi) यातायात को मार्गों, सड़कों और उच्च मार्गों तथा साधारणतया सार्वजनिक स्थानों पर विनियमित और व्यवस्थित करना और बाधा हटाना;

- (xii) लोक शान्ति को प्रभावित करने वाले मामलों, सामाजिक और आर्थिक अपराध और संगठित अपराध, साम्प्रदायिकता, अतिवाद, आतंकवाद सहित अपराधों और राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बद्ध अन्य मामलों से सम्बद्ध आसूचना का संग्रहण करना तथा लोक शान्ति बनाए रखने और अपराधों के निवारण के लिए समस्त आवश्यक कार्रवाई करना;
- (xiii) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर मंजूर किए गए राजकोषों, हवालातों और अन्य अवस्थानों के लिए इस निमित्त, स्थायी आदेशों के अनुसार गार्डों का प्रबन्ध करना;
- (xiv) महानिदेशक पुलिस द्वारा समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अनुसार विधिपूर्ण अभिरक्षा में कैदियों या अन्यो या मूल्यवान वस्तुओं के लिए अनुरक्षकों का प्रबन्ध करना; और
- (xv) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो इस अधिनियम के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अपेक्षित हों, या जो विहित किए जाएं।

पुलिस के सामाजिक उत्तरदायित्व।

61. (1) प्रत्येक पुलिस अधिकारी:—

- (i) जनसाधारण (लोक सदस्यों) के साथ सम्यक् शिष्टाचार और शालीनता से व्यवहार करेगा;
- (ii) जनसाधारण (लोक सदस्यों) विशिष्टतया बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों, गरीबों और निर्धनों तथा शारीरिक या मानसिक रूप से प्रभावित व्यक्तियों का मार्ग दर्शन और सहायता करेगा, जिन्हें सहायता और संरक्षण की आवश्यकता हो;
- (iii) सार्वजनिक स्थानों और लोक परिवहन में बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के उत्पीड़न का निवारण (रोकथाम) करेगा;
- (iv) किसी व्यक्ति या संगठित समूह द्वारा आपराधिक शोषण के विरुद्ध लोक सदस्यों, विशिष्टतया बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और गरीब तथा निर्धन व्यक्तियों को समस्त अपेक्षित सहायता देगा;

- (v) अभिरक्षा में प्रत्येक व्यक्ति को वैध रूप से अनुज्ञेय भरण—पोषण और आश्रय की व्यवस्था करेगा और अभिरक्षा में रखे गए सभी व्यक्तियों को राज्य में प्रवृत्त की गई विधिक सहायता स्कीमों के उपबन्धों की जानकारी देगा तथा सम्बद्ध प्राधिकारी को ऐसी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए सूचित करेगा;
- (vi) अपराध के और सड़क तथा अन्य दुर्घटनाओं के पीड़ितों को समस्त अपेक्षित सहायता प्रदान करेगा और विशिष्टतया सुनिश्चित करेगा कि उन्हें तुरन्त चिकित्सा सहायता, इस प्रयोजन के लिए सज्जित निकटतम सुविधा स्थान पर दी जाए;
- (vii) अपराध के और सड़क तथा अन्य दुर्घटनाओं के पीड़ितों या उनके निकटतम सम्बन्धियों को ऐसी सूचना और दस्तावेजों के साथ सहायता करेगा जिनसे उनके प्रतिकर दावे सुकर होंगे या किन्हीं विधिक अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए उन्हें समर्थ बनाएगा; और
- (viii) अपराध के पीड़ितों या उनके निकटतम सम्बन्धी और साक्षियों को, अपराध के अन्वेषण तथा अपराधियों के अभियोजन के दौरान सकारात्मक प्रत्युत्तर देगा।
- (ix) पुलिस अधिकारी हर समय विधि के दायित्वाधीन रहेंगे और लोगों की विधिपूर्ण आवश्यकताओं के लिए दायी होंगे और नीतिपरक आचरण और सत्यनिष्ठा की संहिता का अनुपालन करेंगे।

62. (1) इस अधिनियम के अधीन पुलिस की भूमिका और कृत्यों के निर्वहन के लिए मुख्य उत्तरदायित्व जिला पुलिस अधीक्षक की नेतृत्व वाली सम्बद्ध जिला पुलिस का होगा जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए: पुलिस सेवा के कर्तव्य।

परन्तु राज्य सरकार साधारण आदेश द्वारा, आपराधिक अन्वेषण, यातायात, आसूचना (इन्टैलिजेंस), कानून और व्यवस्था आदि के लिए जिला या पुलिस थाना स्तर पर विशेष इकाईयां सृजित या अभिहित कर सकेगी और ऐसे मामले में आदेश में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायित्व, ऐसी इकाई का होगा।

(2) राज्य इकाई में तैनात प्रत्येक पुलिस का यह कर्त्तव्य होगा कि वह, उसे सौंपी गई भूमिका और कृत्यों के निर्वहन के लिए अपनी पूरी योग्यता के साथ इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का समुचित प्रयोग करे।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी किसी अधीनस्थ अधिकारी के कर्त्तव्यों का पालन स्वयं कर सकेगा।

63. आरक्षी (कॉस्टेबल) से वरिष्ठ पंक्ति (रैंक) का पुलिस अधिकारी उसके अधीनस्थ अधिकारी को विधि द्वारा या विधिपूर्ण आदेश द्वारा सौंपे गए किसी भी कर्त्तव्य का पालन कर सकेगा और ऐसे अधीनस्थ पर अधिरोपित (सौंपे) किसी कर्त्तव्य की दशा में, वरिष्ठ ऐसे अधीनस्थ की किसी कार्रवाई को स्वयं द्वारा या उसकी कमाँड या प्राधिकार के अधीन विधिपूर्ण कार्य कर रहे व्यक्ति की कार्रवाई द्वारा सहायता, अनुपूर्ति, अतिष्ठित या निवारित कर सकेगा जब कभी उसे विधि को और अधिक पूर्ण या सुविधाजनक प्रभाव देने के लिए या उसके अतिल्लंघन का परिवर्जन करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

सभी व्यक्ति पुलिस अधिकारी के युक्तियुक्त निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

64. सभी व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा उसके कर्त्तव्यों के निर्वहन में दिए गए युक्तियुक्त और विधिपूर्ण निदेशों की अनुपालना के लिए आबद्ध होंगे। जहां कोई व्यक्ति ऐसे किसी निदेश की अनुपालना करने का प्रतिरोध करता है, इन्कार करता है या असफल रहता है तो पुलिस अधिकारी किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे व्यक्ति को हटा सकेगा या गिरफ्तार कर सकेगा और यथाशक्य शीघ्र और किसी भी दशा में चौबीस घण्टे के भीतर अधिकारिता रखने वाले नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे पेश कर सकेगा।

गिरफ्तारी और निरुद्ध करना।

65. (1) कोई पुलिस अधिकारी विधि के अनुसार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार या निरुद्ध करने के लिए—

- (i) नाम, रैंक और संगठन के नाम जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, सहित सही, दृश्यमान और स्पष्ट पहचान पहनेगा या प्रदर्शित करेगा;
- (ii) गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी की तारीख, समय और स्थान का नाम देते हुए एक गिरफ्तारी ज्ञापन (मेमो) तैयार करेगा और तत्काल अपने अव्यवहित वरिष्ठ को लिखित संसूचना भेजेगा;

- (iii) गिरपतार किए गए व्यक्ति को, जैसे ही वह गिरपतार या निरुद्ध किया जाता है, उसकी पसन्द के किसी वादमित्र को उसकी गिरपतारी या निरुद्ध किए जाने की सूचना देने के अधिकार की जानकारी देगा और तत्काल, परन्तु चौबीस घण्टे के अपश्चात्, ऐसे व्यक्ति को यथाशक्य शीघ्र सूचित करेगा।
- (iv) व्यक्ति की गिरपतारी की बाबत, निरुद्ध किए जाने के स्थान पर डायरी में, गिरपतार व्यक्ति के वादमित्र, जिसे उसकी गिरपतारी के बारे में सूचित किया गया है, का नाम निर्दिष्ट करते हुए और पुलिस अधिकारी, जिसकी अभिरक्षा में गिरपतार व्यक्ति है, के नामों और विशिष्टियों की प्रविष्टि करेगा;
- (v) प्रयोजन के लिए अभिहित चिकित्सक द्वारा तुरन्त चिकित्सा परीक्षण के लिए और अभिरक्षा में उसके निरुद्ध होने के दौरान प्रत्येक अड़तालीस घण्टे में और चिकित्सा परीक्षण के लिए व्यवस्था करेगा;
- (vi) गिरपतारी के ज्ञापन (मेमो) सहित समस्त दस्तावेजों की प्रतियां अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को विधि के उपबन्धों के अनुसार, भेजेगा।
- (vii) गिरपतार व्यक्ति को अपने वकील से, ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, मिलने की अनुज्ञा देगा; और
- (viii) गिरपतार व्यक्ति का नाम और अन्य विशिष्टियों को निरुद्ध किए जाने के स्थान पर सूचना पट्ट पर और ऐसे अन्य स्थानों पर, जैसे विहित किए जाएं, प्रदर्शित करेगा।

(2) किसी व्यक्ति को गिरपतार या निरुद्ध करने या गिरपतार व्यक्ति को अभिरक्षा में रखने के लिए केवल उतने ही बल का प्रयोग किया जाएगा जितना यह सुनिश्चित करने के लिए युक्ति-युक्त रूप से अपेक्षित है कि उसमें बच निकलने की सम्भावना न रहे और गिरपतार या विधि पूर्ण पुलिस अभिरक्षा में व्यक्ति के लिए हथकड़ी का सहारा तभी लिया जाएगा जब युक्तियुक्त आशंका हो

कि ऐसा व्यक्ति हिंसात्मक हो सकता है, आत्महत्या का प्रयत्न कर सकता है, या बच निकल सकता है या गिरफ्तारी या निरोध (रोके जाने) से बलपूर्वक छुड़ाया जा सकता है।

(3) महानिदेशक पुलिस इस धारा के अधीन मामलों की बाबत विस्तृत प्रक्रिया स्थाई आदेश द्वारा विहित करेगा।

पुलिस
अधिकारियों के
लिए प्रतिषिद्ध
आचरण।

66. (1) जब तक कि राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अभिव्यक्ततः अनुज्ञा न दे दे कोई भी पुलिस अधिकारी अपने पद के कर्तव्यों से अपने को प्रत्याहृत नहीं करेगा।

(2) कोई भी पुलिस अधिकारी अपने पद से तब तक त्यागपत्र नहीं देगा जब तक उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी को कम से कम तीन मास की लिखित में सूचना (नोटिस) न दी हो।

(3) जब तक सक्षम प्राधिकारी ऐसा करने के लिए अभिव्यक्ततः लिखित रूप में अनुज्ञा न दे दे, कोई भी पुलिस अधिकारी किसी अन्य नियोजन या पद पर नहीं लगेगा।

अध्याय-7

ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस तैनाती (पोलिसिंग)

ग्रामीण क्षेत्रों में
पुलिस सेवाएं।

67. (1) पुलिस थाना की क्षेत्रीय अधिकारिता, हलकों (बीटों) की उपयुक्त संख्या में विभाजित की जाएगी, प्रत्येक के अन्तर्गत ग्राम या उसके भाग या ग्रामों के समूह आएंगे जिन्हें ग्रेड-II के अराजपत्रित पुलिस अधिकारी (जिसे हलका (बीट) अधिकारी कहा जाएगा) के, सीधे प्रभार के अधीन, ग्रामों के साथ नियमित और निकट सम्पर्क बनाए रखने के लिए रखा जाएगा।

(2) प्रत्येक पुलिस थाना का भारसाधक अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी अधिकारिता के भीतर प्रत्येक ग्राम, जिला के पुलिस अधीक्षक द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, विहित रीति में, हलका (बीट) अधिकारी के अन्तर्गत है।

(3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा ग्राम, ग्रामों के समूह या हलका (बीट) के लिए स्थानीय रक्षकों के रूप में उपयुक्त व्यक्तियों के पदनाम या नियुक्ति के लिए स्कीम प्रकाशित करेगी और उन्हें ऐसे कर्तव्य, उत्तरदायित्व और कृत्यों को सौंपेगी जो आसूचना (इन्टैलिजैन्स) एकत्रित करने के लिए और अपराध की रोकथाम में सहायता करने के लिए तथा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोकहित में समय-समय पर अपेक्षित हो।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में, इस अधिनियम के अध्याय 8 के अन्तर्गत आए शहरी पुलिस जिलों, पुलिस उप-मण्डलों और पुलिस थानों से अन्यथा, समस्त क्षेत्र सम्मिलित हैं।

68. (1) हलका (बीट) अधिकारी के उसके हलका (बीट) की बाबत, निम्नलिखित कर्तव्य और उत्तरदायित्व होंगे:—

हलका (बीट)
अधिकारी के
कर्तव्य और
उत्तरदायित्व।

- (i) समुदाय वयोवृद्धों, उस ग्राम में रहने वाले पंचायत के सदस्यों, स्थानीय नम्बरदार, स्थानीय कर्मचारियों जैसे कि पटवारी, वन रक्षक और पंचायत चौकीदार और उसके प्रभार के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक ग्राम के निवासियों के साथ सम्पर्क बनाए रखना तथा प्रत्येक दौरे के दौरान, ग्राम में अपराध निवारण उपायों का पुनर्विलोकन करना;
- (ii) ग्राम में अपराधों और अपराधियों तथा विद्रोहियों की गतिविधियां, युयत्सु (मिलिटेन्ट) और असमाजिक तत्वों, यदि कोई हैं, के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करना और उसे पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी को संसूचित करना;
- (iii) इतिवृत्त अपराधियों और दुश्चरित्र व्यक्तियों, यदि कोई हैं, और अन्य आपराधिक रिकार्ड वाले व्यक्तियों पर नजर रखना;
- (iv) सम्भाव्य हिंसा वाले स्थानीय विवादों या जाति/साम्प्रदायिक झंगितों की जानकारी रखना और पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी को समस्त उपलब्ध ब्यौरों की सूचना देना;

- (v) हलका (बीट) को सौंपे गए ग्रामों की बाबत साक्षियों के संरक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करने सहित अन्य कोई पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) के कार्यों, जैसे समय-समय पर सौंपे जाएं, को कार्यान्वित करना;
- (vi) किसी लोक शिकायत और पुलिस तैनात करने (पोलिसिंग) से सम्बन्धित शिकायतों का अभिलेख रखना और तत्परता से पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी को सूचित करना; और
- (vii) उसके दौरों के दौरान उसके द्वारा कार्यान्वित किए गए कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का अभिलेख ऐसी रीति में बनाए रखना, जैसी विनिर्दिष्ट की जाए और उसे प्रत्येक मास पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी को सौंपना।

ग्राम पंचायत को सहायता।

69. पुलिस थाना का भारसाधक अधिकारी और हलका (बीट) अधिकारी, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अधीन विहित रीति में ग्राम पंचायत को, किसी अपराध की जो उसकी जानकारी में आया है और जो पंचायत की अधिकारिता के भीतर किया गया है और पंचायत द्वारा विचारणीय है, तुरन्त सूचना देगा। वह ऐसे समस्त मामलों में, इसके प्राधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में, पंचायत की सहायता करेगा।

पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी और पर्यवेक्षण पुलिस अधिकारियों द्वारा ग्राम के दौरे।

70. (1) पुलिस थाना का भारसाधक अधिकारी, ऐसी रीति में, जैसी विनिर्दिष्ट की जाए, एक ग्राम रजिस्टर बनाए रखेगा और उसमें हलका (बीट) अधिकारी की मासिक रिपोर्ट पर मुख्य अपराधों, घटनाओं या अपराध आधारित संभाव्यता सहित प्रविष्टियां करेगा और जिला पुलिस अधीक्षक के परामर्श से ग्रामों को "संवेदनशील" या "असंवेदनशील ग्रामों" के रूप में वर्गीकृत करेगा।

(2) पुलिस थाना का भारसाधक अधिकारी, उसकी अधिकारिता में आने वाले प्रत्येक ग्राम का पुलिस अधीक्षक द्वारा, साधारण या विशेष आदेश के माध्यम से, विनिर्दिष्ट रीति में, दौरा करेगा और ऐसा करते समय वह ऐसे ग्रामों का दौरा प्रथम प्राथमिकता पर करेगा जिसे ग्राम रजिस्टर में "संवेदनशील" के रूप में अभिलिखित किया गया है।

(3) पुलिस अधीक्षक सहित समस्त पर्यवेक्षण अधिकारी उनकी अधिकारिता में आने वाले इतने ग्रामों का, जहां तक सम्भव हो, "संवेदनशील" ग्रामों को प्राथमिकता देते हुए, दौरा करेगा। ऐसे दौरों का प्रयोजन अपराध, कानून की स्थिति और गतिविधियां, यदि कोई हैं, हिंसा तथा क्षेत्र में युयुत्सु (मिलिटेन्ट) व्यक्तियों या समूह की सामान्य स्थिति का पुनर्विलोकन करना और साधारणतः ग्राम में अपराध पर प्रभाव डालने वाली घटनाओं से स्वयं अवगत रहना और कानून और व्यवस्था या पुलिस तैनाती कार्य तथा यथा-सम्भव ऐसे स्थानीय निवासियों से अन्तर्व्यवहार करना ताकि पुलिस सेवा के साथ लोक संतुष्टि के संतुलन का निर्धारण हो सके।

(4) जब कभी प्राप्त सूचना के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि किसी क्षेत्र में हिंसा या मुख्य अपराध या सम्पत्ति के नुकसान की संभावना है तो पुलिस अधीक्षक जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से उस क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम के लिए स्थानीय लोगों के समूह और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के संगठन को निवारक गश्त लगाने, अपराध कम करने के उपायों के संवर्धन को कार्यान्वित करने और साधारणतया पुलिस को उसके कृत्यों में सहायता करने के प्रयोजन के लिए, निदेश दे सकेगा। समूह को ग्राम सुरक्षा समिति कहा जाएगा और उसमें पन्द्रह से अनधिक सदस्य हो सकेंगे।

(5) ग्राम सुरक्षा समितियों के सदस्य, पुलिस अधीक्षक द्वारा स्थानीय पंचायत के परामर्श से, पच्चीस और पैंतालीस वर्ष की आयु के और अच्छे चरित्र और पूर्ववृत्त वाले हृष्ट-पुष्ट व्यक्तियों में से, जो उस ग्राम के स्थाई निवासी हों, और जिन्हें न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं किया गया है या जो पुलिस द्वारा आपराधिक मामले में आरोपित नहीं किए गए हैं या किसी लोक नियोजन से नैतिक अधमता, भ्रष्टाचार या अवचार के आधार पर सेवा से पदच्युत, हटाए, उन्मुक्त या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त नहीं कर दिए गए हैं या किसी राजनैतिक दल के पदाधिकारी नहीं हैं, को शामिल किया जाएगा और सदस्यों को शामिल करते समय गृह रक्षकों, भूतपूर्व सैनिकों और जिन्होंने पहले ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्य के रूप में संतोषजनक काम किया हो, को अधिमान दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक एक सदस्य को, उसके अनुभव और नेतृत्व के गुणों के आधार पर समिति, दल (पार्टी) के नेता (लीडर) के रूप में नियुक्त करेगा और किसी सदस्य या नेता (लीडर) को हटा या बदल सकेगा यदि उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है।

(6) ग्राम सुरक्षा समिति एक सौ अस्सी दिन से अनधिक अवधि के लिए संगठित की जाएगी। परन्तु अवधि को पुलिस अधीक्षक द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और एक सौ अस्सी दिन के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(7) ग्राम सुरक्षा समिति की सदस्यता स्वैच्छिक और अवैतनिक होगी और ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्य अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी फोटो पहचान बैज पहनेंगे।

(8) यदि कोई व्यक्ति ग्राम सुरक्षा समिति का सदस्य नहीं रह जाता है, तो वह फोटो पहचान बैज और ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्य के रूप में उसके कब्जे में के समस्त अभिलेख और दस्तावेजों को तत्काल पुलिस अधीक्षक या उस द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को परिदत्त करेगा।

परामर्शात्मक
क्रियाविधि
(मैकॅनिज्म)।

71. (1) जिला पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से, साधारणतः पुलिस को उनके कृत्यों में परामर्श देने के लिए क्षेत्र के अन-अधिपेक्षणीय चरित्र और पूर्ववृत्त वाले प्रतिष्ठित स्थानीय निवासियों, सेवानिवृत्त लोक सेवकों और शैक्षिक संस्थानों के प्रमुखों, यदि कोई हैं, सहित और समुदाय के अन्य प्रतिनिधियों से समाविष्ट प्रत्येक पुलिस थाना के लिए एक सामुदायिक सम्पर्क समूह का गठन करेगा। समूह में पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम में समाज के समस्त वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व रहेगा और समूह में कम से कम एक तिहाई महिलाएं समाविष्ट होंगी। इस समूह में, सम्बद्ध पुलिस थाना की अधिकारिता में आने वाली प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा इसके सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट दो प्रतिनिधि और प्रत्येक नगरपालिका समिति तथा नगर पंचायत द्वारा इसके सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट एक सदस्य होगा:

परन्तु न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध या आपराधिक मामले में पुलिस द्वारा आरोपित किया गया या किसी लोक नियोजन से भ्रष्टाचार, नैतिक अधमता या अवचार के आधार पर सेवा से पदच्युत, हटाया, उन्मुक्त या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त किया गया कोई व्यक्ति सामुदायिक सम्पर्क समूह में शामिल किए जाने या बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह और कि किसी राजनैतिक दल का कोई पदाधिकारी समूह में शामिल किए जाने का पात्र नहीं होगा।

(2) पुलिस अधीक्षक सामुदायिक सम्पर्क समूह के सदस्यों में से एक सदस्य को संयोजक के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगा। समूह, क्षेत्र की वर्तमान और उभरती पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) की आवश्यकताओं को व्यक्त करेगा, जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला के लिए सामरिक महत्व की (स्ट्रेटिजिक) पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) योजना और वार्षिक उप-योजना को तैयार करते समय विचार किया जाएगा और समूह ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जैसे विहित किए जाएं।

(3) समूह, उतनी बैठकें करेगा जितनी आवश्यक हो परन्तु प्रत्येक मास में कम से कम एक बैठक करेगा और पुलिस थाना का भारसाधक अधिकारी सभी बैठकों में भाग लेगा। संयोजक द्वारा प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां इसके सदस्यों को परिचालित की जाएंगी और इसकी एक प्रति पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी को भी अग्रेषित की जाएंगी जो उस पर अपनी टीका-टिप्पणियों सहित एक प्रति को जिला पुलिस अधीक्षक और उप-मण्डल पुलिस अधिकारी को पृष्ठांकित करेगा।

(4) जब उप-मण्डल मजिस्ट्रेट या उप-मण्डल पुलिस अधिकारी को ऐसा प्रतीत हो, कि लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए या अन्य आपात परिस्थितियों में सामुदायिक सम्पर्क समूह की बैठक बुलाई जानी समीचीन है, तो वह या तो संयोजक को बैठक बुलाने का निर्देश देगा या अपनी अध्यक्षता में समूह की विशेष बैठक बुला सकेगा।

अध्याय-8

शहरी क्षेत्रों में पुलिस तैनाती (पोलिसिंग)

72. (1) नगर निगम या नगरपालिका या नगर पंचायत के रूप में घोषित शहरी क्षेत्र में बेहतर पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) के लिए, सरकार, विहित किए जाने वाले मानकों के आधार पर, ऐसे शहरी क्षेत्र की क्षेत्रीय अधिकारिता में पुलिस थाना, पुलिस उप-मण्डल या पुलिस जिला सृजित कर सकेगी।

शहरी पुलिस जिलों, उप-मण्डलों और पुलिस थानों का गठन।

(2) उपधारा (1) के अधीन सृजित पुलिस जिला या पुलिस उप-मण्डल या पुलिस थाना को, यथास्थिति, 'शहरी पुलिस जिला' या 'शहरी पुलिस उप-मण्डल' या 'शहरी पुलिस थाना' कहा जाएगा।

शहरी क्षेत्रों में
पुलिस के
कर्तव्य और
उत्तरदायित्व।

73. (1) प्रत्येक शहरी पुलिस थाना, शहरी पुलिस उप-मण्डल और शहरी पुलिस जिला में एक पुलिस नियन्त्रण कक्ष होगा जो चौबीस घण्टे प्रचालन में रहेगा और संचार और परिवहन प्रसुविधाओं तथा आपातकालीन सेवाओं, जैसी आवश्यक समझी जाएं, से सज्जित (युक्त) होगा।

(2) प्रत्येक शहरी पुलिस जिला में कम से कम निरीक्षक की पंक्ति के पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में एक अलग यातायात विंग होगा।

(3) शहरी पुलिस जिला, शहरी पुलिस उप-मण्डल और शहरी पुलिस थाना का भारसाधक अधिकारी ऐसे शहरी क्षेत्रों में नगर योजना, आवश्यक सेवाओं या आपातकालीन सेवाओं से सम्बन्धित बैठक में आमंत्रित अतिथि होगा।

(4) इस अधिनियम के अध्याय-7 के उपबन्ध शहरी पुलिस जिलों, शहरी पुलिस उप-मण्डलों और शहरी पुलिस थानों को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

अध्याय-9

लोक व्यवस्था और आन्तरिक सुरक्षा

लोक व्यवस्था,
आन्तरिक
सुरक्षा और
आपदा
प्रबन्धन।

74. (1) पुलिस महानिदेशक, सम्पूर्ण राज्य के साथ-साथ प्रत्येक जिले और प्रमुख शहरी क्षेत्रों के लिए, लोक व्यवस्था प्रबन्ध से निपटने के लिए, एक राज्य सुरक्षा स्कीम विरचित करवाएगा और इसे राज्य पुलिस बोर्ड के समक्ष इसके अनुमोदन के लिए रखेगा।

(2) जिला स्तरीय आन्तरिक सुरक्षा स्कीम में जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा तैयार की जाएंगी और जिला मजिस्ट्रेट तथा मण्डल के आयुक्त के समर्थन और सुझावों सहित महानिदेशक पुलिस को भेजी जाएंगी और प्रतिवर्ष अद्यतन की जाएंगी।

(3) आन्तरिक सुरक्षा स्कीम में, स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर बलवों, आक्रमण, विद्रोह, आतंकवाद, तोड़-फोड़, हड़तालें, औद्योगिक या मानव निर्मित आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं और इसी प्रकार की आपदाओं सहित लोक सुरक्षा से अन्तर्वलित, समस्त प्रत्याशित आकस्मिकताएं आएंगी।

(4) जिला पुलिस अधीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि विभिन्न आकस्मिकताओं में प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं तथा मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एस.ओ.पी.ज़) के प्रबन्धन के लिए जिला पुलिस के पास उपलब्ध स्रोतों से सम्बन्धित समस्त सूचना जिला मजिस्ट्रेट को उपलब्ध करवाए और जिला स्तरीय आपदा प्रबन्धन योजनाएं बनाए जाने में परामर्श दे ।

(5) आन्तरिक सुरक्षा स्कीमों में, पुलिस द्वारा स्वतन्त्र रूप से या अन्य सम्बद्ध अभिकरणों के साथ पूर्ववर्ती अवधि में और सुरक्षा संकट के दौरान, उसके बाद के परिणाम में, की जाने वाली कार्रवाई के लिए नियमित, अद्यतन और व्यापक मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एस.ओ.पी.ज़.) सम्मिलित की जाएंगी ।

(6) जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय आन्तरिक सुरक्षा स्कीमों के आधार पर, पुलिस महानिदेशक, आवश्यक उपस्कर के अर्जन और विशेष इकाइयों सहित पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए योजनाएं तैयार करेगा और समय-समय पर राज्य पुलिस बोर्ड को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा ।

75. (1) यदि राज्य की सुरक्षा, किसी क्षेत्र में विद्रोह द्वारा या आतंकवाद या युयुत्सु (मिलिटेन्ट) गतिविधि द्वारा संकट में है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र को विशेष सुरक्षा परिक्षेत्र (जोन) घोषित कर सकेगी ।

विशेष सुरक्षा
परिक्षेत्रों
(जोनज) की
घोषणा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, जब तक कि यह राज्य विधान मण्डल द्वारा नियत अवधि के भीतर संकल्प द्वारा अनुमोदित नहीं कर दी जाती है, तीन मास के अवसान पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी:

परन्तु यदि राज्य विधानमण्डल नियत अवधि के भीतर भंग हो जाता है, तो अधिसूचना, राज्य विधानमण्डल के पुनर्गठन की तारीख से तीस दिन के अवसान पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी जब तक कि इसे राज्य विधानमण्डल द्वारा संकल्प द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो ।

(3) उपधारा (1) के अधीन जारी और उपधारा (2) के अधीन अनुमोदित अधिसूचना ऐसी अवधि, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जा सकेगी, के अवसान पर परन्तु दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, प्रवर्तन में नहीं रहेगी:

परन्तु यदि ऐसी अधिसूचना के प्रवर्तन में बने रहने को अनुमोदित करने वाला संकल्प राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित कर दिया गया है, तो अधिसूचना ऐसी और अवधि, जैसी संकल्प में विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए प्रवर्तन में बनी रहेगी परन्तु उस तारीख से जिसको कि यह अन्यथा प्रवर्तन में न रहती, से दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए प्रवर्तन में नहीं रहेगी।

(4) इस धारा के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना यथाशीघ्र राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखी जाएगी।

विशेष सुरक्षा
परिक्षेत्रों
(जोनज) का
प्रशासन।

76. (1) राज्य सरकार, पुलिस बोर्ड की सिफारिश पर विद्रोह या आतंकवाद या युयुत्सा (मिलिटेन्सी) के संकट से निपटने के लिए अधिसूचना द्वारा किसी विशेष सुरक्षा परिक्षेत्र (जोन) में समुचित पुलिस और प्रशासनिक संरचना का सृजन कर सकेगी और पुलिस महानिदेशक के परामर्श से पुलिस और प्रशासनिक संरचनाओं द्वारा अनुसरण में लाई जाने वाली प्रक्रियाओं को विहित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, महानिदेशक पुलिस या जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिशों पर और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके किसी साधन या उपस्कर या भौतिक पदार्थ के किसी भी प्रकार के उत्पादन, विक्रय, भण्डारण, कब्जा या प्रवेश करने पर रोक या विनियम के आदेश दे सकेगी यदि ऐसा साधन या उपस्कर या भौतिक पदार्थ विशेष सुरक्षा परिक्षेत्र में, यथास्थिति, विद्रोहियों या आतंकवादियों या लड़ाकुओं का सहायक समझा जाए।

(3) इस धारा के अधीन जारी कोई अधिसूचना, इस अधिनियम की धारा 75 के अधीन जारी अधिसूचना की प्रवर्तन की अवधि के अवसान पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी।

(4) इस धारा के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाएगी।

अध्याय—10

आपराधिक अन्वेषण

77. (1) कोई भी व्यक्ति जिसे किसी अपराध के किए जाने का ज्ञान है, तत्काल मामले की रिपोर्ट, अपनी जानकारी में समस्त विशिष्टियों सहित, पुलिस थाना या अधिकारिता वाली पुलिस चौकी या नजदीक के पुलिस थाना को यथासम्भव शीघ्र करेगा:

अपराध की रिपोर्टिंग और रजिस्ट्रीकरण।

परन्तु ऐसे व्यक्ति को ऐसी सूचना की रिपोर्ट दूरभाष के या ऐसे अन्य साधनों, जो पुलिस महानिदेशक द्वारा स्थाई आदेशों द्वारा विहित किए जाएं, के माध्यम से देनी पर्याप्त होगी।

(2) अपराध के किए जाने की रिपोर्ट की, विधि के अनुसार ऐसी रीति में और ऐसे आरूप (फारमेट) में जो विहित किया जाए, पुलिस थाना के अभिलेखों में तत्काल प्रविष्टि की जाएगी।

(3) अधिकारिता वाले पुलिस थाना या पुलिस चौकी का भारसाधक अधिकारी, तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबन्धों के अनुसार रिपोर्ट का अन्वेषण करवाएगा:

परन्तु यदि अधिकारिता किसी अन्य पुलिस थाना की है तो उस पुलिस थाना का भारसाधक अधिकारी जहां रिपोर्ट दायर की गई या उसकी प्रविष्टि की गई है, ऐसे पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी को समस्त आवश्यक सूचना ऐसी रीति में अग्रेषित करवाएगा, जैसी पुलिस महानिदेशक द्वारा स्थाई आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

78. (1) प्रत्येक पुलिस थाना में पुलिस महानिदेशक द्वारा समय-समय पर बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जा सकने वाले गम्भीर अपराधों के अन्वेषण के लिए एक आपराधिक अन्वेषण इकाई होगी, जिसके अन्तर्गत हत्या, व्यपहरण, लैंगिक और अप्राकृतिक अपराध, डकैती तथा दहेज सम्बन्धी अपराध होंगे और गम्भीर अपराधों से अन्यथा अपराधों का अन्वेषण अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्याधीन पुलिस थाना के अन्य कर्मचारिवृन्द (स्टाफ) द्वारा किया जा सकेगा।

जिला पुलिस द्वारा अन्वेषण।

(2) आपराधिक अन्वेषण इकाई में अन्वेषण अधिकारी होंगे जो ग्रेड-I के अराजपत्रित पुलिस अधिकारी होंगे और जिनकी सहायता ऐसे ग्रेड-II के ऐसी संख्या के अराजपत्रित पुलिस अधिकारी करेंगे जो राज्य सरकार द्वारा विहित या पुलिस महानिदेशक द्वारा स्थायी आदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(3) आपराधिक अन्वेषण इकाई में तैनात अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों का चयन उनकी अभिक्षमता, सक्षमता और सत्यनिष्ठा के आधार पर किया जाएगा और वे तैनातियों (पोस्टिंग) के प्रयोजन के लिए उप-संवर्ग (सब-काडर) का गठन करेंगे:

परन्तु राज्य सरकार आपराधिक अन्वेषण इकाई के विभिन्न अराजपत्रित रैंकों के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण और परीक्षाएं विहित कर सकेगी तथा उप-संवर्ग (सब-काडर) के संगठन और प्रबन्धन के लिए नियम बना सकेगी।

(4) आपराधिक अन्वेषण इकाई में तैनात ग्रेड-I के अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों की किसी पुलिस थाना में, न्यूनतम अवधि तीन वर्ष की और अधिकतम सेवाकाल पांच वर्ष का होगा :

परन्तु अधिकारी को अवधि पूर्ण होने से पूर्व प्रोन्नति पर या लोअर रैंक में पदावनत किए जाने पर या किसी अनुशासनिक मामले में उसे आरोप पत्र की तामील होने पर या न्यायालय में उसके विरुद्ध आपराधिक मामले में आरोप निर्धारित होने पर या जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा उसके विरुद्ध आपराधिक मामला रजिस्ट्रीकृत करने के लिए आदेश दिए जाने पर, स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(5) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर राज्य सरकार अन्वेषण अधिकारियों के और सीन-ऑफ-क्राइम अधिकारियों के अलग-अलग संवर्ग का सृजन करेगी जो वैज्ञानिक अन्वेषण तथा न्यायालयिक (फॉरेंसिक) विज्ञान में ऐसी अर्हताएं धारित करेंगे जैसी राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं तथा सीन-ऑफ-क्राइम अधिकारी जिला उप-मण्डल मुख्यालयों पर प्रत्येक पुलिस थाना में तैनात किए जाएंगे।

(6) आपराधिक अन्वेषण इकाई में तैनात अन्वेषण अधिकारी को अन्वेषण से अन्यथा कोई कार्य नहीं सौंपा जाएगा और पुलिस थाना में आपराधिक

अन्वेषण इकाई के अन्वेषण कार्य का पर्यवेक्षण पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी द्वारा सघनता से किया जाएगा। ऐसे अधिकारी, जिसे मामला सौंपा गया है, को तभी बदला जाएगा जब उसे निलम्बित या स्थानान्तरित कर दिया गया हो या निष्पक्षता से मामले का अन्वेषण करने की उसकी क्षमता शक की परिधि में हो या अधिकारी अशक्त हो गया हो। यदि अन्वेषण कार्य को किसी और को पुनः सौंपा जाना प्रस्तावित हो तो पुलिस थाना का भारसाधक अधिकारी कारण अभिलिखित करेगा और जिला पुलिस अधीक्षक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(7) अन्वेषण अधिकारी जिसे मामला सौंपा गया है तत्काल अपराध स्थल (घटना स्थल) पर जाएगा और पुलिस महानिदेशक द्वारा स्थायी आदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट अन्वेषणात्मक प्रक्रियाओं के अनुसार कदम उठाएगा। पुलिस थाना का भारसाधक अधिकारी गम्भीर अपराधों के सभी मामलों में अधिमानतः उसी दिन, परन्तु किसी भी दशा में अड़तालीस घण्टों के भीतर अपराध स्थल (घटना स्थल) पर जाएगा और अपराध का शीघ्र और उचित अन्वेषण सुनिश्चित करने के लिए विनिर्दिष्ट लिखित निदेश जारी करेगा।

79. (1) उप-मण्डल पुलिस अधिकारी अपराध स्थल (सीन ऑफ क्राइम) पर सभी गम्भीर अपराधों के मामले में शीघ्रतम अवसर पर व्यक्तिगत रूप से जाएगा, परन्तु किसी भी दशा में अड़तालीस घण्टों के भीतर वहां पर जाएगा और सुनिश्चित करेगा कि उचित अन्वेषण के लिए अपेक्षित सभी विधिक, वैज्ञानिक और न्यायालयिक (फॉरेंसिक) अपेक्षाएं पूरी कर ली गई हैं।

उप-मण्डल
पुलिस
अधिकारियों
द्वारा
पर्यवेक्षण।

(2) उप-मण्डल पुलिस अधिकारी, आपराधिक अन्वेषण इकाई को सौंपे गए समस्त मामलों में हुई अन्वेषण की प्रगति को मॉनीटर करेगा और लिखित में निदेश जारी करेगा, जहां उसकी राय में किसी विशिष्ट पहलू में विनिर्दिष्ट अन्वेषण अपेक्षित है और गम्भीर अपराध के प्रत्येक मामले में अन्तिम रिपोर्ट को अधिकारिता वाले न्यायालय में दाखिल करने से पूर्व अनुमोदन प्रदान करेगा।

(3) उप-मण्डल पुलिस अधिकारी सभी गम्भीर अपराधों की प्रगति को सघनता से मॉनीटर यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि अन्वेषण के परिणामों को विचारण न्यायालय के समक्ष सर्वोत्तम रीति में रखा जाए।

80. (1) जिला पुलिस अधीक्षक जिले में रजिस्ट्रीकृत सभी आपराधिक मामलों में अन्वेषण की प्रगति को सामान्यतः मॉनीटर करेगा और आपराधिक अन्वेषण इकाई द्वारा गम्भीर आपराधिक मामलों में हुई अन्वेषण की प्रगति का सघनता से निरीक्षण करेगा।

जिला पुलिस
अधीक्षक
द्वारा
पर्यवेक्षण।

(2) पुलिस अधीक्षक की सहायता, आपराधिक अन्वेषण में विधिक परामर्श देने के प्रयोजन के लिए तैनात विधि अधिकारी करेगा।

(3) पुलिस अधीक्षक अपने जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जिला आपराधिक अन्वेषण इकाई के भारसाधक के रूप में गम्भीर अपराधों के मामलों को मॉनीटर करने और सामान्यतः या विनिर्दिष्ट मामलों में अन्वेषण की गति और गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु उसे सिफारिशें करने के लिए पदाभिहित करेगा और यदि मामले की अपेक्षा हो तो यह निदेश देगा कि अन्वेषण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या उप-मण्डल पुलिस अधिकारी या सहायक या पुलिस उप-अधीक्षक के नेतृत्व वाली विशेष अन्वेषण टीम द्वारा किया जाएगा जिसमें जिला के किसी भी पुलिस थाना की अन्वेषण इकाइयों के अन्वेषक अधिकारी भी सम्मिलित होंगे।

अन्य अपराधों का अन्वेषण।

81. गम्भीर अपराधों से अन्यथा यातायात अपराध, दंगे, लोक शान्ति को प्रभावित करने वाले लघु प्रकृति के विवाद, साधारण उपहति, छोटी चोरी, लोक न्यूसेंस की घटनाएं और ऐसे मामलों, जिनका अन्वेषण आपराधिक अन्वेषण इकाई या विशिष्ट इकाई द्वारा न हुआ हो, सहित अपराधों का अन्वेषण, अधिकारिता वाले पुलिस थाना की सिविल पुलिस द्वारा किया जाएगा।

राज्य गुप्तचर विभाग (स्टेट सी0आई0डी0)।

82. (1) राज्य गुप्तचर विभाग (स्टेट सी0आई0डी0) अन्तरराज्यिक या अंतर जिला, प्रकृति या विशिष्ट प्रकृति के अपराधों का ही अन्वेषण अपने हाथ में लेगा, जिसके अन्तर्गत साइबर अपराध, संगठित अपराध या ऐसे अन्य प्रकार के अपराध जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं, भी सम्मिलित होंगे।

(2) पुलिस महानिदेशक गुप्तचर विभाग को, राज्य में किसी भी पुलिस थाना में रजिस्ट्रीकृत किसी भी मामले का अन्वेषण सौंप सकेगा, यदि विशेष अन्वेषण की शीघ्र आवश्यकता है या ऐसा करना अन्वेषण प्रक्रिया में लोक विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

(3) राज्य गुप्तचर विभाग (सी0आई0डी0) के अधिकारियों को अन्वेषण के विधिक पहलुओं और पश्चात्वर्ती अभियोजन में सहायता प्रदान करने के लिए अनन्य रूप से एक विधि अधिकारी होगा, जो संयुक्त निदेशक(अभियोजन) की पंक्ति से नीचे का न होगा।

(4) गुप्तचर विभाग (सी0आई0डी0) का अपने मुख्यालय पर अपना एक पुलिस थाना होगा जिसकी अधिकारिता पूरे राज्य में होगी ताकि गुप्तचर विभाग द्वारा अन्वेषित मामलों के रजिस्ट्रीकरण को सुकर बनाया जा सके।

(5) गुप्तचर विभाग(सी0आई0डी0) का प्रमुख (हैड) जटिल मामलों का अन्वेषण करने के लिए विशेष अन्वेषण टीमों का गठन कर सकेगा और उसे अन्वेषण की रिपोर्टें मंगवाने और गुप्तचर विभाग तथा जिला आपराधिक अन्वेषण इकाई के अन्वेषक अधिकारियों को एड्वाइजरीज जारी करने की शक्तियां होंगी।

(6) गुप्तचर विभाग के अन्वेषक अधिकारी धारा 78 की उपधारा (5) के अधीन सृजित अन्वेषक अधिकारियों के संवर्ग का भाग होंगे और विभाग के सीन-ऑफ क्राइम अधिकारी सीन-ऑफ-क्राइम अधिकारी संवर्ग के भाग होंगे।

(7) जिला पुलिस अधीक्षक अन्वेषक अधिकारियों को समस्त सहायता और क्रिमिनल इन्टैलिजेंस प्रदान करेगा चाहे वो गुप्तचर विभाग के हों या अन्यथा।

(8) गुप्तचर विभाग का प्रमुख (हैड) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से छह मास के भीतर एक विस्तृत अन्वेषण नियमावली तैयार करवाएगा, जिसमें गुप्तचर विभाग, जिला आपराधिक अन्वेषण इकाई और पुलिस थाना स्तर की आपराधिक अन्वेषण इकाईयों द्वारा गम्भीर अपराधों के अन्वेषण हेतु विस्तृत संचालन प्रक्रियाएं विनिर्दिष्ट की गई हों। नियमावली को पुलिस महानिदेशक की सिफारिशों सहित राज्य पुलिस बोर्ड के समक्ष, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से नौ मास के भीतर इसके अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।

(9) गुप्तचर विभाग, गिरफ्तारियों, पहचान, वांछित, लापता व्यक्तियों, उद्घोषित अपराधियों, सूचनाओं (नोटिसीज) और चेतावनियां आदि के बारे में सूचना देने वाला सामयिक अन्वेषण गजट, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विषय वस्तुओं सहित, जैसी पुलिस महानिदेशक समय-समय पर निदेश दे, प्रकाशित करेगा। गजट को व्यापक रूप से परिचालित किया जाएगा और पुलिस विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

83. (1) निदेशक न्याय (फॉरेन्सिक) विज्ञान समय-समय पर राज्य पुलिस बोर्ड के अनुमोदन से अपराध के वैज्ञानिक अन्वेषण तथा वैज्ञानिक साक्ष्य, जिसे विभिन्न परिस्थितियों में एकत्रित किया जाना चाहिए, के प्रयोजन के

न्याय सम्बन्धी
(फॉरेन्सिकज)।

लिए राज्य सरकार को, राज्य, रेंज और जिला स्तर पर अपेक्षित फॉरेन्सिक प्रसुविधाओं या सेवाओं की बाबत संसूचित करेगा।

(2) राज्य सरकार छः मास के भीतर अपेक्षित न्याय सम्बन्धी (फॉरेन्सिक) प्रसुविधाओं और सेवाओं का उपबन्ध करने के लिए आवश्यक वित्तीय स्रोत उपलब्ध करवाएगी और यदि यह प्रसुविधा उपलब्ध करवाने में असमर्थ है तो यह कारण संसूचित करेगी जिन्हें राज्य पुलिस बोर्ड के समक्ष इसकी आगामी बैठक में रखा जाएगा।

(3) गुप्तचर विभाग या जिला के पुलिस थाना की आपराधिक अन्वेषण इकाई के समस्त अन्वेषक अधिकारियों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे निदेशक न्याय (फॉरेन्सिक) विज्ञान द्वारा विहित रीति में नमूनों का संग्रहण करें और उन्हें अभिहित न्यायालयिक प्रयोगशाला को विश्लेषण के लिए भेजे।

(4) पुलिस महानिदेशक, निदेशक न्याय (फॉरेन्सिक) विज्ञान के परामर्श से स्थायी आदेश द्वारा—

- (i) गुप्तचर विभाग और आपराधिक अन्वेषण इकाई के अन्वेषक अधिकारियों के लिए डिप्लोमा और प्रमाण पत्र सहित विशेषज्ञता (अक्सपरटाइज) निहित करेगा;
- (ii) वैज्ञानिक पूछ-ताछ केन्द्रों के विनिर्देश और ऐसे केन्द्रों में मानक संचालन प्रक्रिया को अवधारित करेगा;
- (iii) दृश्य-श्रव्य और अन्य उपस्कर, जिन्हें अन्वेषण में प्रयुक्त किया जा सकेगा तथा प्रयोजन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया की प्रकृति और विनिर्देश अवधारित कर सकेगा; और
- (iv) विभिन्न प्रकार के अपराधों के अन्वेषण में न्याय सम्बन्धी (फॉरेन्सिक) विश्लेषणों हेतु नमूनों के संग्रहण के लिए प्रक्रिया सहित मानक संचालन प्रक्रियाएं अधिकथित करेगा।

अपराध और
फॉरेन्सिक
डाटा बैंकों का
रख-रखाव।

84. (1) राज्य गुप्तचर विभाग, अपराध अन्वेषण, अपराध निवारण और गुम या लापता हुए व्यक्तियों तथा सम्पत्ति को खोजने के लिए महत्वपूर्ण समस्त सूचना का डाटा बैंक बनाए रखेगा और प्रयोजन के लिए राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो और जिला अपराध अभिलेख ब्यूरो को प्रशासित करेगा।

(2) गुप्तचर विभाग जिला पुलिस अधीक्षक तथा राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के साथ डाटा को अद्यतन करने, उसमें भागी होने और इसका आदान-प्रदान करने के लिए पर्याप्त संयोजन (लिंकेज) स्थापित करेगा।

(3) गुप्तचर विभाग का अपना एक अंगुली छाप ब्यूरो होगा जिसका प्रमुख (हैड) कम से कम पुलिस अधीक्षक की पंक्ति का अधिकारी होगा। ब्यूरो अन्वेषण के दौरान ब्यूरो, राज्य गुप्तचर विभाग या जिला पुलिस द्वारा संगृहीत सहित अंगुली छापों का कम्प्यूटरीकृत अन्वेषणीय (ढूँढने योग्य) डाटा बैंक बनाए रखेगा। राज्य अंगुली छाप ब्यूरो अन्य राज्यों तथा भारत सरकार में इसी प्रकार के अभिकरणों के साथ क्रियाकलाप समन्वित करेगा। अंगुली छाप ब्यूरो जिला पुलिस के अन्वेषण अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा और विभिन्न परिस्थितियों में अंगुली छापों को उठाने, विकसित करने तथा मिलाने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं विकसित करेगा और प्रयोजन के लिए अंगुली छाप नियमावली का प्रकाशन करेगा।

85. (1) प्रत्येक अन्वेषण अधिकारी और उसके पदीय वरिष्ठ, अपराध पीड़ितों और साक्षियों की गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता के प्रति आदर भाव रखेंगे।

गोपनीयता
और उचित
अन्वेषण के
लिए
आदरभाव।

(2) प्रत्येक अन्वेषण अधिकारी और उसके पदीय वरिष्ठ, उचित और निष्पक्ष अन्वेषण के लिए सभी सम्भव कदम उठाएंगे और अपराध पीड़ितों तथा साक्षियों के गोपनीयता के अधिकार के प्रति आदर भाव रखते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी सूचना, जो लोक हित में लोगों के समक्ष, अन्वेषण प्रक्रिया में लोक विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए प्रकट की जानी आवश्यक है, ही यथासम्भव शीघ्र प्रकट की गई है।

(3) पुलिस महानिदेशक विनियमों द्वारा इस धारा के प्रयोजन के लिए प्रक्रियाएं विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

अध्याय-11

विनियमन, नियन्त्रण और अनुशासन

86. (1) कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसे किसी भी संगम में न तो शामिल होगा न ही उनका सदस्य बनेगा न ही ऐसे संगम के क्रियाकलापों में भाग लेगा, जिसका उद्देश्य या लक्ष्य पुलिस सेवाओं से सम्बन्धित विषयों पर सामूहिक वार्ता करना है।

कतिपय
पद्धतियों का
प्रतिषेध।

(2) किसी भी राजपत्रित पुलिस अधिकारी या ग्रेड-I के अराजपत्रित पुलिस अधिकारी को, उसकी सेवा पुस्तिका में अभिलिखित उसके गृह जिला में तैनात नहीं किया जाएगा और किसी भी ग्रेड-II के अराजपत्रित पुलिस अधिकारी को गृह पुलिस थाना में तैनात नहीं किया जाएगा।

(3) जब तक सक्षम प्राधिकारी ऐसा करने के लिए अभिव्यक्ततः उसे लिखित रूप में अनुज्ञा न दे दे, कोई भी पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन आने वाले अपने कर्तव्यों से भिन्न किसी नियोजन या पद में नहीं लगेगा।

पुलिस
अधिकारी द्वारा
अनुशासन भंग
और
अनुशासनिक
अवचार।

87. (1) जो कोई भी पुलिस अधिकारी होने के नाते—

- (i) अपने शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में किसी व्यक्ति को अनुचित लाभ देने या उसे कोई नुकसान कारित करने के उद्देश्य से किसी विधि या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के उपबन्धों या जारी अनुदेश का अनुसरण करने में जानबूझकर उल्लंघन करता है या असफल रहता है; या
- (ii) किसी व्यक्ति को अनुचित लाभ देने या उसे कोई नुकसान कारित करने के आशय से अपने सरकारी वरिष्ठ या निदेश जारी करने को सशक्त लोक सेवक के विधि पूर्वक निदेश की जानबूझकर अवज्ञा करता है; या
- (iii) अपना कर्तव्य निभाते समय कायरता का प्रदर्शन करता है; या
- (iv) इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में अपने कर्तव्यों का अपत्याग करता है या अपने कर्तव्य से हट जाता है; या
- (v) किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की घोर अवज्ञा करता है; या
- (vi) स्वयं को किसी प्रदर्शन जुलूस या हड़ताल में लगाता है या भाग लेता है या किसी भी प्राधिकारी को किसी चीज़ को स्वीकार करने के लिए बाध्य करने हेतु हड़ताल या प्रपीड़न के किसी रूप को किसी भी तरह से दुष्प्रेरित करता है; या

(vii) कोई अन्य सेवा अवचार करता है;

तो यह समझा जाएगा कि उसने सेवा अनुशासन को भंग किया है तो वह इस अधिनियम के उपबन्धों और सुसंगत आचरण नियमों के अनुसार पुलिस अधिकारी के लिए अशोभनीय आचरण हेतु अनुशासन प्राधिकारी द्वारा दंडित किए जाने के लिए दायी होगा ।

(2) राज्य सरकार, अवचार के स्वरूप को देखते हुए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा "मुख्य" और "लघु" अवचारों को वर्गीकृत कर सकेगी, जिनके लिए निम्नलिखित में से कोई शास्ति क्रमशः प्रदान की जाएगी, अर्थात्:—

(1) मुख्य शास्तियां—

- (क) सेवा से पदच्युत करना; या
- (ख) सेवा से हटाना; या
- (ग) अनिवार्य सेवानिवृत्ति; या
- (घ) पंक्ति (रैंक) में अवनत किया जाना : परन्तु ऐसी अवनति ऐसी पंक्ति (रैंक), जिसमें कि ऐसा अधिकारी भर्ती किया गया था, से नीचे की पंक्ति (रैंक) में नहीं की जाएगी:

परन्तु पुलिस अधिकारी, जिसे दण्डिक न्यायालय द्वारा एक मास से अधिक के कारावास से दण्डित किया गया है या जिसका अवचार घोर प्रकृति का है जिसमें निम्नलिखित भी है—

- (i) गुप्तचरी या राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप; या
- (ii) लोक अवसंरचना या सार्वजनिक सम्पत्ति को विच्छिन्न करना; या
- (iii) साथी पुलिस कर्मचारियों के बीच अनुशासनहीनता पैदा करना या हड़ताल, सामूहिक अनुपस्थान का सहारा लेना; या
- (iv) समाज के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता पैदा करना या दंगे आदि कारित करना; या

- (v) विधिपूर्ण अभिरक्षा में कैदी के निकल भागने में उपेक्षा करना या उसमें मौनानुमति देना; या
- (vi) भ्रष्टाचार या शपथ-भंग; या
- (vii) ऐसा अन्य मुख्य अवचार, जिसे राज्य सरकार इसकी प्रकृति को देखते हुए, घोर प्रकृति का अवचार घोषित करे;

सेवा से पदच्युत करने वाली शास्ति अधिरोपित की जाएगी; और

- (II) लघु शास्तियां—
- (क) वेतन में कमी टाइम स्केल में तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए तीन स्टेजों तक रोकना; या
- (ख) तीन वर्षों तक के लिए वेतन वृद्धि को रोकना; या
- (ग) एक मास के वेतन से अनधिक जुर्माना; या
- (घ) धिग्दण्ड या परिनिंदा; या
- (ङ) फटीग ड्रिल।

अनुशासनिक
शास्तियां।

88. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यक्षीन और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, पुलिस अधीक्षक या इससे ऊपर की पंक्ति का कोई भी राजपत्रित पुलिस अधिकारी किसी भी अराजपत्रित पुलिस अधिकारी, जिसके लिए ऐसा राजपत्रित पुलिस अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी है, के लिए कोई प्रमुख शास्ति दे सकेगा।

(2) पुलिस अधीक्षक या इससे ऊपर की पंक्ति के किसी राजपत्रित पुलिस अधिकारी को विहित प्रक्रिया के अनुसार अपने शासकीय नियन्त्रणाधीन किसी भी अराजपत्रित पुलिस अधिकारी को कोई छोटी शास्ति प्रदान (अधिरोपित) करने की शक्ति होगी।

(3) सहायक पुलिस अधीक्षक या उप-पुलिस अधीक्षक या समतुल्य पंक्ति या उच्चतर पंक्ति के किसी अन्य अधिकारी को उप-निरीक्षक पुलिस की पंक्ति तक के अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों को ऐसे अवचार के लिए जैसा विहित किया जाए धिग्दण्ड या परिनिंदा का दण्ड देने की शक्ति होगी।

(4) निरीक्षक या इससे ऊपर की पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी, विहित की गई प्रक्रिया के अनुसार ग्रेड-II के अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों को ऐसे अवचार के लिए जैसा विहित किया जाए धिग्दण्ड या परिनिंदा या फटीग ड्रिल की लघु शास्ति दे सकेगा।

(5) उपधारा (1) से (4) के अधीन विनिर्दिष्ट कोई भी शास्ति यदि किसी पुलिस अधिकारी को दी गई है, अभियोजन के लिए और उसके द्वारा किए गए किसी दांडिक अपराध हेतु दण्ड के लिए उसके दायित्व या उसके सिद्ध हुए अवचार द्वारा कारित धनीय हानि की पूर्ति करने के उसके दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगी।

89. (1) यथास्थिति, कोई भी राजपत्रित पुलिस अधिकारी या निरीक्षक या पुलिस थाना का कोई भारसाधक अधिकारी, जांच या अन्वेषण के लम्बित रहते हुए अपने नियन्त्रणाधीन, किसी अराजपत्रित अधिकारी, जो घोरतम अवचार का दोषी या युक्ति-युक्त रूप से संदिग्ध दोषी है और जिसका तुरन्त निलम्बन लोकहित में या पुलिस बल में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है, को निलम्बित कर सकेगा। निलम्बन।

परन्तु जहां अनुशासन प्राधिकारी से नीचे का कोई पुलिस अधिकारी, अपने नियन्त्रणाधीन किसी पुलिस अधिकारी के निलम्बन के आदेश करता है तो वह तुरन्त अनुशासन प्राधिकारी को सूचित करेगा जो आदेश की या तो पुष्टि करेगा या उसे विखण्डित करेगा।

(2) राजपत्रित पुलिस अधिकारियों का निलम्बन, सुसंगत सेवा नियमों के अधीन निलम्बन का आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(3) इस धारा के अधीन पारित निलम्बन का प्रत्येक आदेश, उसके संक्षिप्त कारण देते हुए लिखित में होगा।

(4) जहां किसी पुलिस अधिकारी को (चाहे किसी अनुशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में या अन्यथा) निलम्बित किया जाता है और कोई अन्य अनुशासनिक कार्यवाही उसके निलम्बन के जारी रहने के दौरान आरम्भ की गई है तो उसे निलम्बित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, निदेश दे सकेगा कि जब तक सभी या ऐसी किसी कार्यवाही का पर्यवसान नहीं हो जाता तब तक उसका निलम्बन जारी रहेगा।

(5) निलम्बन के आदेश को स्वप्रेरणा से या निलम्बित अधिकारी के अभ्यावेदन पर उस प्राधिकारी द्वारा जिसने आदेश किया था या किसी प्राधिकारी जिसके अधीनस्थ वह प्राधिकारी है, द्वारा किसी भी समय प्रतिसंहृत, उपांतरित या पुनर्विलोकित किया जा सकेगा।

(6) उन सभी मामलों की रिपोर्ट, जहां निलम्बन की अवधि एक वर्ष से अधिक हो जाती है, तो वहां रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक द्वारा राज्य पुलिस बोर्ड को की जाएगी।

दण्ड के आदेशों की अपील।

90. इस अधिनियम या तदधीन बनाए नियमों के अधीन किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध पारित किसी दण्ड के आदेश की अपील:—

- (i) जहां आदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा पारित किया गया है, राज्य सरकार को की जाएगी;
- (ii) जहां आदेश पुलिस महानिदेशक के अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा पारित किया गया हो, उस संगठन के पुलिस पदानुक्रम की अगली उच्चतर पंक्ति के अधिकारी को की जाएगी।

पुलिस अधिकारियों के लिए अलग से नियम।

91. (1) सभी अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों को राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों को लागू वर्गीकरण, अनुशासन, अपील और आचरण नियम लागू नहीं होंगे और वे उक्त प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे।

(2) भारतीय पुलिस सेवा और राज्य पुलिस सेवा के राजपत्रित अधिकारी, उनकी सेवा की शर्तों से सम्बन्धित मामलों में अपने-अपने नियमों द्वारा शासित होंगे।

92. (1) प्रत्येक पुलिस अधिकारी, जो छुट्टी पर नहीं है या निलम्बित है, इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों के लिए सदैव कर्त्तव्य पर समझा जाएगा और किसी भी समय विधि के अनुसार राज्य के किसी भी भाग में या किसी अन्य राज्य में तैनात किया जा सकेगा।

पुलिस अधिकारियों का सदैव कर्त्तव्य पर होना।

(2) जब तक पुलिस महानिदेशक या उसके द्वारा ऐसी अनुज्ञा देने के लिए प्राधिकृत किसी ऐसे अधिकारी या भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों और राजपत्रित राज्य पुलिस अधिकारियों की दशा में सक्षम अधिकारी अभिव्यक्ततः ऐसा करने के लिए उसे लिखित रूप में अनुज्ञा न दे दे कोई भी पुलिस अधिकारी अपने कर्त्तव्यों का अपत्याग नहीं करेगा या अपने पद के कर्त्तव्य से अपने को प्रत्याहृत नहीं करेगा। पुलिस अधिकारी जो छुट्टी पर है, ऐसी छुट्टी के अवसान पर कर्त्तव्य पर स्वयं को रिपोर्ट करने के लिए, बिना किसी युक्ति-युक्त कारण से असफल रहता है, इस धारा के अन्तर्गत अपने पद के कर्त्तव्यों से अपने को प्रत्याहृत किया गया समझा जाएगा।

अध्याय-12

पुलिस की जवाबदारी

93. (1) पुलिस अधिकारियों द्वारा आपराधिक अवचार के अभिकथनों को प्राप्त करने और उनकी जांच करने के लिए लोक आयुक्त हिमाचल प्रदेश से समाविष्ट राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा। राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण पुलिस जवाबदारी की प्रणाली का साधारणतया निरीक्षण भी कर सकेगा ताकि पुलिस सेवाओं में भ्रष्टाचार की संभावना को कम किया जा सके। राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की सिफारिशें राज्य सरकार पर बाध्य होंगी।

राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण।

(2) सभी मामलों में जहां सिफारिशों की प्राप्ति से साठ दिन की अवधि के भीतर सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की गई है, वहां राज्य सरकार इसके कारणों को प्राधिकरण को सूचित करेगी।

(3) राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की शक्तियां ऐसी होंगी जैसी विहित की जाएं।

94. (1) राज्य सरकार प्रत्येक जिले में आपराधिक अवचार सहित अवचार की शिकायतों को प्राप्त करने के लिए एक पुलिस शिकायत जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण/प्राधिकरण स्थापित करेगी। प्राधिकरण, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के आदेशों पर जिला में अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध आरम्भ की गई विभागीय जाँचों की स्थिति को भी मॉनीटर करेगा।

(2) जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की शक्तियां ऐसी होंगी जैसी राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की सहमति से विहित की जाएं।

जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की संरचना।

95. (1) जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण का प्रमुख (हैड) मण्डल का मण्डलायुक्त होगा और इसमें तीन अन्य गैर-सरकारी सदस्य (जो पुलिस अधीक्षक और इससे ऊपर की पंक्ति के सेवानिवृत्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जिला न्यायाधीश या इससे ऊपर की पंक्ति के सेवानिवृत्त अभियोजक, या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश या इससे ऊपर की पंक्ति के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, हो सकेंगे) होंगे। गैर-सरकारी सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा लोक आयुक्त के परामर्श से तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और वे पुनः नामनिर्देशन के पात्र होंगे।

(2) कोई भी व्यक्ति गैर-सरकारी सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने या बने रहने का पात्र नहीं होगा यदि—

- (i) वह भारत का नागरिक नहीं है; या
- (ii) किसी न्यायालय में आपराधिक मामले में उसके विरुद्ध आरोप-पत्र दायर हो चुका है; या
- (iii) उसे पदच्युत कर दिया गया है या सेवा से हटा दिया गया है या भ्रष्टाचार या अवचार के आधारों पर लोक नियोजन से अनिवार्यतः सेवानिवृत्त किया जा चुका है; या
- (iv) वह विकृत चित्त है; या

(v) वह लोक पद धारण करता है या किसी राजनैतिक दल या राजनैतिक संगठन का पद धारी है ।

(3) गैर-सरकारी सदस्यों को ऐसी दरों पर, जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, बैठक के लिए फीस और यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता संदत्त किया जाएगा ।

(4) जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की बैठक, जैसी प्रायः अपेक्षित हो, होगी परन्तु मास में कम से कम एक बार होगी और इसकी कार्यवाहियां सार्वजनिक होंगी तथा बैठक का अभिलेख रखा जाएगा ।

96. जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण—

जिला पुलिस
शिकायत
प्राधिकरण के
कृत्य ।

(i) इसके द्वारा प्रत्यक्षतः प्राप्त "आपराधिक अवचार" की शिकायतों को राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण को आगामी कार्रवाई के लिए अग्रेषित करेगा;

(ii) इसके द्वारा प्राप्त अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों को, यथास्थिति, जिला पुलिस अधीक्षक, बटालियन के कमांडेंट या अन्य अनुशासन प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा;

(iii) किसी राजपत्रित अधिकारी के विरुद्ध अवचार के अन्य अभिकथनों को राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सूचनाधीन, राज्य सरकार को आगामी कार्रवाई के लिए अग्रेषित करेगा;

(iv) इसके द्वारा अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध अवचार की शिकायतों के आधार पर आरम्भ की गई विभागीय जांचों की स्थिति को, मॉनीटर करेगा और ऐसी आवृत्ति (फ्रीक्वेंन्सी) के साथ, जैसी विनिर्दिष्ट की जाए, जिला पुलिस अधीक्षक, बटालियन के कमांडेंट या अन्य अनुशासन प्राधिकारी से रिपोर्टें अभिप्राप्त करेगा । प्राधिकरण, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के आदेशों पर, जिला में अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध आरम्भ की गई विभागीय जांचों को भी मॉनीटर करेगा;

- (v) ऐसे मामलों में, जहां मूल शिकायत, जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण द्वारा प्राप्त हुई थी, जिला शिकायत प्राधिकरण की यह राय है कि ऐसी जांच में असम्यक् विलम्ब हो रहा है, ऐसे किसी मामले में शीघ्र जांच पूरी करने के लिए, सम्बद्ध अनुशासन प्राधिकारी को समुचित परामर्श देगा (जारी करेगा);
- (vi) अनुशासन प्राधिकारी से रिपोर्ट मंगवाएगा, और जब शिकायतकर्ता उसके अवचार की शिकायत में विभागीय जांच की प्रक्रिया में अनुचित विलम्ब द्वारा असंतुष्ट होने से, ऐसे मामले को जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के ध्यान में लाता है, तो अन्य प्राधिकारी द्वारा नई जांच, यदि आवश्यक हो, सहित अतिरिक्त कार्रवाई के लिए समुचित परामर्श देगा (जारी करेगा);
- (vii) राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण को उन मामलों की रिपोर्ट करेगा जिनमें किसी अराजपत्रित पुलिस अधिकारी की बाबत, "अवचार" के लिए जांच संबन्धित जांच अधिकारी द्वारा अनुशासन प्राधिकारी को जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के परामर्श (एडवाइस) के बावजूद भी समय पर पूरी नहीं की गई है:

परन्तु जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण किसी भी समय कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के निदेशों के अध्यक्षीन अवचार की शिकायत पर आगामी कार्रवाई न करने का विनिश्चय कर सकेगा, यदि ऐसा प्रतीत होता हो कि शिकायत भौतिक विशिष्टियों से गलत है या विधिपूर्ण प्राधिकार के प्रयोग में अड़चन डालने की भावना से तंग करने वाली या विद्वेषपूर्ण है:

परन्तु यह और कि साशय मिथ्या, तंग करने वाली या विद्वेषपूर्ण शिकायत के मामले में जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण को, जैसा मामले की परिस्थितियों में समुचित समझा जाए, पच्चीस हजार रुपए से अनधिक का जुर्माना अधिरोपित करने की सिफारिश कर सकेगा।

जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की रिपोर्ट।

97. प्रत्येक जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के अन्त में एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होगा:—

- (i) वर्ष के दौरान इसके द्वारा क्रमशः राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण और अनुशासन प्राधिकारी को अग्रेषित "आपराधिक अवचार" और "अन्य अवचार" के मामलों की संख्या और प्रकार;
- (ii) वर्ष के दौरान इसके द्वारा मॉनीटर किए गए मामलों की संख्या और प्रकार;
- (iii) शिकायतकर्ताओं द्वारा, उनकी शिकायतों पर विभागीय जांच से असन्तुष्ट होने पर, इसे निर्दिष्ट 'अवचार' के मामलों और ऐसे मामलों, जिसमें इसके द्वारा अनुशासन प्राधिकारी को आगामी कार्रवाई के लिए परामर्श जारी किया गया था, की संख्या और प्रकार; और
- (iv) जिला में पुलिस अधिकारियों द्वारा पहचानने योग्य अवचार के उदाहरण (पैटरनज) यदि कोई हैं, और पुलिस जवाबदारी बढ़ाने हेतु उपाय करने की सिफारिशें।

98. (1) कोई भी व्यक्ति, "आपराधिक अवचार" सहित किसी पुलिस अधिकारी द्वारा "अवचार" से सम्बन्धित अपनी शिकायत या तो विभागीय पुलिस प्राधिकारियों या राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण या जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के पास, दायर कर सकेगा।

शिकायतकर्ता के अधिकार।

(2) जहां किसी व्यक्ति ने पुलिस प्राधिकरण के पास शिकायत दायर कर रखी है, विभागीय जांच के किसी भी स्तर पर जांच की प्रक्रिया में किसी असम्यक् विलम्ब की बाबत राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण या जिला पुलिस प्राधिकरण को सूचित कर सकेगा।

(3) शिकायतकर्ता को, जांच प्राधिकारी द्वारा जांच की प्रगति से समय-समय पर सूचित किए जाते रहने का अधिकार होगा और जांच या विभागीय कार्यवाहियों के निष्कर्षों के साथ-साथ की गई अंतिम कार्रवाई से शिकायतकर्ता को सूचित किया जाएगा।

(4) शिकायतकर्ता उससे सम्बद्ध जांच के मामले की सुनवाईयों में उपस्थित हो सकेगा और प्रत्येक सुनवाई के पश्चात् शिकायतकर्ता को सुनवाई की अगली तारीख और स्थान के बारे में सूचित किया जाएगा।

(5) समस्त सुनवाईयां हिन्दी (राजभाषा) में या अंग्रेजी में संचालित की जाएंगी और यदि शिकायतकर्ता उस भाषा को, जिसमें कार्यवाहियां या उसका कोई भाग संचालित किया गया है, को समझने में असमर्थ है तो, यथास्थिति, हिन्दी या अंग्रेजी में एक लिखित अनुलिपि बिना लागत के (निःशुल्क में) शिकायतकर्ता को उपलब्ध करवाई जाएगी।

पुलिस और राज्य के अन्य अभिकरणों के कर्तव्य।

99. (1) जिला पुलिस और राज्य पुलिस के साथ-साथ किसी अन्य सम्बद्ध अभिकरण के प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण और जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण को समस्त सूचना, जो उनके कर्तव्यों के पालन में युक्तियुक्त रूप में अपेक्षित है, प्रदान करे।

(2) प्राधिकारी, जिसके द्वारा राज्य या जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की सिफारिशें कार्यान्वित की जानी अपेक्षित हैं, की यदि यह राय है कि ऐसी सिफारिश को कार्यान्वित करना समीचीन नहीं है, तो यथाशक्य शीघ्र, परन्तु सिफारिशों की प्राप्ति के तीस दिन के अर्थात् राज्य सरकार को कारण सूचित करेगा।

राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण या जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की कार्य-प्रणाली में हस्तक्षेप करने का वर्जन।

100. (1) जो कोई, सिवाय विधिपूर्ण कर्तव्यों के अनुक्रम में, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण या जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर प्रभाव डालता है या हस्तक्षेप करता है, दोषसिद्धि पर, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रूपए तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा:

परन्तु कार्यवाहियों को भ्रमित करने के आशय से, झूठी, तंग करने वाली या विद्वेषपूर्ण शिकायत करने के लिए किसी व्यक्ति या किसी साक्षी या पुलिस अवचार के किसी पीड़ित को दी गई धमकी, प्रपीड़न या उत्प्रेरणा को, यथास्थिति, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण या जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप समझा जाएगा।

(2) राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का यदि यह निष्कर्ष है कि पुलिस अवचार की शिकायत साशय झूठी है या तंग करने वाली है या

असद्भावपूर्ण है, तो वह पच्चीस हजार रुपए से अनधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा:

परन्तु ऐसा कोई आदेश प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना नहीं किया जाएगा।

101. (1) राज्य पुलिस बोर्ड या राज्य सरकार, राज्य पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो से पुलिस कार्य-प्रणाली या पुलिस अनुपालना (परफॉरमेंस) के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन या लोकमत सहित विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण संचालित करके, एक अनुपालना संपरीक्षा (परफॉरमेंस ऑडिट) करने का प्रबन्ध करने की अपेक्षा कर सकेगी और बदलते परिवेश में पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) की योग्यता में सुधार करने या नई पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) की अपेक्षाओं पर सिफारिशें कर सकेगी।

राज्य पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा अनुपालन संपरीक्षा (परफॉरमेंस ऑडिट)।

(2) पुलिस महानिदेशक द्वारा सिफारिशों पर अपनी टिप्पणियों सहित ब्यूरो की रिपोर्ट विनिश्चय के लिए राज्य पुलिस बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी।

102. इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में, सद्भाव पूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां राज्य सरकार, राज्य पुलिस बोर्ड, इसके सदस्यों और कर्मचारिवृन्द, राज्य तथा जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, इसके सदस्यों, इसके अन्वेषकों, कर्मचारिवृन्द या किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होंगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

103. राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी कि राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण और जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरणों को, उनके कृत्यों के प्रभावी अनुपालन के लिए, पर्याप्त निधि प्रदान कर दी गई है। पुलिस, राज्य सरकार के साधारण या विनिर्दिष्ट निदेशों के अनुसार के सिवाय, पुलिस राज्य या जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण को कोई भौतिक या मानव संसाधन उपलब्ध नहीं करवाएगी।

निधि सुलभ कराना (फंडिंग)।

अध्याय—13

कल्याण और शिकायत प्रतितोष क्रियाविधि (मेकॅनिज्म)

कैरियर
प्रगति।

104. राज्य सरकार, समस्त रैंको (पंक्तियों) के सराहनीय पुलिस अधिकारियों को पर्याप्त प्रोन्नति के अवसर सुनिश्चित करने के लिए नीतियां (पालिसियां) बनाएगी।

कल्याण
समिति।

105. (1) पुलिस अधिकारियों और उनके परिवारों के कल्याण उपायों के कार्यान्वयन के लिए, पुलिस महानिदेशक के कार्यालय में उसकी सहायता हेतु एक पुलिस कल्याण समिति होगी जिसका प्रमुख ऐसा अधिकारी होगा, जो पुलिस महानिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो।

(2) समिति में समस्त पंक्ति के पुलिस प्रतिनिधि होंगे और परामर्शी होने की हैसियत से अन्य सदस्य भी हो सकेंगे। समिति के सदस्य पुलिस महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(3) पुलिस कल्याण समिति के कृत्य और क्रियाकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ, स्वास्थ्य की देखभाल (सेवानिवृत्ति के पश्चात् स्वास्थ्य की देखभाल सहित), सेवानिवृत्ति के पश्चात्/मृत्यु पश्चात् वित्तीय सहायता, सामूहिक गृह निर्माण, शिक्षा और खेल क्रियाकलापों तथा पुलिस अधिकारियों के परिवारों को कैरियर (आजीविका) परामर्श देना, परिवार के सदस्यों को उद्यमकर्ता कार्य में प्रशिक्षण देने/स्वरोजगार, रोजगार देने वाले अवसर उत्पन्न करना और सद्भावपूर्वक कर्तव्य के निर्वहन में कार्यवाहियों का सामना करने पर सम्बन्धित मामलों में, कानूनी सहायता देना, होंगे।

(4) पुलिस महानिदेशक, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से पुलिस अधिकारियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए निधि का गठन करेगा जो समरूप अनुदानों (मैचिंग ग्रांट्स) के साथ-साथ पूर्ण अनुदान (आउट राइट ग्रांट्स) की व्यवस्था कर सकेगी।

(5) राज्य सरकार समिति की सुचारू कार्य-प्रणाली के लिए निश्चयात्मकता (मॉडलिटीज) विहित करेगी और नियमों के अध्यक्षीन, पुलिस

महानिदेशक इसकी दैनिक कार्य-प्रणाली को विनियमित करने के लिए विनियम बना सकेगा।

106. (1) राज्य सरकार, समस्त पुलिस अधिकारियों को, उनके कर्तव्य के अनुपालन के दौरान हुई किसी क्षति, निःशक्तता या मृत्यु के लिए पर्याप्त बीमा जोखिम राशि हेतु स्कीम तैयार करेगी।

जोखिम राशि
(बीमा
कवरेज),
अस्पताल
आदि।

(2) विशेषज्ञीय विंगों, जैसे कि बम निरोधक दस्तों, कमांडो समूहों आदि में लगाए गए पुलिस अधिकारियों को इन कर्तव्यों के पालन में अन्तर्वलित जोखिमों के अनुरूप जोखिम भत्ता संदत्त किया जाएगा।

(3) बटालियन मुख्यालयों और ऐसे अन्य अवस्थानों जैसे आवश्यक समझे जाएं पर, पुलिस अधिकारियों को अपेक्षित स्वास्थ्य के मानक और शारीरिक योग्यता बनाए रखने के लिए साधारण उपचार देने हेतु, समुचित चिकित्सा प्रसुविधाएं स्थापित की जाएंगी।

(4) पुलिस थाना, बटालियनों और अन्य पुलिस स्थापनों में व्यवसायिक तनावों से निपटने के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श देने वाली सुविधाएं प्रदान करने के लिए सम्यक् ध्यान दिया जाएगा।

107. (1) जिला, बटालियन, रेंज और मुख्यालय स्तर पर पुलिस शिकायत समितियां होंगी जिनका नेतृत्व (हैड) क्रमशः अधीक्षक, कमांडेंट, उप-महानिरीक्षक और ऐसे अधिकारी जो अतिरिक्त महानिदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो, द्वारा किया जाएगा और प्रत्येक समिति में पुलिस महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट दो अन्य राजपत्रित पुलिस अधिकारी होंगे:

शिकायत
प्रतिषेध।

परन्तु मुख्यालय समिति के लिए नामनिर्दिष्ट दो राजपत्रित पुलिस अधिकारी कम से कम महानिरीक्षक की पंक्ति के होंगे।

(2) ग्रेड-II के अराजपत्रित पुलिस अधिकारी के अभ्यावेदन, यथास्थिति, जिला या बटालियन समिति को लिखित में किए जाएंगे।

(3) ग्रेड-I के अराजपत्रित पुलिस अधिकारी के अभ्यावेदन, यथास्थिति, रेंज या इकाई के उप-महानिरीक्षक को लिखित में किए जाएंगे।

(4) राजपत्रित पुलिस अधिकारियों द्वारा अभ्यावेदन मुख्यालय समिति को किए जाएंगे जो जिला, बटालियन और रेंज समितियों के विनिश्चय के विरुद्ध अपीलें भी सुनेगी:

परन्तु समस्त ऐसे मामलों में जहां अभ्यावेदन में सरकार के स्तर पर विचार किया जाना अपेक्षित है, पुलिस महानिदेशक मामले को मुख्यालय समिति को निर्दिष्ट करने के बजाए, अभ्यावेदन को राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(5) समस्त अभ्यावेदन और अपीलें तीस दिन के भीतर विनिश्चित कर दी जानी चाहिए और तीस दिन के पश्चात् विनिश्चित मामलों का संक्षिप्त कथन और साथ ही तीस दिन से पुराने और अभी तक लम्बित मामलों की सूची की, प्रत्येक मामले के तथ्यों और विलम्ब के कारणों सहित, रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक द्वारा राज्य पुलिस बोर्ड को दी जाएगी जो समुचित निदेश जारी कर सकेगा।

(6) शिकायतों का विश्लेषण, उनके कारणों और पुलिस सेवाओं के मनोबल और दक्षता पर उसके प्रभाव को, प्रतिवर्ष कार्यान्वित किया जाएगा और राज्य पुलिस बोर्ड की रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाएगा।

काम के घण्टे।

108. (1) राज्य सरकार, यह सुनिश्चित करने के लिए, प्रभावी कदम उठाएगी कि एक पुलिस अधिकारी के एक दिन में औसत कर्तव्य (डियूटी) के घण्टे आठ से अधिक न हो :

परन्तु अपवादिक कारणों के लिए किसी पुलिस अधिकारी के कर्तव्य के घण्टों को बारह घण्टे तक बढ़ाया जा सकेगा और ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारियों को पर्याप्त प्रतिकर और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

(2) राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी कि समस्त पुलिस अधिकारियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन का अवकाश दिया जाए।

अध्याय-14

अपराध, शास्तियां और शक्तियां

109. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी सड़क, पथ या सार्वजनिक मार्ग में जुलूस निकालना या सभा का संयोजन अथवा इकट्ठा करना चाहता है, तो उसका यह कर्तव्य होगा कि वह, अधिकारिता रखने वाले पुलिस थाना के प्रभारी या उप-मण्डल पुलिस अधिकारी या जिला पुलिस अधीक्षक को कम से कम चौबीस घण्टे पूर्व लिखित में इसकी सूचना दे।

सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों का विनियमन।

(2) जिला पुलिस अधीक्षक या उसके द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत पुलिस अधिकारी, जो उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, का यह समाधान होने पर कि, ऐसी सभा या जुलूस, यदि अनियंत्रित या अविनियमित हो, से परिशांति-भंग होने की सम्भावना है, तो वह संतोषप्रद विनियम-विषयक इन्तजामों, जिनके अनुपालन में ऐसी सभा या जुलूस हो, की व्यवस्था करने सहित आवश्यक निर्बन्धन और शर्तें अधिरोपित कर सकेगा।

(3) जिला पुलिस अधीक्षक या उसके द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत पुलिस अधिकारी, जो उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, जहां आवश्यक हो, सड़कों या सार्वजनिक पथों या सार्वजनिक मार्गों पर सभाओं और जुलूसों को संचालित करने के लिए निदेश दे सकेगा और ऐसे जुलूसों को गुजरने के लिए मार्गों को और समय को विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

110. यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या कोई राजपत्रित पुलिस अधिकारी या पुलिस थाना का भारसाधक अधिकारी किसी सभा या जुलूस, जिसे इस अधिनियम की धारा 109 के उपबन्धों के उल्लंघन में आयोजित (संयोजित) या संगठित किया गया है, को रोकने की शक्तियां होंगी, और ऐसी सभा या जुलूस को तितर-बितर करने का आदेश देगा और ऐसी सभा "अप्राधिकृत सभा" समझी जाएगी।

विहित शर्तों का अतिक्रमण करने वाली सभाएं और जुलूस।

111. मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या उस द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत अन्य पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो सार्वजनिक सड़कों और पथों, सार्वजनिक मार्गों, घाटों, उतरने के स्थानों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जनता को

सार्वजनिक सड़कों पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए निदेश।

बाधा, क्षति, अपहानि, स्वास्थ्य परिसंकट, या क्षोभ कारित करने, सम्पत्ति के नुकसान से निवारित करने के आशय से व्यवस्था बनाए रखने के लिए युक्तियुक्त निदेश दे सकेगा।

सार्वजनिक स्थानों को आरक्षित करने तथा बैरियर स्थापित करने की शक्ति।

112. (1) मजिस्ट्रेट या जिला के पुलिस अधीक्षक या उसके द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पुलिस अधिकारी जो उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, सार्वजनिक सूचना (नोटिस) द्वारा, किसी लोक प्रयोजन के लिए, किसी पथ या अन्य सार्वजनिक स्थान को अस्थायी रूप से आरक्षित कर सकेगा और इस प्रकार आरक्षित क्षेत्र में व्यक्तियों के प्रवेश को, सिवाय ऐसी शर्तों, जैसी सूचना (नोटिस) में विनिर्दिष्ट की जाएं, प्रतिषिद्ध कर सकेगा।

(2) जिला का पुलिस अधीक्षक, उसके नियन्त्रणाधीन किसी पुलिस अधिकारी को, किसी लोक प्रयोजन के लिए अस्थायी रूप से आरक्षित की गई किसी सार्वजनिक सड़क पर बैरियर परिनिर्मित करने या परिनिर्मित करवाने को प्राधिकृत कर सकेगा और ऐसे आदेश कर सकेगा, जैसे ऐसे बैरियरों का उपयोग विनियमित करने के लिए उचित समझे जाएं और जनता की सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले सभी आवश्यक कदमों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

सार्वजनिक स्थानों में और इनके निकट संगीत तथा अन्य ध्वनि प्रणाली (साउन्ड सिस्टमज) के प्रयोग का विनियमन।

113. पुलिस थाना या पुलिस उप-मण्डल का भारसाधक अधिकारी, लिखित में आदेश द्वारा, पथों में या इसके समीप और सार्वजनिक स्थानों में आस-पास के निवासियों के क्षोभ के निवारण के लिए, संगीत, ध्वनियों, प्रस्तुतीकरणों, प्रदर्शनों, प्रसारणों और इसी प्रकार के अन्य क्रियाकलापों का समय और वाल्यूम (प्रबलता) विनियमित कर सकेगा।

सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर कतिपय अपराधों की बाबत पुलिस अधिकारियों की शक्तियां।

114. (1) वर्दी में किसी पुलिस अधिकारी के लिए, किसी व्यक्ति को, बिना वारंट के अभिरक्षा में लेना विधिपूर्वक होगा, जो उसकी राय में किसी सड़क, सार्वजनिक स्थान, या सार्वजनिक मार्ग पर राहगीरों को बाधा, क्षोभ, जोखिम, खतरा या क्षति पहुंचाने वाला है, निम्नलिखित में से कोई अपराध करता है—

(i) किसी पशु का वध करता है या स्वैरिता से क्रूरता करता है; या

-
- (ii) अन्धाधुन्ध या बेतहाशा किसी पशु या घोड़े की सवारी करता है या उसे हांकता है; या
- (iii) लोक परिवहन ठहराव स्थान पर यात्रियों को चढ़ाने या उतारने में बाधा डालता है; या
- (iv) किसी वस्तु को विक्रय के लिए अभिदर्शित करता है; या
- (v) धुत्त (मत्त) या असमर्थ या बलवात्मक पाया जाता है; या
- (vi) सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक दृश्यों में स्वयं को अशिष्टता से अभिदर्शित करता है, पेशाब या मलत्याग करता है; या
- (vii) राज्य या केन्द्रीय सरकार या किसी लोक प्राधिकरण की किसी सम्पत्ति पर, अप्राधिकृत रूप से कोई बिल, नोटिस या अन्य कागज चिपकाता है या विरूपित करता है; या
- (viii) राज्य या केन्द्रीय सरकार या लोक प्राधिकरण की किसी सम्पत्ति का जानबूझकर अतिचार करता है; या
- (ix) जानबूझकर किसी सार्वजनिक अलार्म या अन्य किसी सार्वजनिक आपातकालीन सहायक पद्धति को क्षति पहुंचाता है; या
- (x) महिला को परेशान करता है या लुक-छिपकर पीछा करता है या महिला से अशोभनीय अशिष्ट प्रेमाचार करता है या अश्लील टिक्का टिप्पणी या अंगविक्षण करता है; या
- (xi) भीख मांगता या भिक्षा मांगता है।

(2) इस प्रकार गिरफ्तार कोई व्यक्ति, यदि जमानत पर तुरन्त नहीं छोड़ा गया हो, तो उसे अधिकारिता रखने वाले नजदीकी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष यथाशक्यशीघ्र, किन्तु चौबीस घण्टे के अपश्चात् पेश किया जाएगा।

आदेशों या
निदेशों की
अवज्ञा के
लिए शास्ति।

115. (1) जो कोई भी इस अधिनियम की धारा 64, 109, 110, 111, 112 या 113 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, वह, वर्दी में पुलिस अधिकारी, जो सहायक उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, द्वारा वारंट के बिना या के निदेश पर, गिरफ्तार किया जा सकेगा और दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि आठ दिन तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा :

परन्तु इस प्रकार गिरफ्तार कोई व्यक्ति, पुलिस अधिकारी जो उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, के समक्ष दोषी होने का अभिवचन करके अपराध शमन करवा सकेगा, और ऐसा पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति से, ऐसी शमन फीस, जैसी विहित की जाए किन्तु जो जुर्माने की रकम से अधिक न हो स्वीकार कर सकेगा, और शमन फीस के संदाय पर, व्यक्ति, यदि अभिरक्षा में है, को तुरन्त छोड़ दिया जाएगा और उसके विरुद्ध और कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(2) जो कोई भी इस अधिनियम की धारा 114 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर साधारण कारावास से, जो आठ दिन तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच हजार रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा:

परन्तु इस प्रकार गिरफ्तार कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस अधिकारी जो पुलिस उप-अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, के समक्ष दोषी होने का अभिवचन करके अपराध का शमन करवा सकेगा और ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति से विहित की गई शमन फीस जो जुर्माने की रकम से अधिक न हो, स्वीकार कर सकेगा और ऐसी शमन फीस के संदाय पर, व्यक्ति, यदि अभिरक्षा में है, को तुरन्त छोड़ दिया जाएगा और उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

जिला के
मजिस्ट्रेट के
नियंत्रण की
व्यावृत्ति।

116. इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी बात, जिला के मजिस्ट्रेटों के, उन्हें तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सौंपे विषयों पर, साधारण नियंत्रण में हस्तक्षेप करने वाली नहीं समझी जाएगी।

117. (1) कर्तव्य पर कोई पुलिस अधिकारी, समस्त अदावाकृत सम्पत्ति को ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, अभिरक्षा में ले सकेगा।

पुलिस अधिकारी का, अदावाकृत, सम्पत्ति को अपने भारसाधन में लेना।

(2) अभिरक्षा में ली गई अदावाकृत सम्पत्ति का, जिला पुलिस अधीक्षक या उप-मण्डल पुलिस अधिकारी के अनुमोदन से, ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, व्ययन किया जाएगा, और परिवहन, भण्डारकरण तथा सम्पत्ति के व्ययन के खर्चे की कटौती के पश्चात् आगमों को सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाएगा।

(3) पुलिस महानिदेशक, वस्तु की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विनियमों द्वारा समय सीमा नियत कर सकेगा जिसके पश्चात् अदावाकृत सम्पत्ति का व्ययन किया जा सकेगा।

118. कोई व्यक्ति, जो किसी पुलिस अधिकारी के विधिपूर्वक कर्तव्यों और कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालता है, उसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकेगा और दोषसिद्धि पर, तीन माह से अनधिक साधारण कारावास से या पांच हजार रुपए से अनधिक जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।

पुलिस के कार्य में बाधा डालना।

119. जो कोई भी, राज्य पुलिस का सदस्य न होते हुए, राज्य पुलिस की वर्दी या उस वर्दी के रूप अथवा सुभिन्न चिन्ह वाली कोई पोशाक पहनता है, तो वह दोषसिद्धि पर साधारण कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

पुलिस वर्दी का अप्राधिकृत प्रयोग।

120. जो कोई भी, पुलिस अधिकारी न रहने पर, तत्काल और किसी भी दशा में सात दिन के अपश्चात्, अपनी नियुक्ति का प्रमाणपत्र और उसके कर्तव्य के उन्मोचन के लिए दिए गए कपड़े, साजसज्जा तथा अन्य मदें अभ्यर्पित नहीं करता है, तो वह दोषसिद्धि पर जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रमाण-पत्र आदि अभ्यर्पित करने से इनकार।

121. जो कोई भी, अनुचित लाभ अभिप्राप्त करने के प्रयोजन से या किसी व्यक्ति को साशय अपहानि पहुंचाने के प्रयोजन से, पुलिस अधिकारी को जानबूझकर मिथ्या कथन या कथन जो तात्विक विशिष्टियों में भ्रामक है करता है,

मिथ्या या भ्रामक कथन करना।

तो वह, दोषसिद्धि पर कारावास से जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

गिरफ्तारी,
तलाशी,
अभिग्रहण और
हिंसा।

122. जो कोई भी पुलिस अधिकारी होते हुए,—

- (i) विधिपूर्ण प्राधिकार और युक्तियुक्त कारण के बिना, किसी भवन, जलयान, टैन्ट या स्थान पर प्रवेश करता है या तलाशी लेता है अथवा प्रवेश करवाता है या तलाशी करवाता है; या
- (ii) विधिविरुद्धतया या युक्तियुक्त कारण के बिना, किसी व्यक्ति की सम्पत्ति अभिगृहीत करता है; या
- (iii) विधिविरुद्धतया या युक्तियुक्त कारण के बिना, किसी व्यक्ति को निरुद्ध रखता है, तलाशी लेता है या गिरफ्तार करता है; या
- (iv) विधिविरुद्धतया या युक्तियुक्त कारण के बिना, गिरफ्तार या निरुद्ध किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष पेश करने में विलम्ब करता है जिसके सामने वह ऐसे व्यक्ति को पेश करने के लिए विधि द्वारा बाध्य है; या
- (v) पुलिस अधिकारी के रूप में अपने प्राधिकार के दुरुपयोग द्वारा, चाहे कर्त्तव्यरुद्ध रहते हुए या अन्यथा यौन उत्पीड़न करता है; या
- (vi) अपनी अभिरक्षा में व्यक्ति को, जिससे वह अपने कर्त्तव्य के दौरान सम्पर्क में आता है, यातना देता है या किसी प्रकार की विधि विरुद्ध शारीरिक हिंसा करता है; या
- (vii) कोई धमकी, जो विधि द्वारा समर्थित न हो, देता है; या दोषसिद्धि पर कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

123. (1) जब किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई या अभियोजन अधिकारी की हैसियत से उसके द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए लाया जाए या कोई कार्यवाही की जाए, तो उसके लिए यह अभिवचन करना विधिपूर्ण होगा कि ऐसा कार्य मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वारंट के प्राधिकार के अधीन किया गया था।

यह अभिवचन कि कार्य वारंट के अधीन किया था।

(2) ऐसा अभिवचन, उस कार्य का निदेश देने वाला और ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित है, ऐसा वारंट पेश करके सिद्ध किया जाएगा और तब प्रतिवादी, ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता में कोई त्रुटि होने पर भी अपने पक्ष में डिक्री पाने का हकदार होगा। जब तक न्यायालय को ऐसे मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर के असली होने पर शंका का कारण न हो उसके हस्ताक्षर को सिद्ध करना आवश्यक न होगा:

परन्तु, सदैव यह कि कोई ऐसा वारंट जारी करने वाले प्राधिकारी के विरुद्ध जो कोई उपचार पक्षकार को प्राप्त है, वह इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात से प्रभावित नहीं होगा।

124. (1) कोई भी न्यायालय जब अभियुक्त व्यक्ति एक पुलिस अधिकारी हो नियुक्ति या अनुशासन प्राधिकारी की लिखित रिपोर्ट के बिना इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

पुलिस अधिकारियों का अभियोजन।

(2) प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नतर कोई न्यायालय जब अभियुक्त व्यक्तियों में से कोई पुलिस अधिकारी हो, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

(3) किसी भी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध उसके द्वारा कर्तव्यों के सद्भावपूर्वक पालन में सद्भावपूर्वक किए गए किसी कार्य या लोप के लिए कोई वाद या विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

125. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 300 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन इस अधिनियम की कोई बात, किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय बनाई गई किसी बात के लिए किसी अन्य विधि के अधीन अभियोजन चलाने और दण्ड देने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी।

अन्य विधियों के अधीन अपराधों के लिए अभियोजन।

कतिपय मामलों
का संक्षिप्त
निपटारा।

126. (1) इस अधिनियम की धाराओं 64, 109, 110, 111, 112, 113 या 114 के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान करने वाला कोई न्यायालय, अभियुक्त व्यक्ति पर समन की तामील होने पर कथन कर सकेगा कि वह आरोप की सुनवाई से पूर्व विनिश्चित तारीख तक रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा आरोप का दोषी होने का अभिवचन कर सकेगा तथा पांच हजार रुपए से अनधिक ऐसी राशि, जैसी समन में विनिर्दिष्ट की जाए, न्यायालय के पास भेज सकेगा।

(2) जहां कोई अभियुक्त व्यक्ति दोषी होने का अभिवचन करता है और समन में विनिर्दिष्ट राशि को भेजता है, तो उस अपराध के विषय में उसके विरुद्ध कोई आगामी कार्यवाहियां नहीं की जाएगी।

शास्तियों और
जुर्मानों की
वसूली।

127. भारतीय दण्ड संहिता, 1973 की धाराओं 64 से 70 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराओं 421 से 425 के उपबन्ध, इस अधिनियम के अधीन शास्तियों, जुर्मानों या किसी अन्य संदेय राशि को लागू होंगे।

परिसीमा।

128. कोई भी न्यायालय, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 468 में उपबन्धित परिसीमा की अवधि के अवसान के पश्चात्, इस अध्याय के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा और परिसीमा के प्रयोजन के लिए संहिता के अध्याय 36 के उपबन्ध लागू होंगे।

निदेशों और
सार्वजनिक
सूचनाओं को
प्रकाशित करने
के लिए
प्रक्रिया।

129. (1) इस अध्याय के अधीन जारी सभी साधारण निदेश, विनियम, या सार्वजनिक सूचनाएं (पब्लिक नोटिस), अधिकारिता रखने वाले सम्बद्ध जिला मजिस्ट्रेट, उप-मण्डल मजिस्ट्रेट, उप-मण्डल पुलिस अधिकारी के कार्यालय, पुलिस थाना, पंचायतों के कार्यालय में और उससे प्रभावित क्षेत्र (इलाके) में, यथास्थिति, भवनों, संरचना, कार्य या स्थान जिससे यह विशिष्टतया संबंधित है, के समीप सहजदृश्य स्थानों में इसकी प्रतियां चिपका कर अथवा ऐसे स्थानीय समाचार पत्रों और सरकारी वैबसाइटों सहित अन्य संचार माध्यमों जो पुलिस महानिदेशक द्वारा स्थाई आदेश द्वारा विहित किए जाएं, विज्ञापित करके प्रकाशित किए जाएंगे।

(2) यदि इस धारा के अधीन किया गया कोई निदेश या आदेश, किसी ऐसे विषय से सम्बन्धित है जिसकी बाबत लोक स्वास्थ्य, सुविधा या क्षेत्र (इलाके) की सुरक्षा के सम्बन्ध में नगर निगम, नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकरणों

की किसी अन्य विधि, नियम या उपविधियों में उपबन्ध है, तो ऐसा निदेश या आदेश ऐसी विधि, नियम या उप-विधियों के अधधीन होगा।

अध्याय-15

प्रकीर्ण

130. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी तारीख से, फीस और पुरस्कारों का निपटारा।
जैसी राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, "हिमाचल प्रदेश पुलिस निधि" के नाम से ज्ञात एक निधि का गठन किया जाएगा।

(2) निधि राज्य सरकार के नियन्त्रण के अधीन होगी और ऐसी धनराशियां, जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उपलब्ध करवाई गई हों, निधि में जमा की जाएंगी तथा निधि का जमा अतिशेष वित्तीय वर्ष के अन्त में व्यपगत नहीं होगा।

(3) पुलिस महानिदेशक निधि के उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख बनाए रखेगा तथा लेखों की वार्षिक विवरणी ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, तैयार करेगा।

(4) निधि इस अधिनियम के अधीन बेहतर पुलिस तैनाती (पोलिसिंग) से सम्बद्ध उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाएगी।

(5) निधि इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रशासित की जाएगी।

(6) इस अधिनियम के अधीन जारी अनुज्ञप्तियों या लिखित अनुज्ञा के लिए संदत्त समस्त शास्तियां और फीस के आगम और पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रक्रिया की तामील के लिए संदत्त सभी राशियां तथा प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा संदत्त सभी पुरस्कार, समपहरण और शास्तियां या उनके भाग, जो पुलिस अधिकारियों को भेदिया के रूप में विधि द्वारा संदेय है, सिवाय ऐसी किसी फीस या राशियों को, जो किसी स्थानीय प्राधिकरण से सम्बन्धित है, राज्य की संचित निधि में जमा

की जाएंगी और यदि राज्य विधान मण्डल विधि द्वारा ऐसा उपबन्ध करे, निधि ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से उपयोग करने के लिए विनियोजित की जाएगी।

(7) निधि की संपरीक्षा स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश के परीक्षक द्वारा की जाएगी।

आदेशों और अधिसूचनाओं को साबित करने का ढंग।

131. इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के अधीन जारी किसी आदेश या अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र, जिसमें वह प्रकाशित है, की प्रति अथवा ऐसे मजिस्ट्रेट या अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मूल प्रति की प्रमाणित सही प्रति प्रस्तुत करके साबित की जा सकेगी।

नियमों और आदेशों की विधिमान्यता।

132. इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के किसी भी उपबन्ध के अधीन बनाए गए या प्रकाशित नियम, विनियम, जारी आदेश, निदेश या अधिसूचनाएं तथा किया गया न्यायनिर्णयन, जांच या कार्य जो सारतः उनके अनुकूल हो, प्ररूप की किसी त्रुटि के कारण अवैध, शून्य या अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा।

शक्तियों के प्रभार रखने वाले या उनके उत्तरवर्ती अधिकारियों का शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम होना।

133. जब भी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी का पद किसी भी कारण से रिक्त होता है, तो ऐसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के पद के प्रभार को चाहे अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से धारण करने वाला अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी को प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करने और उसको दिए गए सभी कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम होगा।

अनुज्ञप्तियां और शर्तें विनिर्दिष्ट करने की लिखित अनुज्ञा।

134. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रदान की गई कोई अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा, उस अवधि, क्षेत्र (इलाके) तथा उन शर्तों और निर्बन्धनों को विनिर्दिष्ट करेगी जिनके अध्याधीन यह प्रदान की गई है और सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षराधीन दी जाएगी तथा ऐसी फीस के संदाय के अध्याधीन होगी, जैसी विहित की जाए।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे ऐसी अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा प्रदान की गई है, जब तक यह प्रवृत्त रहती है, यदि मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा इस प्रकार अपेक्षित है उसे सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रस्तुत करेगा।

135. (1) इस अधिनियम के अधीन प्रदान की गई कोई अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय निलंबित या प्रतिसंहृत की जा सकेगी यदि इसकी शर्तों या निर्बन्धनों में से किसी का अतिक्रमण किया गया हो, या यदि वह व्यक्ति जिसको यह प्रदान की गई है, ऐसी अनुज्ञा से संबन्धित किसी अपराध का सिद्धदोष हो।

अनुज्ञप्तियों का प्रतिसंहरण और इसके परिणाम।

(2) यदि कोई ऐसी अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा, निलंबित या प्रतिसंहृत या समाप्त हो गई है, तो उस व्यक्ति, जिसे ऐसी अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा प्रदान की गई थी, को तब तक अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा के बिना समझा जाएगा जब तक उसके, यथास्थिति, निलंबन या प्रतिसंहरण के आदेश का रद्दकरण या अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं होता।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति, जिसको अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा दी गई है, की ओर से कार्य करने वाले सेवक या अभिकर्ता द्वारा किए गए किसी ऐसे अतिक्रमण को, उस व्यक्ति द्वारा किया गया अतिक्रमण समझा जाएगा जिसको ऐसी अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा प्रदान की गई है।

136. इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित कोई सार्वजनिक सूचना (नोटिस), लिखित में सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षराधीन होगी, और उससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र (इलाके) में सहजदृश्य सार्वजनिक स्थानों में इसकी प्रतियां चिपकाकर, या सार्वजनिक स्थानों में लाऊडस्पीकर अथवा अन्य साधनों का प्रयोग करके उद्घोषणा द्वारा, या ऐसे स्थानीय अंग्रेजी या हिन्दी समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर, जैसा उक्त प्राधिकारी उचित समझे, प्रकाशित की जाएगी।

सार्वजनिक सूचनाएं (नोटिस) कैसे दी जाएंगी।

137. जब भी इस अधिनियम के अधीन, किसी बात का किया जाना या लोप किया जाना या किसी बात की विधिमान्यता सक्षम प्राधिकारी की सम्मति, अनुमोदन, घोषणा, राय या समाधान पर निर्भर करती है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी सम्मति, अनुमोदन, घोषणा, राय या समाधान करने या देने का तात्पर्यित हस्ताक्षरित लिखित दस्तावेज ही उसका पर्याप्त साक्ष्य होगा।

सक्षम प्राधिकारी की सहमति उसके हस्ताक्षर से लिखित दस्तावेज द्वारा साबित की जा सकेगी।

सूचनाओं
(नोटिसों) पर
हस्ताक्षर
स्टाम्पित हो
सकेंगे।

138. प्रत्येक अनुज्ञप्ति, लिखित अनुज्ञा, सूचना (नोटिस) या अन्य दस्तावेज, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित समन, या वारण्ट या तलाशी वारण्ट नहीं है, पर सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और उचित तौर पर हस्ताक्षरित समझे जाएंगे यदि यह उसके द्वारा जारी करने के लिए प्राधिकृत है तथा उसके हस्ताक्षर का प्रतिरूप उस पर स्टांपित है।

कठिनाई दूर
करने की
शक्ति।

139. इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई पैदा होती है, तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा कोई भी बात, जो उसके उपबन्धों के साथ असंगत न हो, जो इस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होती है, कर सकेगी और इस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश, राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखा जाएगा:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई ऐसा आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

व्यथित व्यक्ति
किसी भी
नियम या
आदेश को
बातिल
(निष्प्रभाव)
करने, उलटने
या परिवर्तित
करने के लिए
राज्य सरकार
को आवेदन
कर सकेगा।

140. इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी प्राधिकार के अधीन लोगों या विशिष्ट प्रवर्ग के व्यक्तियों से कतिपय कर्तव्यों या कृत्यों जो उनके नियंत्रणाधीन हैं को, स्वयं या वर्णित रीति में करने की अपेक्षा करते हुए राज्य सरकार द्वारा बनाए किसी नियम या दिए गए किसी आदेश द्वारा प्रतिकूलतः प्रभावित कोई व्यक्ति, राज्य सरकार को उक्त नियम या आदेश को बातिल (निष्प्रभाव) करने, उलटने या परिवर्तित करने के लिए अभ्यावेदन कर सकेगा।

नियम बनाने
की शक्ति।

141. (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन के पश्चात् इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र, विधान सभा के समक्ष जब वह सत्र में हो, दस दिन से अन्यून अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र में या दो आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया हो या ठीक

बाद के सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई उपान्तरण करती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो ऐसा नियम ऐसे उपान्तरित रूप में ही, यथास्थिति, प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा। तथापि ऐसे किसी उपांतरण या बातिलीकरण से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

142. पुलिस महानिदेशक, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से और इस अधिनियम की धारा 141 के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यक्षीन, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम बना सकेगा।

विनियम बनाने की शक्ति।

143. (1) पुलिस महानिदेशक इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अध्यक्षीन, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए स्थायी आदेश जारी कर सकेगा।

स्थायी आदेश जारी करने की शक्ति।

(2) उप-धारा (1) के अध्यक्षीन पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप-महानिरीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक, और बटालियन का कमांडेंट (समादेशक), उस प्राधिकारी, जिसके वे प्रत्यक्षतः अधीनस्थ हैं, के पूर्व अनुमोदन से और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अध्यक्षीन, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर स्थायी अनुदेश जारी कर सकेगा।

144. (1) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 88 के फलस्वरूप इसकी धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में यथा प्रवृत्त और हिमाचल प्रदेश (विधियों का लागू होना) आदेश, 1948 और बिलासपुर (विधियों का लागू होना) आदेश, 1949 के फलस्वरूप प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में यथा लागू पुलिस अधिनियम, 1861 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) का, जहां तक कि यह हिमाचल प्रदेश में लागू है, एतद्वारा निरसन किया जाता है।

निरसन और व्यावृत्तियां।

(2) हिमाचल प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1968 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त अधिनियम के अधीन किए गए

निरसनो, जारी की गई अधिसूचना, जारी किया गया नियम, किया गया आदेश, किया गया रजिस्ट्रीकरण, की गई नियुक्ति, दिया गया प्रमाण-पत्र, दिया गया नोटिस, किया गया विनिश्चय, दिया गया निदेश, किया गया अनुमोदन, प्राधिकार, दी गई सम्मति, किया गया अनुरोध या की गई कोई बात यदि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ पर प्रवृत्त है, तो उसी प्रकार प्रवृत्त बनी रहेगी तथा इसी प्रकार प्रभावी होगी मानों वह इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई, जारी की गई या दी गई हो।

(3) उक्त अधिनियम के किसी उपबन्ध की किसी अधिनियमिति के समस्त निर्देश इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के निर्देशों के अर्थ के अन्तर्गत होंगे।

(4) हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू पंजाब पुलिस रूलज, 1934 इसके किसी उपबन्ध के इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत होने के सिवाय, प्रवर्तन में बने रहेंगे मानो कि ये इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन बनाए गए हों।

2007 के
हिमाचल प्रदेश
अध्यादेश
संख्यांक 1 का
निरसन और
व्यावृत्तियां।

145.(1) हिमाचल प्रदेश पुलिस अध्यादेश, 2007 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

अनुसूची-1
(धारा 24 और 35 देखें)

प्रथम नियुक्ति पर शपथ या प्रतिज्ञान

“मैं,..... हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता अक्षुण्ण रखूंगा, मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों को भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।

अनुसूची-2
(धारा 25 और 36 देखें)

नियुक्ति का प्रमाणपत्र

राज्य */जिला नामांकन संख्या :-

□....., को हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 के उपबन्धों के अधीन हिमाचल प्रदेश की पुलिस सेवा के सिविल / सशस्त्र अराजपत्रित पुलिस अधिकारी ग्रेड-1 / II* के रूप में नियुक्त किया गया है और उसमें अधिनियम के अधीन सिविल / सशस्त्र पुलिस अधिकारी की शक्तियों कृत्यों और विशेषाधिकारों के साथ-साथ कर्तव्य और उत्तरदायित्व भी निहित किए गए हैं।

*जो लागू न हो काट दें

स्थान.....

तारीख:

नियुक्ति प्राधिकारी का नाम और
पदनाम

HIMACHAL PRADESH POLICE ACT, 2007**ARRANGEMENT OF SECTIONS**

Sections :

CHAPTER-I**PRELIMINARY**

1. Short title, commencement and extent.
2. Definitions.

CHAPTER-II**CONSTITUTION AND ORGANIZATION OF THE STATE POLICE SERVICE**

3. One Police Service for the State.
4. Constitution and Composition of the State Police Service.
5. Appointment of Director-General of Police and other officers.
6. Method of selection and term of office of Director-General of Police.
7. Appointment of Legal Advisor and Financial Advisor.
8. Creation of Police Zones and Ranges.
9. Police Districts.
10. Creation of District-level Special Cells and Sub-Divisions.
11. Creation of Police Stations.
12. Tenure of office of police functionaries.
13. Coordination in matters of overriding public importance.
14. General Administration.
15. Railway Police.
16. State Intelligence and Criminal Investigation Departments.
17. Organisation of Technical and Support Services.
18. Appointment of Director of State Police Training Academy and Principals of Police Training College and Schools.
19. Special Police Officers.
20. Deployment of Additional Police.

21. Maintenance of records and returns.
22. Research and Development.

CHAPTER-III

THE CIVIL POLICE: CONTROL, DUTIES AND RESPONSIBILITIES

23. Recruitment.
24. Oath or affirmation on first appointment.
25. Certificate of appointment.
26. Uniform and badges of rank.
27. Scale of arms and ammunition.
28. Control and Supervision.
29. Conduct and Discipline.
30. Mounted Police.

CHAPTER-IV

THE ARMED POLICE

31. District Armed Reserves and State Armed Police Battalions.
32. Role and functions.
33. Structure of the Armed Police Organization.
34. Rotation between Battalions and Armed Reserves.
35. Oath or affirmation on first appointment.
36. Certificate of appointment.
37. Uniform and badges of rank.
38. Conduct and discipline.
39. Training.
40. Deployment.
41. Arms, Equipment Mobility, Communications etc.
42. Annual report.

CHAPTER-V

ADMINISTRATION AND SUPERINTENDENCE

43. Administration of Police.
44. Powers and Responsibilities of the Director -General.
45. Superintendence of State Police to vest in the State Government.
46. State Policing Plans, objectives of policing and priorities.
47. Mechanism for the evaluation of performance of the Police.

48. Establishment of State Police Board.
49. Composition of Board.
50. Panel for Selection of Non-Official Members.
51. Disqualifications.
52. Term of office and remuneration of Non-Official Members.
53. Functions of the State Police Board.
54. Transaction of business.
55. Annual report on the working of the Board.
56. Police Establishment Committees.
57. Police Gazette.
58. Financial Management.
59. Recognition of meritorious service.

CHAPTER-VI

ROLE, FUNCTIONS, DUTIES & RESPONSIBILITIES OF THE POLICE

60. The role and functions of the Police.
61. Social Responsibilities of the Police.
62. Duties of the Police Service.
63. Superior Police Officer may himself perform duties of a subordinate officer.
64. All persons bound to comply with the reasonable directions of a Police Officer.
65. Arrest and detention.
66. Conduct prohibited for Police Officers.

CHAPTER-VII

POLICING IN RURAL AREAS

67. Police Service in Rural Areas.
68. Duties and Responsibilities of the Beat Officer.
69. Assistance to Gram Panchayat.
70. Village visits by officer-in-charge of Police Station and supervisory Police Officers.
71. Consultative mechanism.

CHAPTER-VIII

POLICE IN URBAN AREAS

72. Constitution of Urban Police Districts, Sub-Divisions and Police Stations.
73. Duties and Responsibilities of Police in Urban Areas.

CHAPTER-IX

PUBLIC ORDER AND INTERNAL SECURITY

74. Public Order, Internal Security and Disaster Management.
75. Declaration of Special Security Zones.
76. Administration of Special Security Zones.

CHAPTER-X

CRIMINAL INVESTIGATION.

77. Reporting and Registration of Crime.
78. Investigation by District Police.
79. Supervision by Sub-Divisional Police Officers.
80. Supervision by the District Superintendent of Police.
81. Investigation of other offences.
82. State Criminal Investigation Department.
83. Forensics.
84. Maintenance of Crime and Forensic Data banks.
85. Respect for privacy and fair investigation.

CHAPTER-XI

REGULATION, CONTROL AND DISCIPLINE

86. Prohibition of certain practices.
87. Breaches of discipline and disciplinary misconduct by a Police Officer.
88. Disciplinary Penalties.
89. Suspension.
90. Appeals from orders of punishment.
91. Separate set of rules for Police Officers.
92. Police Officers always on duty.

CHAPTER-XII

POLICE ACCOUNTABILITY

93. State Police Complaints Authority.
94. District Police Complaints Authority.
95. Composition of the District Police Complaints Authority.

96. Functions of the District Police Complaints Authority.
97. Report of the District Police Complaints Authority.
98. Rights of the complainant.
99. Duty of the Police and other State agencies.
100. Bar to interfere with the functioning of the State Police Complaints Authority or the District Police Complaints Authority.
101. Performance Audit by State Bureau of Police Research and Development.
102. Protection of action taken in good faith.
103. Funding.

CHAPTER-XIII

WELFARE AND GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM

104. Career Progression.
105. Welfare Committee.
106. Insurance coverage, hospitals etc.
107. Grievance Redressal.
108. Working hours.

CHAPTER-XIV

OFFENCES, PENALTIES AND POWERS

109. Regulation of public assemblies and processions.
110. Assemblies and processions violating prescribed conditions.
111. Directions to keep order on public roads.
112. Power to reserve public places and erect barriers.
113. Regulation of the use of music and other sound systems in and near public places.
114. Powers of Police Officers in respect of certain offences on roads or public places.
115. Penalty for disobeying orders or directions.
116. Saving of control of Magistrate of the District.
117. Police Officers to take charge of unclaimed property.
118. Obstruction in Police work.
119. Unauthorized use of Police uniform.
120. Refusal to surrender certificate etc. on ceasing to be a Police Officer.
121. Making a false or misleading statement.
122. Arrest, search, seizure and violence.
123. Plea that act was done under warrant.

124. Prosecution of Police Officers.
125. Prosecution for offences under other laws.
126. Summary disposal of certain cases.
127. Recovery of penalties and fines.
128. Limitation.
129. Procedure for publishing directions and public notices.

CHAPTER-XV

MISCELLANEOUS

130. Disposal of fees and rewards.
131. Method of proving orders and notifications.
132. Validity of rules and orders.
133. Officers holding charge of or succeeding to vacancies competent to exercise powers.
134. Licenses and written permissions to specify conditions.
135. Revocation of licences and its consequences.
136. Public notices how to be given.
137. Consent of a Competent authority may be proved by written document under his signature.
138. Signature on notices may be stamped.
139. Power to remove difficulty.
140. Persons aggrieved may apply to State Government to annul, reverse or alter any rule or order.
141. Power to make rules.
142. Power to make regulations.
143. Power to issue standing orders.
144. Repeal and savings.
145. Repeal of H.P. Ordinance No. 1 of 2007 and savings.

SCHEDULES.

THE HIMACHAL PRADESH POLICE ACT, 2007

(AS ASSENTED BY THE GOVERNOR ON 21ST SEPTEMBER, 2007)

AN

ACT

to consolidate and amend the law relating to the establishment and management of the Police and matters connected therewith or incidental thereto;

WHEREAS the Nation's founding faith is the primacy of the rule of law and the Police, as guardians of the law must promote the rule of law and render impartial and efficient service to the people with due respect for human rights as well as due concern for the security of the State and the Nation;

AND WHEREAS the Police needs to be professionally organized and kept free from extraneous influences, so that it is respected by citizens and accountable to law;

AND WHEREAS it is expedient to explicitly define the role, duties and responsibilities of the Police, taking into account the emerging challenges of policing, and concern for the security of the State as well the need to ensure good governance and respect for human rights;

AND WHEREAS it is necessary to appropriately empower the Police to enable it to function as a professionally efficient, effective and responsive agency.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Police Act, 2007. Short title, commencement and extent.
- (2) It shall be deemed to have come into force on 16th day of July, 2007.

(3) It extends to the whole of the State of Himachal Pradesh.

Definitions.

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires—
- (a) “Act” means the Himachal Pradesh Police Act, 2007;
 - (b) “Cattle” include cows, buffaloes, camels, horses, asses, mules, sheep, goats and swine;
 - (c) “Commissioner” means the Divisional Commissioner of a revenue division;
 - (d) “competent authority” means the authority as may be prescribed under this Act or under the applicable rules of the Central Government, as the case may be;
 - (e) “Criminal misconduct” means such misconduct which is an offence under any criminal law in force;
 - (f) “District” or “revenue District” means a district constituted under the provisions of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954;
 - (g) “fund” means the Himachal Pradesh Police Fund established under section 130 of this Act;
 - (h) “Gazetted Police Officer” means a Police Officer of and above the rank of Assistant Superintendent of Police or Deputy Superintendent of Police;
 - (i) “insurgency” means waging of armed struggle by a group or a section of population against the State or the Nation with a political objective, including the separation of a part of the State from the territory of India;
 - (j) “internal security” means preservation of unity and integrity of the State from disruptive and anti-national forces;
 - (k) “Leader of Opposition” means the person recognized as such by the Speaker of the Vidhan Sabha, and includes a person recognized as the leader of the single largest opposition group in case there is no recognized Leader of Opposition;

- (l) “militant activities” includes any violent activity of a group using explosives, inflammable substances, firearms or other lethal weapons or hazardous substances in order to achieve political or other objectives;
- (m) “Magistrate” means, unless the context otherwise requires, an Executive Magistrate appointed under section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973, and includes a person exercising powers of Sub-Divisional Magistrate or District Magistrate;
- (n) “misconduct” means an act or omission of a Police Officer which is prohibited under this Act or by the rules made thereunder or is not in accordance with the standard of conduct specified under this Act or is not in accordance with the role, functions or responsibilities cast on a Police Officer under this Act;
- (o) “notification” means a notification published under proper authority in the Official Gazette;
- (p) “Non-Gazetted Police Officer” means a Non-Gazetted Police Officer of Grade-I or Grade-II appointed under section 4 of this Act;
- (q) “offence” means any act or omission made punishable by any law for the time being in force;
- (r) “Official Gazette” means the Rajpatra of Himachal Pradesh;
- (s) “organized crime” means any crime committed by a group of persons in pursuance of a common intention of unlawful gain;
- (t) “place of public amusement or public entertainment” means such public places as may be notified by the State Government to be a place of public amusement or public entertainment;
- (u) “Police District” means such area as may be declared to be a Police District by the State Government, by notification, under section 9 of the Act;

-
- (v) "Police Officer" means any member of the Police Service for the State;
- (w) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (x) "police organization" means the various wings of the State Police Service constituted under this Act;
- (y) "public place" means such place to which the public has access whether on payment or free of charge and includes-
- (i) public buildings, markets, trains, buses and monuments and precincts thereof;
 - (ii) any place accessible to the public for drawing water, washing or bathing or for purposes of recreation; and
 - (iii) such other places as may be notified by the State Government;
- (z) 'Range' or 'Police Range' means a Range created under section 8 of this Act;
- (za) "regulations" mean regulations made under this Act;
- (zb) "rules" mean rules made under this Act;
- (zc) "Schedule" means a Schedule appended to this Act;
- (zd) "Service Companies" mean units of the State Armed Police Battalions and District Armed Reserve which are deployed for law and order and other duties in support of the civil police;
- (ze) "Service" or "Police Service" means the Police Service constituted under this Act;
- (zf) "Standing Order" means a special or general order issued by the Director-General of Police in conformity with the provisions of this Act and the rules made thereunder;

- (zg) 'State' means the State of Himachal Pradesh;
- (zh) 'State Government' or 'Government' means the Government of Himachal Pradesh; and
- (zi) "terrorist activity" means any activity of a person or a group of persons using or threatening the use of explosives or inflammable substances or firearms or other lethal weapons or noxious gases or other chemicals or any other substance of a hazardous nature with the aim of striking terror in society or any sector thereof, or with the intention of overawing the Government established by law.

(2) Words and expressions used in this Act but not defined specifically shall have the same meaning as assigned to them in the General Clauses Act, 1897, the Code of Criminal Procedure, 1973, or the Indian Penal Code, 1860.

CHAPTER-II

CONSTITUTION AND ORGANIZATION OF THE STATE POLICE SERVICE

3. (1) There shall be one Police Service for the State, called the "Himachal Pradesh Police Service" and members of such Service shall be liable for posting to any branch of the Service including the Armed Police or any of the specialized wings.

One Police
Service for
the State.

(2) The superintendence of the Police throughout the State shall vest in and shall be exercised by the State Government and except as authorized under this Act, no person, officer or Court shall or be empowered by the State Government to supersede or control any Police functionary.

(3) Police Officers shall at all times remain accountable to the law and responsive to the lawful needs of the people and shall observe strict code of ethical conduct and integrity.

(4) No Police Officer shall resign his office unless he has given not less than three months' notice in writing to his superior officer.

Constitution
and
Composition
of the
State
Police
Service.

4. (1) Subject to the provisions of this Act, the Police Service of the State shall be categorized as the Civil Police and the Armed Police, each consisting of appropriate numbers of—

- (i) Non-Gazetted Police Officers Grade-II, comprising of Constables and Head Constables;
- (ii) Non-Gazetted Police Officers Grade-I, comprising of Assistant Sub-Inspectors, Sub-Inspectors and Inspectors; and
- (iii) Gazetted State Police Service Officers; and
- (iv) Indian Police Service Officers serving in connection with the affairs of the State.

(2) The State Government shall determine the strength of various ranks in the Civil and Armed Police in a manner as may be prescribed.

(3) Recruitment of the Non-Gazetted Police Officers Grade-II to District and State Cadres shall be made through Police Recruitment Board, in accordance with Recruitment and Promotion Rules framed by the State Government:

Provided that the Director-General of Police may transfer Police Officers Grade-II from the State Cadre to a District Cadre and vice-versa under general orders of the State Government.

(4) Promotions within the ranks of Non-Gazetted Police Officers Grade-II shall be made in accordance with Recruitment and Promotion Rules framed by the State Government for the purpose.

(5) Recruitment and promotions to the ranks of Non-Gazetted Police Officers Grade-I shall be made in accordance with Recruitment and Promotion Rules framed by the State Government:

Provided that up to 50% of the posts being directly recruited may be reserved for Non-Gazetted Police Officers with not less 7 years service and fulfilling the educational qualifications prescribed for direct recruits.

(6) Appointment to the Gazetted State Police Service shall be made on the recommendations of the State Public Service Commission in accordance with Recruitment and Promotions Rules framed by the State Government.

(7) Officers of the Indian Police Service shall be appointed to hold posts in the State in accordance with rules framed by the Central Government.

(8) The pay, allowances, pensions and other conditions of service of the officers of State Police Service other than the Indian Police Service shall be such as may be prescribed from time to time.

5. (1) For the overall control and supervision of the Police Service, the State Government shall appoint a Director-General of Police who shall exercise such powers and perform such functions and duties and shall have such responsibilities and such authority as may be provided by or under this Act or rules made thereunder.

Appoint-
ment of
Director-
General of
Police and
other
officers.

(2) The post of Director-General of Police shall be the senior-most position in the hierarchy of the Police Service of the State and no officer senior or equivalent in rank to the incumbent of the post of Director-General of Police shall be posted to any position within the State Police Organization.

(3) The State Government may appoint one or more Additional Directors-General and as many Inspectors-General and Deputy Inspectors-General and Assistant Inspectors-General of Police as it may consider necessary, subject to rules made in this behalf by the Central Government.

(4) The State Government may in consultation with the Director-General of Police, by a general or special order published in the Official Gazette, direct an Additional Director-General or Inspector-General or Deputy-Inspector General or Assistant Inspector-General of Police to assist and aid the Director-General of Police in the performance and exercise of his functions, duties, responsibilities, authority and powers, in such manner and to such extent as may be specified in such order.

(5) Subject to such general or special order of the State Government, the Director- General of Police may, from time to time, assign specific duties and responsibilities by a general or special standing order.

6. (1) The State Government shall appoint the Director-General of Police from amongst officers of the Indian Police Service in the State Cadre empanelled for the rank in accordance with rules and recommended by a three members Screening Committee headed by the Chief Secretary constituted for the purpose. The Screening Committee shall prepare a panel of atleast 3 suitable persons, and the Screening Committee may be asked to prepare a fresh panel by the Government, if in its view no one from a panel is

Method of
Selection
and Term
of Office of
Director
General of
Police.

suitable. Except in the case where the vacancy is unanticipated, the Screening Committee shall make its recommendation before the vacancy arises:

Provided that in case the Government comes to the conclusion, for reasons to be recorded in writing, that there is no suitable incumbent available in the State Cadre, it may ask the Screening Committee to assess the suitability of empanelled Indian Police Service Officers of other State Cadres subject to their willingness and concurrence of the Central Government.

(2) The Screening Committee may devise its own procedure and shall consider the names of all empanelled Officers of the Indian Police Service in the State Cadre and shall make its assessment on the basis of —

- (i) the performance appraisal reports;
- (ii) the range of experience relevant to professional police work including experience of work in Central Police Organizations;
- (iii) clean record of service in terms of indictment of the officer in any criminal or disciplinary proceedings or on the grounds of corruption or moral turpitude; and
- (iv) due weightage being assigned to award of medals for Gallantry, Distinguished and Meritorious services:

Provided that where the Committee finds that no suitable Indian Police Service Officer is available in the State Cadre, it shall make its assessment with regard to Indian Police Service Officers of others State Cadres, in accordance with the proviso to sub-section (1).

(3) The Director- General of Police appointed in accordance with the provisions of this Act shall have tenure till superannuation as may be provided in the rules made by the Central Government in this behalf:

Provided that an incumbent may be removed from the post before the expiry of his tenure by the State Government through a written order specifying reasons, consequent upon—

- (i) framing of charges in a criminal case by a Court of law; or

- (ii) issue of charge-sheet under the provisions of the All India Services (Discipline and Appeal) Rules or any other relevant rules; or
- (iii) suspension from service; or
- (iv) incapacitation by physical or mental illness or otherwise becoming unable to discharge his functions as Director-General of Police; or
- (v) administrative exigencies, in the larger public interest :

Provided further that the officer may be allowed by the State Government to relinquish charge of the post on—

- (i) appointment to a post under the Central Government or another State Government or an International Organization, subject to such officer having given his consent to such a posting; or
- (ii) resignation or voluntary retirement from service.

7. The State Government may appoint a Legal Advisor and a Financial Advisor of such rank as may be determined by the State Government, to assist and aid the Director-General of Police on legal and financial matters respectively, in the discharge of his duties and functions.

Appoint-
ment of
Legal
Advisor and
Financial
Advisor.

8. (1) The State Government may, in consultation with the Director - General of Police, by notification, constitute the entire geographical area of the State into one or more Police Zones, each with its headquarters. Each Zone, comprising of two or more Police Ranges, shall be headed by an officer of the rank of Inspector-General who shall be responsible for superintendence and control of the police administration of the Zone and shall report to the Director-General of Police.

Creation of
Police
Zones and
Ranges.

(2) The State Government may, in consultation with the Director-General of Police, by notification, create as many Police Ranges as deemed necessary, each with its headquarters. Each Range, consisting of two or more Police Districts, shall be headed by an officer of the rank of Deputy Inspector-General who shall be responsible for superintendence and control of the police administration of the Range and shall report to the Inspector-General in-charge of the Zone concerned.

Police
Districts.

9. The State Government, may in consultation with the Director-General of Police, by notification, declare any area within the State to be a Police District, with its headquarters. The administration of the police throughout such district shall be under the charge of the Superintendent of Police who may be assisted by as many Additional, Assistant or Deputy Superintendents of Police as deemed necessary subject to the rules made for the purpose:

Provided that the State Government may, in the public interest and for reasons to be recorded, post such Additional, Assistant or Deputy Superintendents of Police to a District as may be necessary, for a period not exceeding six months.

Creation of
District-
level
Special
Cells and
Sub-
Divisions.

10. (1) For the purpose of ensuring quick and scientific investigation of such serious offences as may be notified, the State Government shall, in consultation with the Director-General of Police, by notification, create a Special Cell in each Police District, to be headed by an officer of the rank of Additional, Assistant or Deputy Superintendent of Police, for supervision and monitoring of investigation and for the better coordination of prosecution of such cases in a Court of law.

(2) The State Government may, by notification, divide a Police District into as many Sub-Divisions as deemed necessary each with its headquarters, under the charge of an officer of the rank of Assistant or Deputy Superintendent of Police, who shall be known as the Sub- Divisional Police Officer.

Creation
of Police
Stations.

11. (1) Subject to such norms as may be prescribed, the State Government may, in consultation with the Director-General of Police, by notification, create as many Police Stations in a Police District as deemed necessary, with jurisdiction over such villages as may be specified in the notification, keeping in view the population, geography of the area, the crime rate, the workload with respect to the law & order and the distances to be traversed by the inhabitants to reach the Police Station:

Provided that Government may create a Police Post, headed by a Non-Gazetted Officer Grade-I and with such number of other Non-Gazetted Police Officers as the Government may fix, within the local limits of a Police Station and such Police Post shall be under the overall control of the officer-in-charge of the Police Station concerned and shall be deemed to be a part of the Police Station.

(2) Two or more Police Stations may be assigned to a Police Sub-Division for the purpose of control and supervision.

(3) Each Police Station shall have a Station House Officer not below the rank of Sub-Inspector of Police, as the officer-in-charge of the Police Station:

Provided that Police Stations having a higher population or higher crime rate may be placed under the charge of Police Officers of the rank of Inspector of Police.

(4) The State Government shall ensure at all times, availability of adequate strength of staff at each Police Station, based on norms as may be prescribed.

(5) The State Government shall endeavour to provide to each Police Station all essential amenities such as a reception-cum-visitors' room, interrogation room of appropriate design, separate toilets for men and women and separate lock-ups for men and women.

(6) In order to ensure professional and scientific investigation, each Police Station shall have a separate Investigation wing known as the "Criminal Investigation Unit" (CIU) staffed by such numbers of Investigation Officers from amongst Non-Gazetted Police Officers Grade-I as may be determined, along with appropriate numbers of Non-Gazetted Police Officers Grade-II.

(7) The qualifications and experience for the Investigation Officers shall be specified by regulations made by the Director-General of Police.

(8) The State Government shall ensure that every Police Station at District Headquarters and Sub-Divisional Headquarters, and such other Police Stations as may be notified from time to time, shall have a Women & Children Cell staffed by women police, to record complaints of offences against women and children.

(9) Each Police Station shall prominently display all the information required to be made public under the Right to Information Act, 2005, and all Standing Orders of the Director-General of Police required to be so displayed as well as information relating to occurrence of crime, arrests, detention, release, convictions and acquittals:

Provided that the information shall be displayed in such manner as the Director-General of Police may by general or special Standing Order specify from time to time and subject to such Standing Orders, the Deputy-Inspector General within his Range, and the Superintendent of Police within the District,

may issue directions for display of such information as may be necessary in the public interest.

(10) It shall be the duty of every officer-in-charge of a Police Station to keep a General Diary in such form as may be prescribed and to record therein all complaints, the names of the complainants, and charges preferred, the names of all persons arrested, the offences charged against them, the weapons or property that have been taken from their possession or otherwise, and the name of the witnesses who have been examined.

Tenure of
office of
police
functionaries.

12. An Officer posted as Station House Officer or as Sub-Divisional Police Officer or as Superintendent of Police of a District shall normally have a minimum tenure of two years and a maximum tenure of three years, unless promoted to a higher post earlier:

Provided that an officer may be retained for upto six months after expiry of his tenure, in the public interest for reasons to be recorded in writing:

Provided further that any such officer may be removed from his post before the expiry of the minimum tenure of two years by the authority competent to remove him for reasons to be recorded in writing, consequent upon—

- (i) filing of a chargesheet in a criminal case in a Court of law; or
- (ii) serving of a charge-sheet for a major penalty under the relevant disciplinary rules; or
- (iii) suspension from service in accordance with the provisions of the relevant disciplinary rules; or
- (iv) reversion to a lower post for administrative reasons; or
- (v) incapacitation by physical or mental illness or otherwise becoming unable to discharge his functions and duties; or
- (vi) administrative exigencies, in the larger public interest.

13. (1) The Commissioner and the District Magistrate within their jurisdiction shall function as nodal and coordinating authorities on behalf of the State Government and provide leadership in times of crises likely to affect the public peace.

Coordination
in matters of
overriding
public
importance.

(2) In order that these functionaries are able to discharge these functions effectively in matters of overriding public importance, the Deputy Inspector-General of the Range shall keep the Commissioner fully informed of all matters relating to the state of law and order in the Division and potential for any concerted effort to disturb the public peace.

(3) The District Superintendent of Police shall keep the District Magistrate fully informed on all matters in the District relating to the state of law and order and potential for disturbance of the public peace and shall promptly consult him on all matters of overriding public importance relating to the Police.

(4) The Sub-Divisional Police Officer and the Station House Officer shall keep the Sub-divisional Magistrate or the Executive Magistrate, as the case may be, fully informed of all matters in the Sub-Division or other local jurisdiction relating to the state of law and order and potential for disturbance of the public peace and shall promptly consult him on all matters of overriding public importance relating to the Police.

14. (1) For the better general administration of the district, it shall be lawful for the District Magistrate, in addition to the powers conferred under the provisions of the Criminal Procedure Code or any other law for the time being in force, to issue directions to the Police of the district in respect of the following, namely :-

General
Administration.

- (i) Matters relating to the promotion of land reforms and the settlement of land disputes including removal of encroachments on Government land, common lands and forest land;
- (ii) Matters relating to projects of State-level importance particularly in relation to power, industry and tourism;
- (iii) Matters relating to extensive disturbance of the public peace and tranquility in any part of the district;
- (iv) Matters relating to the conduct of elections to any public body or holding of any function or event of public importance;

- (v) Matters relating to the handling of natural or manmade disasters or major accidents;
- (vi) Matters relating to situations arising out of any external aggression, threat to internal security, insurgency, riots, industrial or other strikes etc.;
- (vii) Matters relating to protection of women, weaker sections and minorities;
- (viii) Any matter, not within the purview of any one department and affecting the general welfare of the people of the district or arising out a judicial pronouncement, necessitating the District Magistrate to use the services of the Police; and
- (ix) Such other matters as the State Government may assign from time to time in the public interest.

(2) It shall be lawful for the District Magistrate to call for information or assistance of a general or special nature from the Police with respect to matters specified in sub-section (1) and the Superintendent of Police shall be duty-bound to furnish such information and all necessary assistance to the District Magistrate for the purpose.

(3) The Superintendent of Police may, in order to provide police service in respect of matters specified under sub-section (1), refer a matter to the District Magistrate to issue directions to all or any of the departments in the district to facilitate such assistance as may be necessary, and the District Magistrate may issue appropriate directions, which shall be complied by the District head of the Department concerned without demur or delay.

(4) The Commissioner of a Division may, without prejudice to the statutory powers of the District Magistrate, give general directions to a District Magistrate in his division in respect of any of the matters specified under this section and the District Magistrate shall give effect to such directions.

Railway
Police.

15. (1) The State Government may, by notification, create one or more special police districts covering such railway areas in the State as it may specify, and may appoint an Inspector-General, Deputy Inspector-General, Assistant Inspector-General, Superintendent of Police, one or more Assistant and Deputy Superintendent of Police and such other Police Officers for each such special district as it may deem necessary.

(2) Subject to the control of the Director-General of Police, such Police Officers shall discharge police functions connected with the administration of railways situated within their respective jurisdiction, and such other functions as the State Government may, from time to time, assign.

(3) The State Government may by general or special order empower any Police Officer to discharge such police functions as may be specified, within the special police district or any part thereof, and exercise the powers of an officer-in-charge of a Police Station in that district, and such Police Officer while exercising such powers shall, subject to any such order as aforesaid, be deemed to be an officer-in-charge of the Police Station discharging the functions of such officer within the limits of his station.

(4) Subject to any general or special orders issued by the State Government, such Police Officers shall, in the discharge of their functions, be vested within the State with the powers and privileges and be liable under this Act or any other law for the time being in force.

(5) The Superintendent of Police may, with the previous approval of the State Government, delegate any of the powers and functions conferred on him under this section to an Assistant or Deputy Superintendent of Police subordinate to him.

16. (1) The State Police Organization shall have a State Intelligence Department for coordination, analysis and dissemination of intelligence, and a State Criminal Investigation Department for taking up investigation of inter-State and inter-district crimes and other important cases as may be entrusted by the Director-General of Police from time to time.

State
Intelligence
and
Criminal
Investigation
Departments.

(2) The State Government may appoint a Police Officer not below the rank of Inspector-General of Police to be the head of each of the two Departments.

(3) The State Criminal Investigation Department shall have specialized wings to deal with different types of crime requiring focused attention or special expertise for investigation, and each of these wings shall be headed by a Gazetted Police Officer of appropriate rank.

(4) The State Intelligence Department shall have similarly, specialized wings to coordinate specialized tasks such as security, counter - terrorism, counter - militancy, internal security etc., and each of these wings shall be headed by a Gazetted Police Officer of appropriate rank.

(5) The State Government shall determine the strength of various ranks in the State Criminal Investigation Department and State Intelligence Department.

Organisation of Technical and Support Services.

17. (1) The State Government shall create and effectively maintain a Directorate of Forensic Science dedicated to providing independent forensic reports to the Police which shall be comprised of a Forensic Science Laboratory at the State-level, a Regional Forensic Science Laboratory for every Police Range and a Mobile Forensic Science Unit for every Police District, with appropriate equipment and scientific manpower, in accordance with the guidelines laid down by the Directorate of Forensic Science or the Bureau of Police Research and Development.

(2) There shall be a Directorate of Police Communications and Technical Services for the purpose of providing reliable and dedicated communications, informatics and other technical support at all levels of the Police Organization which shall be headed by an officer not below the rank of Deputy Inspector-General of Police with as many Superintendents of Police and Deputy Superintendents of Police, to assist him, as deemed necessary.

(3) The State Government shall frame Recruitment and Promotion Rules, specifying the qualifications and experience required to man these posts.

Appointment of Director of State Police Training Academy and Principals of Police Training College and Schools.

18. (1) The State Government may establish a Police Training Academy at the State level for in-service training of Gazetted Police Officers, a Police Training College for in-service training to Non-Gazetted Police Officers Grade-I and such number of Police Training Schools as may be necessary for in-service training to the Non-Gazetted Police Officers Grade-II of the various wings of the Police organization.

(2) The State Government shall appoint a Police Officer not below the rank of Inspector-General to be the Director of the State Police Training Academy and an officer not below the rank of Deputy Inspector-General to be the Principal of the Police Training College and an officer not below the rank of Superintendent of Police to be the Principal of each Police Training School.

(3) The Academy, College and Schools established under subsection (1) shall include faculty from amongst the Police and related services as well as from academic institutions, as may be prescribed, and the Director of the Academy shall present an Annual Report on behalf of all the Training institutions to the State Police Board.

(4) The State Government may evolve a scheme of monetary and other incentives to attract and retain the best talent available in the Police and related services to the faculty of such training institutions.

19. (1) The State Government may prescribe procedures for appointment of Special Police Officers to assist the Police Service and prescribe the terms and condition of their appointment. Special
Police
Officers.

(2) Subject to sub-section (1), a District Superintendent of Police generally or specially empowered in this behalf by the State Government, may, at any time by a written order signed by him under his seal, appoint any able-bodied and willing person above the age of 18 years, whom he considers fit, to be a Special Police Officer.

(3) Every Special Police Officer appointed under sub-section (2) shall have the same powers, privileges and immunities and be liable to the same duties and responsibilities and be subject to the same authorities as an ordinary Police Officer under this Act.

20. (1) Subject to general or special directions of the State Government, the Superintendent of Police may, in consultation with the District Magistrate, on application made by any person or body corporate showing the necessity thereof, depute such additional number of Police Officers as may be necessary at any place within the Police District and such additional force shall be exclusively under the control of such Superintendent of Police and shall be at the charge of the person or body corporate making the application; Provided that such person or body corporate may, by giving 15 days notice, seek withdrawal of such Police Officers and shall be deemed to have been released from the charge on expiration of the notice period. Deployment
of
Additional
Police.

(2) Wherever any Public work or Public utility or any manufacturing or commercial concern is in operation and it appears to the Director-General of Police that deployment of an additional Police force in such place is necessary in the interest of maintenance of the public peace or an essential service because of the likelihood of strike or other action by employees of such Public work, Public utility or manufacturing or commercial concern, or other persons, he may, with the consent of the State Government, depute appropriate additional force to such place for as long as may be necessary and make orders requiring the payment of such extra force to be made by the management of such work, utility or concern, and the management of such public work, public utility or manufacturing or commercial concern, as the case may be, shall thereupon cause payment to be made accordingly.

(3) All moneys payable under sub-sections (1) and (2) above shall be recoverable by the District Magistrate in the manner provided in sections 421 and 422 of the Code of Criminal Procedure, 1973, for recovery of fines, or by suit in any competent Court.

Maintenance
of records
and
returns.

21. (1) The Director-General of Police, Inspector- General, Deputy Inspector- General or District Superintendent of Police shall maintain such records and submit such returns in such form and in such manner as may be prescribed.

(2) Subject to sub-section (1) the Director-General of Police may, by special or general Standing Orders, specify the nature and format of records to be maintained and reports and returns to be submitted by the District, Range and Zonal level officers of the Police Organisation and of the specialized wings and the Armed Police, and may also specify the procedure to be followed for the purpose, including computerization thereof.

Research
and
Development.

22. The State Government may set up a Police Research and Development Bureau, to be headed by an officer not below the rank of Additional-Director General of Police, independent of the Police Organization, to undertake surveys and studies and provide advice and recommendations to the State Government on matters relating to improving the efficiency of policing services.

CHAPTER-III

THE CIVIL POLICE: CONTROL, DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Recruitment.

23. (1) The Civil Police shall comprise of Officers of Himachal Pradesh Police other than Armed Police, and the strength of various cadres of the Civil Police shall be as prescribed by the State Government from time to time.

(2) Recruitment to the Civil Police shall be made in accordance with Recruitment and Promotion Rules framed by the State Government. The Director-General of Police, subject to the provisions of this Act, shall cause an annual recruitment to be conducted to all Non-Gazetted vacancies in the Civil Police required to be filled by direct recruitment.

(3) Every Civil Police Officer, on initial recruitment shall undergo induction training at the Police Training School in the case of Non-Gazetted Police Officers Grade-II, and Police Training College, in the case of Non-Gazetted Police Officers Grade-I, and Police Training Academy in the case of Gazetted Officers, and the period and syllabus of the training shall be such as may be prescribed from time to time on the recommendations of the Director-General of Police, subject to the general directions of the State Police Board.

24. Every Civil Police Officer on first appointment shall make and subscribe an oath or affirmation in the form set out in Schedule-I to this Act, before the appointing authority or such Gazetted Officer as the State Government may specify by general or special order in this behalf.

Oath or affirmation on first appointment.

25. (1) Each Non-Gazetted Civil Police Officer on first appointment, shall be issued a certificate of appointment in the form given in Schedule-II to this Act, an insignia bearing the acronym 'H.P.P.' and a distinctive enrolment number from a District Roll for a member of the District Cadre and from a State Roll for a member of the State Cadre.

Certificate of appointment.

(2) Each Gazetted Police Officer other than a Member of the Indian Police Service on first appointment to the service shall be issued an insignia bearing the acronym 'H.P.S.'

(3) The Certificate of appointment and insignia shall be deemed as withdrawn and shall be surrendered forthwith to the appointing authority, in case the Police Officer ceases to be a member of the State Police Service, and shall be deposited with the appointing authority in case he has been suspended from the Service.

26. (1) The State Government shall by general or special order published in the Official Gazette, specify the uniform for the various ranks in the Civil Police and the protocol with respect to duties and the wearing of the uniform.

Uniform and badges of rank.

(2) The State Government shall, by general or special order published in the Official Gazette, specify the badges of rank and other distinctive badges that may be worn with the uniform.

27. (1) The armament of the Civil Police shall be fixed by the orders of the State Government in an Equipment Table and Government shall from time to time issue instructions regarding procurement of armaments.

Scale of arms and ammunition.

(2) Distribution of arms to districts shall be fixed on the order of the Director-General of Police, who by means of Standing Orders shall lay down the procedures to be followed for custody and care of arms, ammunition, stock of material for repair and maintenance, and the manner in which damaged and unserviceable weapons are to be disposed off and the procedure in case of loss of any weapon or ammunition.

Control and
Supervision.

28. (1) The Station House Officer shall assign work and shall control and supervise the functioning of the staff of the Police Station and Police Posts in his charge.

(2) The Sub-Divisional Police Officer shall generally control and supervise the Police Stations under his charge, and issue such directions as may be necessary.

(3) The District Superintendent of Police shall generally control and supervise the work of the Sub-Divisional Police Officers and Police Stations and Police Posts in the district and issue such directions as may be necessary.

(4) The Range Deputy Inspector-General and Zonal Inspector-General shall generally control and supervise the work of the Districts in the Range and the Zone respectively.

(5) For other civil police units the Director-General of Police may by special standing order, specify the controlling and supervisory authorities.

(6) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the Director-General of Police by general or special Standing Orders may specify the functions to be performed by the various ranks of Civil Police in relation to each duty and responsibility.

(7) Subject to general or special standing orders of the Director-General of Police, the controlling and supervising officer of the Police Station, Police Sub-Division, Police District or other Civil Police unit may by means of an order communicated in writing, specify the functions to be performed by various ranks of the Civil Police under his control.

(8) For the better management, control and supervision of specialized duties and for the professional development of the members of the Civil Police, the State Government may constitute cadres or sub-cadres within the State Police Service and shall within two years from the commencement of this

Act, create special cadres in the State Police Service for investigation of serious offences.

29. (1) Every Civil Police Officer shall perform to the best of his ability, the functions required from him in relation to any duty or responsibility assigned to him, subject to the provisions of this Act, rules made thereunder and the general or special standing orders of the Director-General of Police.

Conduct
and
Discipline.

(2) Any non-performance or deficiency in the standard of performance of duties or responsibilities shall constitute misconduct and shall make the Police Officer liable for disciplinary action in accordance with conduct and disciplinary rules prescribed by the State Government for the purpose.

30. (1) There may be in each District, such number of Mounted Police, as may be determined from time to time by the State Government, for the purpose of patrols, crowd control and access to difficult areas.

Mounted
Police.

(2) The Director-General of Police shall issue standing orders with regard to procurement, management and maintenance of the remounts and for the training of the mounted police.

Chapter-IV

THE ARMED POLICE

31. In order to assist the civil police promptly and efficiently in dealing with acts involving or likely to involve breach of the peace or breakdown of law and order and also to assist in management of disasters, the State Government shall create Armed Police units with appropriate manpower strengths in the form of an Armed Police Reserve for each Police district, and appropriate number of Armed Police Battalions for the State, including provision of women units, and recruitment to such Armed Police shall be made in accordance with the Recruitment and Promotion Rules framed by the State Government.

District
Armed
Reserves
and State
Armed
Police
Battalions.

32. (1) The Armed Police Battalions shall be a State-level Reserve, to be deployed under specific orders of the Director - General of Police, to aid and assist the civil police in dealing with breaches of the peace or breakdown of law and order or situations arising out of disasters in a local area beyond the management resources of the civil police:

Role and
functions.

Provided that the Director - General of Police by general or special order, may earmark one or more service companies of a Battalion to be deployed on the orders of the Range Deputy Inspector-General as a quick response unit.

(2) The District Armed Reserve shall function under the control, direction and supervision of the District Superintendent of Police as the armed wing of the district police to deal with any local law and order problem or local disaster in the District, and for providing escort to violent or dangerous persons in lawful custody, or such other duties as may be determined by the Director-General of Police by regulations from time to time.

Structure of
the Armed
Police
Organization.

33. (1) A Commandant, equivalent in rank to a Superintendent of Police, shall head each Armed Police Battalion. The Commandant shall be assisted by a Deputy Commandant, equivalent in rank to an Additional Superintendent of Police, who shall be the second-in command of the Battalion. Each Battalion shall be divided into appropriate number of Service Companies and a Headquarter Company, each headed by an Assistant Commandant, equivalent in rank to a Deputy Superintendent of Police.

(2) The Armed Police Organization of the State shall be headed by an officer of the rank of Deputy Inspector-General or above who shall be responsible for the administration, training, operational preparedness and welfare of Officers of all the armed police units in the State, under the overall guidance and supervision of the Director-General of Police.

(3) In fixing the strength of senior officers for the Armed Police Organization, it shall be ensured that for supervising the functioning and preparedness of every three or four Battalions, a senior officer of the rank of Deputy Inspector-General is deployed and if there are two such Deputy Inspectors-General, the Armed Police Organization shall be headed by an officer of the rank of at least Inspector-General.

(4) The duties of the head of the Armed Police Organization, the Deputy Inspector-General, the Commandant, Deputy Commandants, Assistant Commandants and Reserve Inspectors shall be prescribed by the State Government in consultation with the Director-General of Police.

Rotation
between
Battalions
and Armed
Reserves.

34. Officers of District Armed Reserves and Armed Police Battalions shall be rotated from time to time in accordance with general or special Standing Orders of the Director-General of Police. No direct recruitment of Non-Gazetted Police Officers Grade-II shall be made to District

Armed Reserves, and all vacancies shall be held in Battalions and the Director-General of Police shall cause all direct recruitment vacancies to be filled up every year in accordance with the Recruitment and Promotion Rules.

35. Every member of the Armed Police on first appointment shall make and subscribe an oath or affirmation in the form set out in Schedule-I to this Act before the Commandant of the Battalion or such Gazetted Officer as the Government may specify by general or special order in this behalf.

Oath or affirmation on first appointment.

36. (1) Every Non-Gazetted Officer of the Armed Police on first appointment shall be issued a certificate of appointment in the form given in Schedule-II to this Act and insignia bearing the acronym 'H.P.A.P.' and a distinctive enrolment number that shall run serially for the entire Armed Police, separately for the Non-Gazetted Police Officers Grade-II, and for Non-Gazetted Police Officers Grade-I.

Certificate of appointment.

(2) The certificate of appointment and insignia shall be deemed as withdrawn and shall be surrendered forthwith in case the Police Officer ceases to be a member of the Armed Police, and shall be deposited with the appointing authority in case he has been suspended from the service.

37. (1) The State Government shall by general or special order published in the Official Gazette, specify the uniform for the various ranks in the Armed Police and the protocol with respect to the duties and wearing of the uniform.

Uniform and badges of rank.

(2) The State Government shall, by special or general order published in the Official Gazette, specify the badges of rank and other distinctive badges that may be worn with the uniform.

38. (1) Every Armed Police Officer on duty shall ensure the maintenance of peace and tranquility to the best of his ability and shall—

Conduct and discipline.

- (i) obey without delay, all lawful orders of his official superiors issued for the maintenance of law and order;
- (ii) not exercise his discretion to use disproportionate or excessive force;
- (iii) not exercise his discretion to refrain from using appropriate force to maintain the public peace, on extraneous considerations or in pursuance to orders or suggestions from a person other than his official superior; and
- (iv) not use his position, uniform or arms to intimidate any person other than when required in the proper discharge of his duties.

Training. **39.** (1) All members of the Armed Police on initial recruitment shall undergo induction training in batches at the Police Training School, in the case of the Non-Gazetted Police Officers Grade-II, and Police Training College, in the case of Non-Gazetted Police Officers Grade-I. The period and syllabus of the training shall be as may be prescribed.

(2) All ranks in the Armed Police units shall undergo annual refresher training programmes by rotation and such specialized training as may be needed by different categories, determined by general or special order of the Director-General of Police.

(3) Each Battalion shall have one full Company earmarked as the "Training Reserve" to provide for rotational training to all Officers.

(4) The content and methodology of the annual refresher training courses as well as the other specialized courses for the Officers of the District Armed Reserve and State Armed Police Battalions shall be such as may be prescribed on the recommendations of the Director-General of Police, subject to general directions of the State Police Board.

Deployment. **40.** (1) The deployment of Units and Sub-units of the District Armed Reserves and the State Armed Police Battalions shall be in accordance with the provisions of section 32 of this Act and shall be strictly restricted only to those situations where such deployment is considered absolutely necessary.

(2) The deployment shall be made for a fixed period, as specified in the order, and unless the period is extended by a specific order, the force shall return to its headquarters on the expiry of the deployment period.

(3) It shall be the duty of the District Superintendent of Police, in the case of a District Armed Reserve, and the head of the Armed Police Organization for the State, in the case of a Battalion, to ensure that the Officers of these armed units are deployed in a manner that ensures their regular training and constant preparedness for their tasks, as also a fair rotation of duty.

(4) While ordering deployment of any armed police unit, due care shall be taken to ensure that subject to requirements of law and order, the Officers get sufficient rest and also avail a weekly day off.

41. (1) The armament of the Armed Police shall be as fixed by the orders of the State Government in an Equipment Table and items shown in the Equipment Table shall be obtained in the manner prescribed.

Arms,
Equipment,
Mobility,
Communications
etc.

(2) Distribution of arms to the Battalions and District Armed Reserves shall be fixed on the order of the Director-General of Police, who shall also lay down the procedure to be followed for custody and care of arms, ammunition, stock of material for the repairs and maintenance, and manner in which damaged and unserviceable weapons are to be disposed off and the procedure in case of loss of any weapon or ammunition.

(3) The adequacy of arms, equipment, mobility and communications etc. for each Battalion as well as the District Armed Reserve shall be assessed regularly on an annual basis by the officer heading the State Armed Police Organization in consultation with the Commandant and the District Superintendent of Police concerned.

42. The Director-General of Police shall place an annual report before the State Police Board, showing details of deployment of District Armed Reserves and Battalions, the state of their preparedness and training, including adequacy of men, arms, equipment, mobility, communications etc.

Annual
Report.

CHAPTER-V

ADMINISTRATION AND SUPERINTENDENCE

43. (1) The administration of the Police throughout the State shall vest in the Director-General of Police and in such Additional Directors-General, Inspectors-General, Deputy Inspectors-General and other officers as the State Government may appoint, subject to the overall control of the Director-General of Police.

Administration
of the Police.

(2) The administration of police in a district shall vest in the District Superintendent of Police:

Provided that the State Government may intervene in the exercise of the administrative powers by the Director-General of Police or any other competent police authority in exceptional cases involving urgent public interest, for reasons to be recorded in writing, and all such cases shall be brought before the State Police Board in its next meeting.

Powers and Responsibilities of the Director-General.

- 44.** (1) The Director- General of Police shall be responsible to—
- (i) advise the State Government and the State Police Board in all matters of policing;
 - (ii) implement the policies, the strategic Policing Plan and the annual policing sub- plans laid down by the State Government in consultation with the State Police Board;
 - (iii) administer and supervise the Police Service to ensure its efficiency, effectiveness, responsiveness and accountability; and
 - (iv) issue directions irrespective of any general executive instructions to the contrary, but subject to the provisions of this Act and rules made thereunder, for recruitment of Non-Gazetted Police Officers Grade-II and Non-Gazetted Police Officers Grade-I to fill in existing and anticipated vacancies on the basis of the sanctioned strength, in accordance with the Recruitment and Promotion Rules.

Superintendence of State Police to vest in the State Government.

- 45.** (1) The State Government shall ensure an efficient, effective, responsive and accountable Police Service for the entire State and for this purpose, the superintendence of the Police Service throughout the State shall vest in and be exercised by the State Government in accordance with the provisions of this Act.

(2) The State Government shall exercise its superintendence over the Police Service so as to promote the professional efficiency of the Police and to ensure that Police performance is at all times in accordance with the law, and shall lay down policies and guidelines, set standards for quality policing, facilitate their implementation and ensure that the police force performs its duties in a professional manner with functional autonomy.

State Policing Plans, objectives of policing and priorities.

- 46.** (1) The State Government shall, on the basis of a report of the Director-General of Police and on the recommendations of the State Police Board, finalize a strategic Policing Plan with annual Sub-Plans covering a five year period, in such a way that successive Plans overlap for the last year of the previous plan and first year of the succeeding plan:

Provided that the Director-General of Police, in making his report, shall be guided by reports of the District and State Units, duly identifying the

objectives of policing sought to be achieved during the period and the action plan proposed for their implementation.

(2) The State Government shall lay a copy of the strategic Policing Plan and annual Sub-Plan before the State Legislature as soon as it is finalized.

(3) The State Government at the beginning of each financial year shall also place a progress report on the implementation of the strategic Policing Plan as well as the annual Sub-Plan for the preceding year before the Vidhan Sabha.

47. (1) The State Government shall evolve and put in place mechanism for the evaluation of performance of the Police Service in the State as a whole and also district-wise.

Mechanism for the evaluation of performance of the Police.

(2) Without affecting the generality of these provision, the Director-General of Police shall make regulations for the purpose of ensuring—

- (i) inspections at least once a year by the Range Deputy Inspector-General of all the Districts in each Range; and
- (ii) inspection at least twice a year by a Gazetted Officer of the District, including one inspection by the Superintendent of Police personally, of each Police Station and Police Post in every District:

Provided that the regulations shall *inter alia*, specify the form of the inspection, the methodology and the content and shall endeavour to make the inspection an effective instrument for performance evaluation.

48. The State Government shall establish a State Police Board to facilitate the laying down of policies, evaluate performance and ensure the functional autonomy of State Police Service, which shall function in the manner provided in this Act. The Board shall meet as often as deemed necessary, but at least once in three months.

Establishment of State Police Board.

49. (1) The State Police Board shall consist of –

Composition of Board.

- (i) the Chief Minister ... Ex-officio Chairperson;
- (ii) the Minister-in-Charge of Home ... Ex-officio vice Chairperson; (if it is other than the Chief Minister)

-
- | | | |
|--------|--|---------------------------|
| (iii) | the Leader of Opposition of the State Legislative Assembly, Himachal Pradesh. | ... Ex-officio Member; |
| (iv) | Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh. | ...Ex-officio Member; |
| (v) | Principal Secretary (Home) to the Government of Himachal Pradesh. | ...Ex-officio Member; |
| (vi) | Principal Secretary (Social Justice & Empowerment) to the Government of Himachal Pradesh. | ...Ex-officio Member; |
| (vii) | Principal Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh. | ...Ex-officio Member; |
| (viii) | Director of Prosecution | ...Ex-officio Member; |
| (ix) | Director Forensic Science | ...Ex-officio Member; |
| (x) | Director State Police Training Academy. | ...Ex-officio Member; |
| (xi) | Three persons of proven reputation for integrity and competence out of whom atleast one shall be a women member, to be appointed from the fields of academia, law and public administration, on the recommendations of the Selection Panel constituted under section 50. | ... Non-official Members; |
| (xii) | The Director-General of Police | ... Member- Secretary. |

(2) No serving Government employee shall be appointed as a Non-Official Member and any vacancy in the State Police Board shall be filled up as soon as practicable but not later than three months after the seat has fallen vacant. However, no proceeding of the Board shall be deemed to be invalid on account of any vacancy.

50. (1) Non-Official Members of the State Police Board shall be appointed on the recommendation of a Selection Panel which shall consist of-

Panel for selection of Non-Official Members.

- (a) the Lokayukta, Himachal Pradesh ... Chairman;
- (b) the State Chief Information Commissioner, ... member; and Himachal Pradesh.
- (c) the Chairman of the State Public Service Commission ... member.

(2) The State Government shall provide a short-list of 4 suitable persons along with their bio-data against each vacancy. The Panel shall make its selections out of the short-list unless, for reasons to be communicated, the Panel is unable to make a selection; in that event the State Government shall provide another short-list of suitable persons.

(3) The Selection Panel shall evolve its own transparent procedure for selection of the Non-Official Members.

51. A person shall be disqualified for being appointed as or for being a Non-Official Member of the State Police Board if he-

Disqualifications.

- (i) is not a citizen of India; or
- (ii) has a charge-sheet filed against him in a Court of law in a criminal case; or
- (iii) has been dismissed or removed from service under any State or Central Government or Government Organization or compulsorily retired therefrom on the grounds of corruption or misconduct; or
- (iv) holds public office, including that of Member of Parliament or State Legislature, or is an office-bearer of any political party or any organization connected with a political party; or
- (v) is of unsound mind.

52. (1) The term of office of a Non-Official Member of the Board shall be three years and he shall be eligible for reappointment only for one more term.

Term of Office and remuneration of Non-Official Members.

(2) A person appointed as a Non-Official Member may resign his position by a written communication addressed to the Chairman of the Board.

(3) A Non-Official Member shall be entitled to a sitting fee of Rs.1000 per day for effective sitting of the Board and shall be entitled to travelling allowance and daily allowance as per rules of the State Government in this behalf.

Functions
of the State
Police
Board.

53. (1) The State Police Board shall—

- (i) approve broad policy guidelines, including five-years strategic Policing Plans and annual policing Sub- Plans, for promoting efficient, effective, responsive and accountable policing, in accordance with the law;
- (ii) approve from time to time the sanctioned strength of the various ranks of the Non-Gazetted Police Officers and Gazetted State Police Service Officers;
- (iii) identify performance indicators to evaluate the functioning of the police service and these indicators shall, *inter alia*, include operational efficiency, public satisfaction and proper utilization of resources; and
- (iv) review and evaluate organizational performance of the State Police against the five-year strategic Policing Plan and annual policing Sub-Plans and performance indicators as identified and laid down by the State Police Board.

(2) The Board shall make recommendations to the State Government in respect of matters specified under sub-section (1), which shall normally be binding on the State Government and the action taken on the recommendations shall be communicated to the Board within a period of three months:

Provided that if the Government is of the opinion that it is not feasible in the public interest to give effect to any recommendation of the Board, it shall communicate the reasons thereof which shall be placed before the Board in its next meeting.

Transaction
of business.

54. (1) Notice for meetings of the Board shall be issued by the Member-Secretary at least 15 days before each meeting. Members wishing to raise an item shall send notice so as to reach the Member-Secretary at least 7 days in advance and items shall be taken up with the approval of the Chairman of the Board.

(2) All meetings shall be held in Shimla unless the Board decides otherwise. A record of proceedings of the Board shall be maintained by the Member- Secretary who shall cause them to be circulated, with the approval of the Chairman, within 15 days of each meeting.

(3) The quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total membership of the Board. In the absence of quorum, the meeting of the Board shall be adjourned to the same time on the next working day and no quorum shall be required for such adjourned meeting.

(4) The Board may devise its own procedure for transaction of business in accordance with provisions of this Act.

55. (1) The Board shall, within three months after the end of each financial year present to the State Government a report on the work done by it during the year as well on the performance of the State Police, along with the annual policing Sub-Plan for the next year as approved by the Board. The report shall mention all cases where its recommendations were either not accepted or not responded to in accordance with the provisions of this Act.

Annual
report on
the working
of the
Board.

(2) The State Government shall cause each such report to be laid before the State Legislature not later than two months of its receipt along with an action taken report.

56. (1) There shall be a State Police Establishment Committee headed by the Director-General of Police and comprising four senior police officers not below rank of Inspector-General of Police, nominated by the Director-General of Police. The State Police Establishment Committee shall be responsible to—

Police
Establish-
ment
Committees.

- (i) approve all postings and transfers of Non-Gazetted Police Officers between the various wings of the police organization, and deputation outside the organisation and for inter-range transfers in all the wings with the prior approval of the Government in accordance with directions in this regard;
- (ii) approve the issue of general policy directions and Standing Orders to the Deputy Inspector-General and District Superintendent of Police on transfers within their jurisdiction;
- (iii) hear and dispose off representations against transfer orders issued by authorities subordinate to the Director-General of Police;

- (iv) recommend proposals for postings and transfers of Gazetted Police Officers to the State Government subject to provisions of this Act and relevant rules; and
- (v) make recommendations to the State Government with regard to representations in service matters from Gazetted Police Officers:

Provided that the Director-General of Police may, with the previous approval of the State Government, constitute an Establishment Committee for any specific unit within the Police Organisation for making postings and transfers of Non-Gazetted Police Officers within such unit.

Police Gazette.

57. The Director-General of Police shall cause to be published each month a Police Gazette containing Departmental Orders, notifications and circulars of general interest for circulation within the Police Organisation; and shall publish appropriate portions of the publication on the Police Department website.

Financial Management.

58. (1) The Director-General of Police shall be responsible for submitting the budgetary requirements of the Police Service as a whole to the State Government, sufficiently in advance.

(2) The budgetary allocation shall be placed at the disposal of the Director-General of Police who shall be vested with powers to spend the amounts earmarked under each head of the budget.

Recognition of Meritorious Service.

59. The State Government shall, with the approval of the State Police Board, frame a scheme for recognition of Non-Gazetted and Gazetted Police Officers who have done exceptionally meritorious work or who have shown devotion to duty of the highest order, and the State Police Board shall, every year recommend to the State Government names of suitable Police Officers for public recognition in accordance with the provisions of the scheme.

CHAPTER-VI

ROLE, FUNCTIONS, DUTIES & RESPONSIBILITIES OF THE POLICE

The role and functions of the Police.

60. (1) Subject to the assignment of specific duties on units or individual members of the State Police by general or special orders, the general role and functions of the Police Service shall be to—

- (i) act as upholders of the law and to protect life, liberty, property and human rights of the members of the public; and develop and maintain a feeling of security in the community;

- (ii) promote and preserve public order and prevent nuisance in public places;
- (iii) protect internal security, prevent and control terrorist activities, riots, insurgencies, industrial or other strikes, breaches of communal harmony, extremist violence, militant activities and other situations affecting internal security;
- (iv) protect public properties and public infrastructure;
- (v) prevent offences and reduce the opportunities for the commission of offences through preventive action, intelligence gathering and community participation;
- (vi) investigate all offences impartially and professionally using scientific methods, and to apprehend the offenders;
- (vii) assist in the prosecution of offenders by ensuring proper presentation of the investigation in a Court of law;
- (viii) provide, as first responders, all possible help and succour to people in situations arising out of natural or man-made disasters and to provide active assistance to other agencies engaged in relief and rehabilitation measures;
- (ix) aid individuals who are in danger of physical harm to person or property, and to provide necessary services and afford relief to people in distress situations;
- (x) facilitate orderly movement of people in public places, ensure their general safety and security and regulate public gatherings, fairs and processions for the purpose;
- (xi) control and regulate traffic on streets, roads and highways; and generally in public places and prevent obstruction;
- (xii) collect intelligence relating to matters affecting the public peace, crimes including social and economic offences and organized crime, communalism, extremism, terrorism and other matters relating to national security, and take all necessary action to maintain the public peace and prevent crime;

- (xiii) provide guards in accordance with Standing Orders in this behalf, for treasuries, lock-ups and other locations, as sanctioned by the State Government from time to time;
- (xiv) provide escorts over prisoners or others in lawful custody or for valuables in accordance with Standing Orders issued by the Director-General of Police from time to time; and
- (xv) perform such other functions as may be required under this Act and any other law for the time being in force, or as may be prescribed.

Social
Responsibilities of the
Police.

61. (1) Every Police Officer shall—

- (i) behave with the members of the public with due courtesy and decorum;
- (ii) guide and assist members of the public particularly elders, women, children, the poor and indigent and the physically or mentally challenged individuals who may need help and protection;
- (iii) prevent harassment of elders, women and children in public places and public transport;
- (iv) render all requisite assistance to the members of the public, particularly elders, women, children, and the poor and indigent persons, against criminal exploitation by any person or organized group;
- (v) arrange for legally permissible sustenance and shelter to every person in custody and make known to all persons in custody provisions of legal aid Schemes being enforced in the State and also inform the authority concerned to provide such aid;
- (vi) provide all requisite assistance to victims of crime and of road and other accidents and in particular ensure that they are given prompt medical aid, at the nearest facility equipped for the purpose;
- (vii) assist victims of crime and accidents or their next of kin with such information and documents as would facilitate their

compensation claims or would enable them to meet any legal requirements; and

(viii) extend a positive response to victims of crime or their next of kin and to witnesses, during investigation of the offence and prosecution of the offenders.

(2) Police Officers shall at all times remain accountable to the law and responsive to the lawful needs of the people and shall observe strict code of ethical conduct and integrity.

62. (1) The primary responsibility for the discharge of role and functions of the Police under this Act, shall, unless specified otherwise, be with the Police of the District concerned, headed by the District Superintendent of Police:

Duties of the Police Service.

Provided that the State Government may by general order, create or designate special units at District or Police Station level for criminal investigation, traffic, intelligence, law and order etc. and in such a case the responsibility for discharge of the functions specified in the order shall be with such unit.

(2) It shall be the duty of every Police Officer posted to a State Unit, to discharge the role and functions assigned to him to the best of his ability by the proper exercise of powers conferred upon him under this Act or any other law for the time being in force.

63. A Police Officer of a rank superior to that of a constable may perform any duty assigned by law or by a lawful order to any officer subordinate to him, and in the case of any duty imposed on such subordinate, a superior may aid, supplement, supersede or prevent any action of such subordinate by his own action or that of any person lawfully acting under his command or authority, whenever it appears necessary or expedient, for giving more complete or convenient effect to the law or for avoiding any infringement thereof.

Superior Police Officer may himself perform duties of a subordinate officer.

64. All persons shall be bound to comply with the reasonable and lawful directions given by a Police Officer in the discharge of his duties under this Act. Where any person resists, refuses or fails to comply with any such direction, a Police Officer may, without prejudice to any other action, remove such person or arrest and produce him before the nearest Judicial Magistrate having jurisdiction as soon as possible and in any case within a period of twenty four hours.

All persons bound to comply with the reasonable directions of a Police Officer.

Arrest and
detention.

65. (1) A Police Officer effecting an arrest or detaining a person in accordance with the law shall—

- (i) Wear or display accurate, visible and clear identification, including name, rank and the name of the organization he represents;
- (ii) prepare a memo of arrest at the time of arrest, giving the date, time and place of the arrest and forthwith send a written communication to his immediate superior;
- (iii) inform the person arrested of his right to have some one of his choice, as a next friend notified of his arrest or detention as soon as he is put under arrest or is detained, and forthwith cause such a person to be notified as soon as possible, but not later than 24 hours;
- (iv) make an entry in the diary at the place of detention regarding the arrest of the person specifying the name of the next friend of the person arrested who has been informed of the arrest and the names and particulars of the Police Officer in whose custody the person arrested is;
- (v) arrange for immediate medical examination by a doctor designated for the purpose and for further medical examination every 48 hours during his detention in custody;
- (vi) send copies of all the documents, including the memo of arrest, to the Magistrate having jurisdiction in accordance with the provisions of the law.
- (vii) permit the person arrested to meet his lawyer in such manner as may be prescribed; and
- (viii) cause the name and other particulars of the person arrested to be displayed in the notice board at the place of detention and at such other places as may be prescribed.

(2) In making an arrest or detaining a person or keeping an arrested person in custody, only that amount of force shall be used as may be reasonably required to ensure that there is no possibility of escape, and handcuffing of a person arrested or in lawful police custody shall be resorted to only when

there is a reasonable apprehension that such a person may turn violent, attempt suicide, escape, or be forcibly released from arrest or detention.

(3) The Director-General of Police shall by Standing Orders, prescribe detailed procedure in respect of matters under this section.

66. (1) No Police Officer shall withdraw himself from the duties of his office unless expressly allowed to do so by an officer authorized by the State Government. Conduct prohibited for Police Officers.

(2) No Police Officer shall resign his office unless he has given notice in writing to his superior officer of not less than three months.

(3) No Police Officer shall engage in any other employment or office unless expressly permitted to do so, in writing, by the competent authority.

CHAPTER-VII

POLICING IN RURAL AREAS

67. (1) The territorial jurisdiction of a Police Station shall be divided into a suitable number of beats, each covering a village or part thereof, or a cluster of villages, to be kept under the direct charge of a Non-Gazetted Police Officer Grade-II (called Beat Officer) for maintaining regular and close contact with the villages under his charge. Police Services in rural areas.

(2) The officer-in-charge of each Police Station shall ensure that every village in his jurisdiction is covered by the Beat Officer in the manner prescribed by the Superintendent of Police of the District by a general or special order.

(3) The State Government shall, by notification, publish a scheme for designation or appointment of suitable persons as local guards, for a village, cluster of villages or a Beat and assign them such duties, responsibilities and functions, from time to time as may be required in the public interest, for gathering of intelligence, and for assistance in the prevention of crime and maintenance of law and order.

Explanation.—for the purposes of this Chapter, rural areas include all areas other than urban Police Districts, Police Sub-Divisions and Police Stations covered under Chapter –VIII of this Act.

Duties and
Responsibilities
of the
Beat
Officer.

68. (1) The duties and responsibilities of the Beat Officer shall be in respect of his Beat, to—

- (i) maintain liaison with community elders, members of the Panchayat residing in that village, the local Numberdar, local officials such as Patwari, Forest Guard and Chowkidar of the Panchayat, and residents of each village under his charge, and to review, during every visit, the crime prevention measures in the village;
- (ii) collect information relating to crimes and criminals and activities of subversive, militant and anti-social elements, if any, in the village and communicate the same to the officer-in-charge of the Police Station;
- (iii) maintain watch over history-sheeted criminals and bad characters, if any, and others with criminal record;
- (iv) acquaint himself with local disputes having potential for violence or with caste/communal overtones, and inform the officer-in-charge of the Police Station with all available details;
- (v) carry out any other policing task as may be assigned from time to time, including facilitation of witness protection, in respect of the villages assigned to the Beat;
- (vi) keep a record any public grievances and complaints in relation to policing and inform the officer-in-charge of the Police Station promptly; and
- (vii) maintain in such manner as may be specified, a record of the duties and responsibilities carried out by him during his visits and submit the same to the officer-in-charge of the Police Station every month.

Assistance
to Gram
Panchayat.

69. The officer-in-charge of a Police Station and the Beat Officer shall give immediate information, in the manner prescribed, under the Himachal Pradesh Panchayat Raj Act, 1994, to the Gram Panchayat, of any offence that has come to his knowledge and has been committed within the jurisdiction of the Panchayat and is triable by the Panchayat. He shall assist the Panchayat in the lawful exercise of its authority in all such matters.

70. (1) The officer-in-charge of the Police Station shall cause to be maintained a Village Register in such manner as may be specified, entering therein major crimes, incidents or occurrences with potential for crime, based, *inter alia* on the monthly report of the Beat Officer, and shall classify villages as 'Sensitive' or 'Non-Sensitive' Villages in consultation with the District Superintendent of Police.

Village visits by office-in-charge of Police Station and Supervisory Police Officers.

(2) The officer-in-charge of a Police Station shall visit every village under his jurisdiction, in the manner specified by the Superintendent of Police through a general or special order, and while doing so, he shall visit villages that are recorded as 'Sensitive' in the Village Register as a first priority.

(3) All supervisory officers including the Superintendent of Police shall visit as many villages in their jurisdiction as possible giving priority to sensitive villages. The purpose of such visits shall be to review the general state of crime, law and order situation and the activities, if any, of violent and militant individuals or group in the area and to generally acquaint themselves with the goings-on in the village having a bearing on crime, law and order or other policing tasks and to interact with as many local residents as possible so as to assess the level of public satisfaction with police service in the area.

(4) Wherever it appears, on the basis of information received, that there is likelihood of violence or major crime or damage to property in any area, the Superintendent of Police in consultation with the District Magistrate may direct the organization of a group of local and respectable persons for each village of that area for the purpose of carrying out preventive patrols, promoting crime reduction measures and generally assisting the police in their functioning. The group shall be called the Village Defence Committee and may consist of not more than fifteen members.

(5) Members of the Village Defence Committees shall be inducted by the Superintendent of Police in consultation with the local Panchayat, from amongst able-bodied persons, between the age of 25 and 45 years and with good character and antecedents, who are permanent residents of that village, have not been convicted by a court of law or charge-sheeted by the police in a criminal case, or dismissed, removed, discharged or compulsorily retired from any public employment on grounds of moral turpitude, corruption or misconduct, and are not office bearers of any political party; and in including the members, preference shall be given to Home Guards, Ex-servicemen and those who have earlier performed satisfactorily as member of the Village Defence Committee. The Superintendent of Police shall appoint one member as leader of the party, based on his experience and leadership

qualities, and may remove or replace a member or the leader if his work or conduct is not satisfactory.

(6) A Village Defence Committee shall be organized for a period not exceeding 180 days. Provided that the period may be extended further for another 180 days by the Superintendent of Police, in consultation with the District Magistrate, for reasons to be recorded in writing.

(7) Membership of the Village Defence Committee shall be voluntary and honorary and the members of the Village Defence Committee shall wear Photo-identification badges issued by the District Superintendent of Police while performing their duties.

(8) If person ceases to be a member of a Village Defence Committee, he shall forthwith deliver to the Superintendent of Police or to an officer authorized by him, the Photo-identification badge and all records and documents in his possession as a member of the Village Defence Committee.

Consultative
mechanism.

71. (1) The District Superintendent of Police, in consultation with the District Magistrate, shall constitute a Community Liaison Group for each Police Station, comprising respectable local residents of the area with unimpeachable character and antecedents, including retired public servants and heads of teaching institutions, if any, and other representatives of the community, to generally advise the police in their functioning. The Group shall have a fair representation of all segments of the society in villages falling in the Police Station area and not less than one-third of the Group shall comprise women. This Group shall have two representatives nominated from amongst its members by each Panchayat Samiti and one Member nominated from amongst its members by each Municipal Committee and Nagar Panchayat in the jurisdiction of the concerned Police Station:

Provided that no person convicted by a court of law or charge-sheeted by the police in a criminal case, or dismissed, removed, discharged or compulsorily retired from any public employment on grounds of corruption, moral turpitude or misconduct shall be eligible to be inducted in or continue in the Community Liaison Group:

Provided further that no office bearer of a political party shall be eligible to be included in the Group.

(2) The Superintendent of Police shall nominate one of the members of the Community Liaison Group as the Convener. The Group shall articulate

the existing and emerging policing needs of the area, which will be taken into consideration by the Superintendent of Police while preparing the strategic Policing Plan and annual sub-plan for the District and the Group shall perform such other functions as may be prescribed.

(3) The Group shall meet as frequently as necessary, but at least once in every month and the officer-in-charge of the Police Station shall attend all the meetings. Proceedings of each meeting shall be circulated by the Convener to its members and a copy shall also be forwarded to the officer-in-charge of the Police Station who shall endorse a copy thereof to the District Superintendent of Police and Sub-Divisional Police Officer alongwith his comments.

(4) Where it appears to the Sub-Divisional Magistrate or the Sub-Divisional Police Officer that it is expedient for the maintenance of public order or in other emergent circumstances to hold a meeting of the Community Liaison Group, he may either direct the Convener to convene a meeting or may convene a special meeting of the Group under his chairmanship.

CHAPTER-VIII

POLICING IN URBAN AREAS

72. (1) For the better policing of an urban area declared to be a Municipal Corporation or a Municipal Committee or a Nagar Panchayat, the Government may, on the basis of norms to be prescribed, create a Police Station, Police Sub-Division or Police District with the territorial jurisdiction of such urban area.

Constitution
of Urban
Police
Districts,
Sub-
Divisions
and Police
Stations.

(2) A Police District or a Police Sub-Division or a Police Station, created under sub-section (1), shall be called an 'Urban Police District' or 'Urban Police Sub-Division' or 'Urban Police Station' as the case may be.

73. (1) Every Urban Police Station, Urban Police Sub-Division and Urban Police District shall have a Police Control Room operational 24 hours and fully equipped with communication and transport facilities, and emergency services as may be deemed necessary.

Duties and
Responsibilities
of Police in
Urban
Areas.

(2) Every Urban Police District shall have a separate traffic wing headed by a Police Officer of the rank of atleast Inspector.

(3) The Officer-in-charge of a Urban Police District, Urban Police Sub-Division and Urban Police Station shall be a special invitee in official meetings relating to town planning, essential services or emergency services in such urban areas.

(4) Provisions of Chapter-VII of this Act shall apply *mutatis mutandis* to Urban Police Districts, Urban Police Sub-Divisions and Urban Police Stations.

CHAPTER –IX

PUBLIC ORDER AND INTERNAL SECURITY

Public
Order,
Internal
Security
and
Disaster
Management.

74. (1) The Director- General of Police shall cause to be framed a State Internal Security Scheme for the entire State as well as for each of the Districts and major urban areas, to deal with management of public order and shall place it before the State Police Board for its approval.

(2) The District level Internal Security Schemes shall be prepared by the District Superintendent of Police and shall be sent to the Director-General of Police along with the endorsement and suggestions of the District Magistrate and the Commissioner of the Division, and shall be updated annually.

(3) The Internal Security Scheme shall cover all anticipated contingencies involving public security, including riots, aggression, insurgency terrorism, sabotage, strikes, industrial or manmade disasters, natural disasters and the like, based on local conditions.

(4) It shall be the duty of the District Superintendent of Police to provide to the District Magistrate all information regarding resources available with the District Police for managing natural and manmade disasters and Standard Operating Procedures (SOPs) in various contingencies and to advise on the formulation of District level Disaster Management Plans.

(5) The Internal Security Schemes shall incorporate regularly updated and comprehensive Standard Operating Procedures (SOPs) for the action to be taken by the Police, independently or in coordination with other concerned agencies in the period preceding, during, and in the aftermath of a security crisis.

(6) Based on the District level and State level Internal Security Schemes, the Director- General of Police shall prepare Plans for acquisition

of necessary equipment and for the training of Police Officers including Special Units and shall submit proposals to the State Police Board from time to time.

75. (1) If the security of the State is threatened in an area by insurgency or by terrorist or militant activity, the State Government may, by notification published in the Official Gazette, declare such area to be a Special Security Zone.

Declaration
of Special
Security
Zone.

(2) Every notification issued under sub-section (1) shall cease to operate on the expiration of three months unless it has been approved by resolution by the State Legislature within the stipulated period:

Provided that if the State Legislature is dissolved within the stipulated period, the notification shall cease to operate on the expiration of 30 days from the date on which the State Legislature is reconstituted, unless it has been approved by resolution by the State Legislature.

(3) A notification issued under sub-section (1) and approved under sub-section (2) shall cease to operate on the expiration of such period but not exceeding two years, as may be specified in the notification:

Provided that if a resolution approving the continuation of such a notification is passed by the State Legislature, the notification shall continue to be in force for such further period but not exceeding two years from the date on which it would otherwise have ceased to operate, as may be specified in the resolution.

(4) Every notification issued under this section shall be laid, as soon as may be, before the State Legislature.

76. (1) The State Government may, on the recommendations of the State Police Board, by notification, create appropriate police and administrative structure in any Special Security Zone in order to meet the threat of insurgency or terrorism or militancy, and in consultation with the Director-General of Police may prescribe procedures to be followed by the police and administrative structures.

Administra-
tion of
Special
Security
Zones.

(2) The State Government may, on the recommendations of the Director-General of Police or the District Magistrate, and for reasons to be recorded in writing, order the ban or regulation of production, sale, storage, possession or entry of any device or equipment or material substance if such device, equipment or material substance is considered likely to be of assistance

to insurgents or terrorists or militants, as the case may be, in a Special Security Zone.

(3) Any notification issued under this section shall cease to operate on the expiration of the period of operation of the notification issued under section 75 of this Act.

(4) Every notification issued under this section shall be laid, as soon as may be, before the State Legislature.

CHAPTER-X

CRIMINAL INVESTIGATION

Reporting
and
Registration
of Crime.

77. (1) Any person having knowledge of commission of any offence shall forthwith report the matter, along with all particulars within his knowledge, to the Police Station or Police Post having jurisdiction or the nearest Police Station :

Provided that it shall be sufficient for the person to report such information by telephone or such other means as may be specified by the Director-General of Police by Standing Orders.

(2) A report of commission of an offence shall be entered in the records of the Police Station forthwith in accordance with the law in such manner and on such format as may be prescribed.

(3) The officer-in-charge of a Police Station or Police Post having jurisdiction shall cause the report to be investigated in accordance with the provisions of the law for the time being in force:

Provided that if jurisdiction lies with another Police Station, the officer-in-charge of the Police Station where the report has been lodged or entered, shall cause to be forwarded all necessary information to the officer-in-charge of such Police Station in such manner as may be specified by the Director-General of Police by Standing Orders.

Investigation
by District
Police.

78. (1) There shall be a Criminal Investigation Unit in every Police Station for the investigation of serious offences as may be specified by the Director-General of Police, by regulations made from time to time, which shall include murder, kidnapping, sexual and unnatural offences, dacoity and

dowry related offences, and offences other than serious offences may be investigated by other staff of the Police Station subject to the provisions of the Act and the rules made thereunder.

(2) The Criminal Investigation Unit shall comprise of Investigating Officers who shall be Non-Gazetted Police Officers Grade-I and they shall be assisted by such number of Non-Gazetted Police Officers Grade-II as may be prescribed by the State Government or specified by the Director-General of Police by standing orders.

(3) Non-Gazetted Police Officers posted in the Criminal Investigation Unit shall be selected on the basis of their aptitude, competence and integrity and shall form a sub-cadre for the purposes of postings:

Provided that the State Government may prescribe periodical training and examinations for various Non-Gazetted ranks of the Criminal Investigation Unit and may frame rules for the organization and management of the sub-cadre.

(4) Non-Gazetted Police Officers Grade-I posted in the Criminal Investigation Unit shall have a minimum tenure of 3 years and a maximum tenure of 5 years at a Police Station :

Provided that an officer may be transferred before completion of tenure on promotion or reversion to a lower rank or if a charge-sheet has been served on him in a disciplinary case or charges in a criminal case has been framed against him in a Court of law or a criminal case is ordered to be registered by the District Superintendent of Police against him.

(5) Within 3 years from the date of coming into force of this Act, the State Government shall create a separate cadre of Investigation Officers, and a separate cadre of Scene-of-Crime Officers who shall possess such qualifications in scientific investigation and forensic sciences as the State Government may prescribe, and Scene-of-Crime Officers shall be posted in every Police Station at District and Sub-Divisional Headquarters.

(6) An Investigation Officer posted in a Criminal Investigation Unit shall not be assigned any work other than investigation and the investigation work of the Criminal Investigation Unit in the Police Station shall be supervised closely by the officer-in-charge of the Police Station. An officer assigned to a case shall not be changed unless he is suspended or transferred, or his ability to impartially investigate a case is under doubt or the officer is

incapacitated. The officer-in-charge of the Police Station shall record the reasons in case investigation work is proposed to be reassigned and shall obtain the prior written approval of the District Superintendent of Police or Additional Superintendent of Police.

(7) The Investigation Officer assigned to a case shall forthwith visit the scene of the crime and take steps in accordance with investigative procedures specified by the Director-General of Police, by standing orders. The officer-in-charge of the Police Station shall preferably the same day, but in any case within 48 hours, visit the scene of crime in all cases of serious offences and issue specific written directions for ensuring the speedy and fair investigation of the offence.

Supervision
by Sub-
Divisional
Police
Officers.

79. (1) The Sub-Divisional Police Officer shall visit the scene of crime in all cases of serious offences personally at the earliest opportunity but in any case within 48 hours and shall ensure that all requisite legal, scientific and forensic requirements for proper investigation are fully met.

(2) The Sub-Divisional Police Officer shall monitor the progress of investigation in all cases entrusted to the Criminal Investigation Unit and shall issue directions in writing, where in his opinion, a particular aspect requires specific investigation and shall accord approval to the final report in each case of serious offence before it is filed in the Court having jurisdiction.

(3) The Sub-Divisional Police Officer shall closely monitor the progress of prosecution of all serious offences to ensure that the results of the investigation are put forth in the best possible manner before the trial Court.

Supervision
by the
District
Superinten-
dent of
Police.

80. (1) The District Superintendent of Police shall generally monitor the progress of investigation in all criminal cases registered in the District and shall closely oversee the progress of investigation of cases of serious offences by the Criminal Investigation Unit.

(2) The Superintendent of Police shall be assisted by a Law Officer posted for the purpose of providing legal advice on criminal investigation.

(3) The Superintendent of Police shall designate an Additional Superintendent of Police in his district as the in-charge of the District Criminal Investigation Unit to monitor cases of serious offences and make recommendations to him for improving the speed and quality of investigation generally or in specific cases and may also if a case so requires, direct that the investigation shall be done by a Special Investigating Team headed by an

Additional Superintendent of Police, or a Sub-Divisional Police Officer or an Assistant or Deputy Superintendent of Police, comprising Investigating Officers from Criminal Investigation Units of any Police Stations of the District.

81. Offences other than serious offences, including traffic offences, affray, minor disputes affecting the public peace, simple hurt, minor theft, instances of public nuisance and such cases as are not investigated by the Criminal Investigation Unit or any specialized unit shall be investigated by the civil police of the Police Station having jurisdiction.

Investigation
of other
offences.

82. (1) The State Criminal Investigation Department shall take up investigation of only serious offences of inter-state or inter-district nature or of a specialized nature, including cyber crime, organized crime and such other types of offences as may be notified by the State Government from time to time.

State
Criminal
Investigation
Department.

(2) The Director-General of Police may entrust the Criminal Investigation Department with the investigation of any case registered with any Police Station in the State in case special investigation is expeditiously required, or it is necessary to do so, to maintain public credibility in the investigative process.

(3) There shall be a Law Officer not below the rank of the Joint Director (Prosecution) exclusively to assist and aid the officers of the State Criminal Investigation Department on legal aspects of investigation and subsequent prosecution.

(4) The Criminal Investigation Department shall have in its headquarters a Police Station with State wide jurisdiction to facilitate registration of cases to be investigated by the Criminal Investigation Department.

(5) The head of the Criminal Investigation Department may constitute Special Investigation Teams to investigate complex cases and shall have the powers to call for reports of investigation and issue advisories to Investigation Officers of the Criminal Investigation Department and the District Criminal Investigation Unit.

(6) Investigation Officers in the Criminal Investigation Department shall be part of the cadre of Investigation Officers created under sub-section (5) of section 78 and the Scene-of-Crime Officers of the Department shall be part of the Scene-of –Crime Officers cadre.

(7) The District Superintendent of Police shall provide all assistance and criminal intelligence to Investigation Officers whether of the Criminal Investigation Department or otherwise.

(8) The Head of the Criminal Investigation Department shall cause to be prepared, within 6 months from the date of coming into force of this Act, a comprehensive Investigation Manual specifying detailed operating procedures for investigation of serious offences by the Criminal Investigation Department, District Criminal Investigation Unit and Police Station level Criminal Investigation Units. The Manual along with the recommendations of the Director-General of Police shall be placed before the State Police Board for its approval within 9 months from the date of coming into force of this Act.

(9) The Criminal Investigation Department shall publish a periodical Criminal Investigation Gazette, giving information regarding arrests, identification wanted, missing persons, proclaimed offenders, notices and warnings etc., in such form and with such contents as the Director-General of Police may direct from time to time. The Gazette shall be widely circulated, and published on the website of the Police Department.

Forensics.

83. (1) The Director, Forensic Science shall, from time to time, with the approval of the State Police Board, communicate to the State Government, the forensic facilities or services required at the State, Range and District level for the purpose of scientific investigation of crime, and the scientific evidence that should be collected in various circumstances.

(2) The State Government shall make available the necessary financial resources to provide the requisite forensic facilities or services within 6 months and if it is unable to provide the facility it shall communicate the reasons which shall be placed before the State Police Board in its next meeting.

(3) It shall be mandatory for all Investigation Officers, whether of the State Criminal Investigation Department or the Criminal Investigation Unit of the Police Station of the District to collect samples in the manner prescribed by the Director, Forensic Science and send them for analyses to the designated forensic laboratory.

(4) The Director-General of Police, in consultation with Director, Forensic Science, shall, by Standing Order—

- (i) prescribe the expertise including Diploma and Certification for Investigation Officers of the Criminal Investigation Department and the Criminal Investigation Unit;

- (ii) determine the specifications of scientific interrogation centers and the Standard Operating Procedures in such centers;
- (iii) determine the nature and specifications of the audio–video and other equipment that may be used in investigation and the Standard Operating Procedures for the purpose; and
- (iv) lay down the Standard Operating Procedures in investigating various types of crime including the procedure for collecting samples for forensic analysis.

84. (1) The State Criminal Investigation Department shall maintain a data bank of all information important for crime investigation, crime prevention and tracing of lost and missing persons and property and shall administer the State Crime Records Bureau and District Crime Records Bureau for the purpose.

Maintenance
of Crime
and
Forensic
Data banks.

(2) The Criminal Investigation Department shall maintain adequate linkages with District Superintendent of Police and with the National Crime Records Bureau for data updating, sharing and exchange.

(3) The Criminal Investigation Department shall have a Finger Print Bureau to be headed by an Officer of the rank of at least Superintendent of Police. The Bureau shall maintain computerized searchable databanks of fingerprints, including those collected in the course of investigation by the Bureau, the State Criminal Investigation Department or the District Police. The State Finger Print Bureau shall coordinate activities with similar agencies in other States and Government of India. The Finger Print Bureau shall provide training to Investigation Officers of the District Police and develop standard operating procedures for lifting, developing and matching finger prints in various circumstances, and shall publish a Finger Printing Manual for the purpose.

85. (1) Every Investigation Officer and his official superiors shall respect the need for privacy of victims of offences and witnesses.

Respect for
privacy and
fair
investigation.

(2) Every Investigation Officer and his official superiors shall take all possible steps to ensure fair and impartial investigation, and while respecting the right to privacy of victims of offences and witnesses, shall ensure that such information as is necessary to be revealed to the public, in the public interest, for maintaining public credibility in the investigative process, is put forth as soon as possible.

(3) The Director-General of Police may, by regulations, specify procedures for the purpose of this section.

REGULATION, CONTROL AND DISCIPLINE

Prohibition
of certain
practices.

86. (1) No Police Officer shall join or be a member of any Association or participate in the activities of such Association which has an objective, or which aims at, collective negotiation on matters relating to the police service.

(2) No Gazetted Police Officer or Non-Gazetted Police Officer Grade-1 shall be posted in his Home district and no Non-Gazetted Police Officer Grade-II shall be posted in his Home Police Station, as recorded in his Service Book.

(3) No Police Officer shall engage in any employment or office whatsoever other than his duties under this Act, unless expressly permitted to do so in writing by the competent authority.

Breaches of
discipline
and
disciplinary
misconduct
by a Police
Officer.

87. (1) Whoever, being a Police Officer—

- (i) knowingly contravenes or fails to follow the provisions of any law or any rule or instruction made thereunder, in the discharge of his official duties, with the intention of giving undue benefit or causing harm to any person; or
- (ii) knowingly disobeys a lawful direction of his official superior or of a public servant empowered to issue directions, with the intention of giving undue benefit or causing harm to any person; or
- (iii) exhibits cowardice in the line of duty; or
- (iv) abdicates duties or withdraws from duty in contravention of the provisions of this Act; or
- (v) is grossly insubordinate to a superior Police Officer ; or
- (vi) engages himself or participates in any demonstration, procession or strike, or resorts to, or in any way abets, any form of strike or coercion to compel any authority to concede anything; or
- (vii) commits any other service misconduct;

shall be deemed to have breached service discipline and shall be liable to be punished for conduct unbecoming of a Police Officer by a disciplinary authority in accordance with the provisions of this Act and relevant conduct rules.

(2) The State Government, having regard to the nature of misconduct, may by notification published in the Official Gazette, classify the “major” and “minor” misconducts for which any of the following penalties shall respectively be awarded, namely:—

(I) Major Penalties—

- (a) Dismissal from service; or
- (b) Removal from service; or
- (c) Compulsory retirement; or
- (d) Reduction in rank; provided that such reduction shall not be to a rank below the rank in which such officer was recruited:

Provided that a Police Officer who has been sentenced by a criminal court of law to imprisonment exceeding one month or whose misconduct is of the gravest nature, including—

- (i) spying or anti-national activities; or
- (ii) damaging public infrastructure or public property; or
- (iii) causing indiscipline amongst fellow policemen or going on strike, mass causal leave or resorting to mass abstention; or
- (iv) promoting enmity between various classes of society or causing riots etc; or
- (v) negligence or connivance in escape of a prisoner in lawful custody; or
- (vi) corruption or perjury ; or
- (vii) such other major misconduct as the State Government may, having regard to its nature, declare to be misconduct of the gravest nature;

shall be awarded the penalty of dismissal from service; and

(II) Minor Penalties:—

- (a) reduction in pay by upto 3 stages in the timescale for a period not exceeding 3 years; or

- (b) withholding of increments for upto 3 years ; or
- (c) fine not exceeding one month's pay; or
- (d) reprimand or censure; or
- (e) fatigue drill.

Disciplinary Penalties.

88. (1) Subject to the provisions of this Act and in the manner as may be prescribed, any Gazetted Police Officer of the rank of Superintendent of Police or above, can award any of the major penalties to any Non-Gazetted Police Officer for whom such Gazetted Officer is an appointing authority.

(2) Any Gazetted Police Officer of the rank of Superintendent of Police or above, in accordance with the procedure prescribed, shall have the power to award any of the minor penalties to any Non-Gazetted Police Officer under his official control.

(3) The Assistant Superintendent of Police or the Deputy Superintendent of Police or any other officer of equivalent or higher rank shall have the power to award the minor penalty of reprimand or censure to Non-Gazetted Police Officers upto the rank of Sub-Inspectors of Police for such misconduct as may be prescribed.

(4) Any Police Officer of the rank of Inspector and above may, in accordance with the procedure prescribed, award the minor penalty of reprimand or censure or of fatigue drill to Non-Gazetted Police Officers Grade-II for such misconduct as may be prescribed.

(5) Any penalty specified under sub-sections (1) to (4), if awarded to any Police Officer, shall not affect his liability for prosecution and punishment for any criminal offence committed by him or his liability to make good the pecuniary loss caused by his proven misconduct.

Suspension.

89. (1) Any Gazetted Police Officer or Inspector or any officer-in-charge of a Police Station, as the case may be, may suspend, pending inquiry or investigation, any Non-Gazetted Officer under his control who is guilty or reasonably suspected guilty of gravest misconduct and whose immediate suspension is necessary in the public interest or to maintain discipline in the Police force:

Provided that where any Police Officer below the disciplinary authority orders the suspension of a Police Officer under his control, he shall immediately inform the disciplinary authority, who may confirm or rescind the order.

(2) Suspension of Gazetted Police Officers shall be made by the authority competent to order suspension under the relevant service rules.

(3) Every order of suspension passed under this section shall be in writing giving briefly the reasons thereof.

(4) Where a Police Officer is suspended (whether in connection with any disciplinary proceeding or otherwise) and any other disciplinary proceeding is commenced against him during the continuance of his suspension, the authority competent to place him under suspension may, for reasons to be recorded in writing, direct that the Police Officer shall continue to be under suspension until the termination of all or any such proceedings.

(5) An order of suspension may, at any time, be revoked, modified or reviewed suo moto, or on the representation of the suspended officer by the authority which made the order or by any authority to which that authority is subordinate.

(6) All cases where the period of suspension exceeds one year shall be reported to the State Police Board by the Director-General of Police.

90. An appeal against any order of punishment passed against a Police Officer under this Act or the rules made thereunder shall lie— Appeals from orders of punishment.

(i) where the order is passed by the Director-General of Police, to the State Government;

(ii) where the order is passed by an officer subordinate to the Director-General of Police, to the next higher-ranking officer in the police hierarchy in that organization.

91. (1) All Non-Gazetted Police Officers shall be exempted from application of classification, discipline, appeal and conduct Rules applicable to other State Government employees, and shall be governed by Rules framed under this Act for the said purpose. Separate set of rules for Police Officers.

(2) Indian Police Service and Gazetted State Police Service Officers shall be governed by their respective rules on matters relating to conditions of their service.

92. (1) Every Police Officer not on leave or under suspension shall, for all purposes of this Act, be considered to be always on duty and may at any time be deployed as a Police Officer in any part of the State, or in any other State in accordance with the law. Police Officers always on duty.

(2) A Police Officer shall not abdicate his duties or withdraw himself from the duties thereof, unless expressly allowed to do so in writing by the Director-General of Police or any such officer as may be authorized by him to grant such permission or by the competent officer in case of Indian Police Service Officers and Gazetted State Police Officers. A Police Officer who, being on leave, fails without reasonable cause to report himself for duty on the expiration of such leave shall be deemed within the meaning of this section, to withdraw himself from the duties of his office.

CHAPTER-XII

POLICE ACCOUNTABILITY

State Police
Complaints
Authority.

93. (1) There shall be established a State Police Complaints Authority comprising the Lokayukta, Himachal Pradesh to receive and enquire into allegations of criminal misconduct by Police Officers. The State Police Complaints Authority may also generally oversee the system of police accountability in order to reduce the potential for corruption in police services. The recommendations of the State Police Complaints Authority shall be binding on the State Government.

(2) In all cases where action to implement the recommendations has not commenced within a period of 60 days from receipt of the recommendations, the State Government shall inform the Authority of the reasons.

(3) The powers of the State Police Complaints Authority shall be such as may be prescribed.

District
Police
Complaints
Authority.

94. (1) The State Government shall establish a Police Complaints Authority in each District to receive complaints of misconduct including criminal misconduct. The authority shall also monitor the status of departmental inquiries against Non-Gazetted Police Officers initiated in the District on the orders of the State Police Complaints Authority.

(2) The powers of the District Police Complaint Authority shall be such as may be prescribed with the concurrence of the State Police Complaints Authority.

95. (1) The District Police Complaints Authority shall be headed by the Divisional Commissioner of the Division and shall include 3 other Non-Official Members (who may be retired senior Police Officers of the rank of Superintendent of Police and above, retired prosecutors of the rank of District Attorney and above, or retired Judicial officers of the rank of Additional District Judge and above). The Non-Official Members shall be nominated by the State Government in consultation with the Lokayukta for a period of three years and shall be eligible for re-nomination.

Composition
of the
District
Police
Complaints
Authority.

(2) No person shall be eligible to be nominated or to continue as a Non-Official Member if he—

- (i) is not a citizen of India; or
- (ii) has a charge-sheet filed against in a Court of Law in a criminal case; or
- (iii) has been dismissed or removed from service or been compulsory retired from public employment on grounds of corruption or misconduct; or
- (iv) is of unsound mind; or
- (v) holds public office or is an office bearer of any political party or political organization.

(3) Non-Official Members shall be paid a sitting fee and traveling allowance and daily allowance at such rates as may be notified by the State Government.

(4) The District Police Complaints Authority shall meet as often as required, but at least once a month and the proceedings shall be open to the public and a record of the proceedings shall be kept.

96. The District Police Complaints Authority shall—

- (i) forward the complaints of criminal misconduct, received directly by it, to the State Police Complaints Authority for further action;
- (ii) forward the complaints of other misconduct received by it, made against Non-Gazetted Police Officers, to the District Superintendent of Police, Commandant of Battalion or other disciplinary authority, as the case may be;

Functions
of District
Police
Complaints
Authority.

-
- (iii) forward complaints containing allegations of other misconduct against any Gazetted Police Officer to the State Government, for further action, under intimation to the State Police Complaints Authority;
- (iv) monitor the status of departmental inquiries initiated on the basis of complaints of misconduct received by it against Non-Gazetted Police Officers, and obtain reports from the District Superintendent of Police, Commandant of Battalion, or other disciplinary authority, with such frequency as may be specified. The authority shall also monitor departmental inquiries against Non-Gazetted Police Officers initiated in the District on the orders of the State Police Complaints Authority;
- (v) issue appropriate advice to the disciplinary authority concerned, in cases where the original complaint was received by the District Police Complaints Authority, for expeditious completion of inquiry in any case, if, in the opinion of the District Police Complaints Authority, such an inquiry is getting unduly delayed;
- (vi) call for a report from the disciplinary authority, and issue appropriate advice for further action including, if necessary, a fresh inquiry by another officer, when a complainant, being dissatisfied by an inordinate delay in the process of departmental inquiry into his complaint of misconduct, brings such matter to the notice of the District Police Complaints Authority; and
- (vii) report to the State Police Complaints Authority cases where departmental inquiry into misconduct in respect of a Non-Gazetted Police Officer is not concluded in time by the Inquiry Officer concerned in spite of the advice of the District Police Complaints Authority to the disciplinary authority:

Provided that a District Police Complaints Authority may at any time, for reasons to be recorded in writing, and subject to the directions of the State Police Complaints Authority, decide not to take further action on a complaint of misconduct, if it appears that the complaint is incorrect in material particulars or vexatious or malicious, with the intention of impeding the exercise of lawful authority:

Provided further that in case of an intentionally false or vexatious or malicious complaint, the District Police Complaints Authority may recommend

to the State Police Complaints Authority, the imposition of a fine not exceeding twenty five thousand rupees as may be deemed appropriate in the circumstances of the case.

97. Each District Police Complaints Authority shall prepare and submit to the State Police Complaints Authority an annual report at the end of each calendar year, *inter alia*, containing—

Report of
the District
Police
Complaints
Authority.

- (i) the numbers and types of cases of “criminal misconduct” and “other misconduct” forwarded by it to the State Police Complaints Authority and the disciplinary authority respectively, during the year;
- (ii) the number and types of cases monitored by it during the year;
- (iii) the number and types of cases of “misconduct” referred to it by the complainants upon being dissatisfied by the departmental inquiry into their complaints; and cases in which advice was issued by it to the disciplinary authority for further action; and
- (iv) identifiable patterns of misconduct if any on the part of Police Officers in the District and recommendations on measures to enhance police accountability.

98. (1) A person may lodge his complaint relating to any misconduct including criminal misconduct on the part of any Police Officer either with the departmental Police authorities or with the State Police Complaints Authority or the District Police Complaints Authority.

Rights of
the
complainant.

(2) Where a person has lodged a complaint with the police authorities, he may inform the State Police Complaints Authority or the District Police Complaints Authority at any stage of the departmental inquiry about any undue delay in the process of enquiry.

(3) The complainant shall have the right to be informed of the progress of the inquiry from time to time by the inquiring authority and on completion of inquiry or departmental proceedings, the complainant shall be informed of the conclusions of the proceedings as well as the final action taken.

(4) The complainant may attend hearings in an inquiry concerning his case and after each hearing, the complainant shall be informed of the next date and place of the hearing.

(5) All hearings shall be conducted in Hindi (the Official Language) or in English, and a written transcript shall be provided to the complainant free of cost in Hindi or English, as the case may be, if the complainant is not able to understand the language in which the proceedings or a portion thereof is conducted.

Duty of the police and other state agencies.

99. (1) It shall be the duty of every Police Officer of the District Police and the State Police as well as any other agency concerned, to provide to the State Police Complaints Authority and the District Police Complaints Authority all information they may reasonably require to perform their duties.

(2) The authority which is required to implement a recommendation of the State or District Police Complaints Authority shall, if it is of the opinion that it is not expedient to implement such a recommendation, inform the State Government of the reasons as soon as possible, but not later than 30 days of receiving the recommendation.

Bar to interfere with the functioning of the State Police Complaints Authority or the District Police Complaints Authority.

100. (1) Whoever influences or interferes with the functioning of the State Police Complaints Authority or the District Police Complaints Authority, except in the course of lawful duty, shall, on conviction, be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to twenty five thousand rupees or with both:

Provided that any threat, coercion or inducement offered to any person to make a false, vexatious or malicious complaint, or to any witness or victim of police misconduct with the intention of misleading proceedings, shall be deemed to be interference with the functioning of the State Police Complaints Authority or the District Police Complaints Authority, as the case may be.

(2) The State Police Complaints Authority may, if it comes to the conclusion that a complaint of police misconduct is intentionally false or is vexatious or malafide, may impose a fine not exceeding twenty five thousand rupees:

Provided that no such orders shall be made without affording the affected party a reasonable opportunity of being heard.

Performance audit by State Bureau of Police Research and Development.

101. (1) The State Police Board or the State Government may require the State Bureau of Police Research and Development to arrange the conduct of a performance audit of police functioning or studies on various aspects of police performance, or conduct of various kinds of surveys including public opinion surveys and make its recommendations on improving the quality of policing or on new policing requirements in a changing scenario.

(2) The Report of the Bureau shall be placed before the State Police Board by the Director-General of Police along with his comments for a decision on the recommendations.

102. No suit or other legal proceeding shall lie against the State Government, the State Police Board, its members and staff, the State and District Police Complaints Authority, its members, its Investigators, staff or any person in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act or the rules made thereunder.

Protection
of action
taken in
good faith.

103. The State Government shall ensure that adequate funds are provided to the State Police Complaints Authority and the District Police Complaints Authorities for the effective performance of their functions. The Police shall not provide any material or human resources to the State or the District Police Complaints Authorities other than in accordance with the general or specific directions of the State Government.

Funding.

CHAPTER-XIII

WELFARE AND GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM

104. The State Government shall formulate policies in order to ensure adequate promotional avenues to meritorious Police Officers of all ranks.

Career
Progression.

105. (1) There shall be a Police Welfare Committee, headed by an officer not below the rank of Inspector-General of Police, in the office of the Director-General of Police to assist him in implementing welfare measures for Police Officers and their families.

Welfare
Committee.

(2) The Committee shall comprise of representatives of all police ranks and may also have other members in an advisory capacity. The members of the Committee shall be nominated by the Director-General of Police.

(3) The functions and activities of the Police Welfare Committee shall, *inter alia* include: health care (including post-retirement health care), post-retirement/ post-death financial assistance, group housing, education and sports activities, and career counseling of family members of Police Officers, training of family members in entrepreneurial work/self-employment and generation of employment opportunities and legal assistance to Police Officers facing proceedings in matters relating to bonafide discharge of duty.

(4) The Director-General of Police shall constitute funds as may be necessary for the welfare of Police Officers and their families with the prior approval of the State Government which may provide matching grants as well as outright grants.

(5) The State Government shall prescribe the modalities for the smooth functioning of the Committee and subject to the rules, the Director-General of Police may make regulations to regulate its day-to-day functioning.

Insurance
coverage,
hospitals
etc.

106. (1) State Government shall evolve a scheme for adequate insurance coverage for all Police Officers against any injury, disability or death in the course of performance of their duty.

(2) The Police Officers engaged in specialized wings such as bomb disposal squad, Commando Groups etc. shall be paid risk allowance commensurate with the possible risks involved in performing these duties.

(3) Appropriate medical facilities shall be established at Battalion headquarters and such other locations as may be deemed necessary for general treatment to enable Police Officers to maintain the required standards of health and physical fitness.

(4) Facilities for psychological counseling, in order to cope with professional stresses, shall be given due attention in the Police Stations, Battalions and other Police establishments.

Grievance
Redressal.

107. (1) There shall be Police Grievances Committees at the District, Battalion, Range and Headquarters level which shall be headed by the Superintendent, Commandant, Deputy Inspector-General and an officer not below the rank of Additional Director-General respectively, and there shall be two other Gazetted Police Officers in each Committee, nominated by the Director-General of Police:

Provided that the two Gazetted Police Officers nominated to the Headquarters Committee shall be of at least the rank of Inspector-General

(2) Representations by the Non-Gazetted Police Officers Grade-II shall be made in writing to the District or Battalion Committee, as the case may be.

(3) Representations by the Non-Gazetted Police Officer Grade-I shall be made in writing to the Deputy Inspector-General of the Range or the Special Unit, as the case may be.

(4) Representations by Gazetted Police Officers shall be made to a Headquarters Committee which shall also hear appeals against decisions of the District, Battalion and Range Committees:

Provided that in all cases where the representation requires to be considered at the Government level, the Director-General of Police, instead of referring the matter to the Headquarters Committee, shall forward the representation to the State Government.

(5) All representations and appeals must be decided within 30 days and a summary statement of the cases decided after 30 days as well a list of cases over 30 days old and still pending with the facts of each case and reasons for delay, shall be reported by the Director-General of Police to the State Police Board, which may issue appropriate directions.

(6) An analysis of the grievances, their causes and impact on the morale and efficiency of Police Service shall be carried out annually and shall be included in the Annual Report of the State Police Board.

108. (1) The State Government shall take effective steps to ensure that the average hours of duty of a police officer do not exceed eight hours a day: Working hours.

Provided that for exceptional reasons, the duty hours of a Police Officer may extend up to 12 hours and in that event adequate compensation and facilities shall be provided to the Police Officer.

(2) The State Government shall ensure that at least one weekly day off is provided to all Police Officers.

CHAPTER-XIV

OFFENCES, PENALTIES AND POWERS

109. (1) It shall be duty of every person intending to form a procession or convene or collect an assembly in any road, street or thoroughfare, to give intimation in writing at least 24 hours in advance, to the officer-in-charge of the Police Station having jurisdiction or the Sub-Divisional Police Officer or the District Superintendent of Police. Regulation of public assemblies and processions.

(2) The District Superintendent of Police, or a Police Officer not below the rank of Sub-Inspector authorized by him by general or special order, on being satisfied that such an assembly or procession would, if uncontrolled or unregulated, be likely to cause a breach of peace, may impose necessary restrictions and conditions including making provisions for satisfactory regulatory arrangements in compliance of which such assembly or procession may take place.

(3) The District Superintendent of Police or a Police Officer not below the rank of Sub-Inspector authorized by him by general or special order, may, where necessary, direct the conduct of assemblies and processions on the public roads, or in the public streets or thoroughfares, and specify the routes and times for such processions to pass.

Assemblies and processions violating prescribed conditions.

110. A Magistrate or any Gazetted Police Officer or the officer-in-charge of a Police Station, as the case may, shall have the powers to stop any assembly or procession which has been convened or organized in contravention of the provisions of section 109 of this Act, and order such assembly or procession to disperse and such assembly shall be deemed to be an “unauthorized assembly”.

Directions to keep order on public roads.

111. A Magistrate or the District Superintendent of Police, or any other Police Officer not below the rank of Sub-Inspector authorized by him by a general or special order, may give reasonable directions to the public to keep order on public roads and streets, thoroughfares, *ghats*, landing-places, railway stations, airports and any other public places, in order to prevent obstruction, injury, harm, health hazard, or annoyance to the public, or damage to property.

Power to reserve public places and erect barriers.

112. (1) A Magistrate or the Superintendent of Police of the District or any other Police Officer not below the rank of Sub-Inspector authorized by him by a general or special order may, for any public purpose, by public notice, temporarily reserve any street or other public place and prohibit persons from entering the area so reserved, except on such conditions as may be specified in the notice.

(2) The Superintendent of Police of the District may authorize any Police Officer under his control to erect or cause to be erected, barriers on any public road temporarily reserved for any public purpose, and make such orders as deemed fit for regulating the use of such barriers and specify all necessary steps to be taken for safety of the public.

113. The officer-in-charge of a Police Station or a Police Sub-Division may, by order in writing, regulate the time and the volume of music, sounds, performances, displays, broadcasts and other similar activities in or near streets and public places to prevent annoyance to the residents of the neighborhood.

Regulation of the use of music and other sound systems in and near public places.

114. (1) It shall be lawful for any Police Officer in uniform to take into custody, without warrant, any person who within his personal view, has committed any of the following offences on any road, public place or thoroughfare causing obstruction, annoyance, risk, danger or damage to residents or passersby, namely :—

Powers of Police Officers in respect of certain offences on roads or public places.

- (i) slaughters or wantonly commits cruelty to any animal; or
- (ii) drives or rides furiously any cattle or horses; or
- (iii) obstructs the taking up or setting down of passengers at a public transport halting place; or
- (iv) exposes any good for sale; or
- (v) is found drunk and incapable or riotous; or
- (vi) indecently exposes himself, urinates or defecates in a public place or in public view; or
- (vii) unauthorizedly affixes any bill, notice or other paper to, or defaces, any property belonging to the State or Central Government or any public authority; or
- (viii) commits willful trespass into any property belonging to the State or Central Government or any public authority; or
- (ix) willfully damages any public alarm or any other public emergency assistance system; or
- (x) harasses or stalks a woman or makes indecent advances or makes obscene remarks or gestures to a woman; or
- (xi) begs or seeks alms.

(2) Any person, so arrested, if not immediately released on bail, shall be produced as soon as possible, but not later than 24 hours, before the nearest Judicial Magistrate having jurisdiction.

Penalty for disobeying orders or directions.

115. (1) Whoever contravenes the provisions of sections 64, 109, 110, 111, 112 or 113 of this Act, may be arrested without a warrant by or on the directions of a Police Officer in uniform not below the rank of Assistant Sub-Inspector and shall, on conviction, be punishable with imprisonment for a term which may extend to eight days or with fine which may extend to five thousand rupees or with both:

Provided that any person, so arrested, may compound the offence by pleading guilty before a Police Officer not below the rank of Sub-Inspector and such Police Officer may accept from such person a compounding fee as may be prescribed but not exceeding the amount of the fine, and on payment of such compounding fee, the person, if in custody, shall be released forthwith and no further proceeding shall be taken against him.

(2) Whoever contravenes the provisions of section 114 of this Act shall on conviction, be punishable with simple imprisonment that may extend to eight days or with fine which may extend to five thousand rupees or both:

Provided that any person so arrested may compound the offence by pleading guilty before a Magistrate or a Police Officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police and such Magistrate or Police Officer may accept from such person a compounding fee prescribed, not exceeding the amount of the fine and on payment of such compounding fee, the person if in custody shall be released forthwith, and no further proceeding shall be taken against him.

Saving of control of Magistrate of the District.

116. Notwithstanding anything contained in this Chapter, nothing shall be deemed to have interfered with the general control of the Magistrates of the District on the matters assigned to them under any law for the time being in force.

Police Officers to take charge of unclaimed property.

117. (1) A Police Officer on duty shall take in custody all unclaimed property in such manner as may be prescribed.

(2) Unclaimed property taken in custody, shall, with the approval of the District Superintendent of Police or Sub-Divisional Police Officer, be disposed off in such manner as may be prescribed, and proceeds shall be deposited into the Government Treasury after deducting the cost of transportation, storage and disposal of the property.

(3) The Director-General of Police may, by regulations, fix the time limit having regard to the nature of the article, after which unclaimed property may be disposed off.

118. Any person who obstructs the discharge of lawful duties and functions of a Police Officer may be arrested without a warrant and shall, on conviction, be punishable with simple imprisonment not exceeding three months or with fine not exceeding five thousand rupees or with both.

Obstruction
in Police
work.

119. Whoever, not being a member of the State Police, wears the uniform of the State Police or any dress having the appearance or bearing any of the distinctive marks of that uniform, shall, on conviction, be punishable with simple imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to five thousand rupees.

Unauthorised
use of
police
uniform.

120. Whoever, having ceased to be a Police Officer, does not forthwith and in any case not later than 7 days, surrender his certificate of appointment, clothing, accoutrements and other items supplied for the discharge of his duties, shall, on conviction, be punishable with fine which may extend to five thousand rupees.

Refusal to
surrender
certificate
etc. on
ceasing to
be a Police
Officer.

121. Whoever knowingly makes a false statement or a statement which is misleading in material particulars to a Police Officer for the purpose of obtaining undue benefit or for the purpose of causing intentional harm to any person shall, on conviction, be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to five thousand rupees.

Making a
false or
misleading
statement.

122. Whoever, being a Police Officer—

- (i) without lawful authority or reasonable cause enters or searches, or causes to be entered or searched, any building, vessel, tent or place; or
- (ii) unlawfully or without reasonable cause seizes the property of any person; or
- (iii) unlawfully or without reasonable cause detains, searches, or arrests a person; or
- (iv) unlawfully or without reasonable cause delays the production of any person arrested or detained to a Magistrate or to any other authority to whom he is legally bound to produce such person; or

Arrest,
search,
seizure and
violence.

- (v) commits sexual harassment either while on duty or otherwise by misusing his authority as a Police Officer; or,
- (vi) subjects any person in his custody or with whom he may come into contact in the course of duty, to torture or to any kind of unlawful personal violence; or
- (vii) holds out any threat not warranted by law;

shall, on conviction, be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both.

Plea that act was done under warrant.

123. (1) When any action or prosecution is brought or any proceeding held against any Police Officer, for any act done by him in such capacity, it shall be lawful for him to plead that such act was done by him under the authority of a warrant issued by a Magistrate.

(2) Such plea shall be proved by the production of the warrant directing the act, and purporting to be signed by such Magistrate and the defendant shall, thereupon, be entitled to a decree in his favour, notwithstanding any defect to jurisdiction in such Magistrate. No proof of the signature of such Magistrate shall be necessary, unless the Court shall see reason to doubt it's being genuine:

Provided always that any remedy that the party may have against the authority issuing such warrant shall not be affected by anything contained in this section.

Prosecution of Police Officers.

124. (1) No court shall take cognizance of any offence under this Act, when the accused person is a Police Officer, except on a report in writing, of the appointing or disciplinary authority.

(2) No court below that of a Judicial Magistrate of the First Class shall try any offence under this Act, when any of the accused persons is a Police Officer.

(3) No suit or legal proceedings shall lie against a Police Officer for any act or omission done in good faith in the bona-fide discharge of his duties.

125. Subject to the provisions contained in section 300 of the Code of Criminal Procedure, 1973, nothing in this Act shall be construed as preventing any person from being prosecuted and punished under any other law for anything made punishable under this Act.

Prosecution for offences under other laws.

126. (1) Any Court taking cognizance of an offence punishable under sections 64,109,110,111,112,113, or 114 of this Act, may state upon the summons to be served on the accused person that he may, by a specified date prior to the hearing of the charge, plead guilty to the charge by registered post, and remit to the court such sum not exceeding five thousand rupees as may be specified in the summons.

Summary disposal of certain cases.

(2) Where an accused person pleads guilty and remits the sum specified in the summons, no further proceedings shall be taken against him in respect of that offence.

127. Provisions of sections 64 to 70 of the Indian Penal Code and sections 421 to 425 of the Code of Criminal Procedure, 1973, shall apply to penalties, fines or any other sum payable under this Act.

Recovery of penalties and fines.

128. No court shall take cognizance of any offence under this Chapter after the expiry of the period of limitation provided for in section 468 of the Code of Criminal Procedure, 1973, and for the purpose of computation of the limitation, provisions of Chapter XXXVI of the Code shall apply.

Limitation.

129. (1) All general directions, regulations, or public notices issued under this Chapter shall be published in the office of the concerned District Magistrate, Sub-Divisional Magistrate, Sub-Divisional Police Officer, Police Station, Panchayats having jurisdiction and in the locality affected thereby, by affixing copies thereof in conspicuous places near to the building, structure, work or place, as the case may be, to which the same specially relates or by advertising the same in such local newspapers, and other media including official websites as may be prescribed by the Director-General of Police by Standing Orders.

Procedure for publishing directions and public notices.

(2) If any direction or order made under this section relates to any matter with respect to which there is a provision in any other law, rule or byelaw of the Municipal Corporation or municipalities or local authorities in relation to public health, convenience or safety of the locality, such direction or order shall be subject to such law, rule or byelaw.

MISCELLANEOUS

Disposal of
fees and
rewards.

130. (1) With effect from such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette appoint, there shall be established for the purposes of this Act a fund to be called the "Himachal Pradesh Police Fund".

(2) The fund shall be under the control of the State Government and there shall be credited to the fund any sums of money as may be provided by the State Government for carrying out the purpose of this Act, and the balance to the credit of the fund shall not lapse at the end of the financial year.

(3) The Director-General of Police shall maintain proper accounts of the fund and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such manner as may be prescribed.

(4) The fund shall be used for the objects and purposes connected with better policing under this Act.

(5) The fund shall be administered by the Director-General of Police in accordance with regulations made under this Act.

(6) Proceeds of all fines and fees paid for licenses or written permissions issued under this Act, and all sums paid for the service of processes by Police Officers and all rewards paid by private persons, forfeitures and penalties or shares thereof, which are by law payable to Police Officers as informers, shall, save in so far as any such fees or sums belong, under the provisions of any enactment if in force, to any local authority, be credited to the Consolidated Fund of the State and shall be appropriated, if the State Legislature by law so provides, to the fund in such manner as may be prescribed, for being utilized exclusively for the purpose of this Act.

(7) The fund shall be audited by the Examiner, Local Audit Department, Himachal Pradesh.

Method of
proving
orders and
notifications.

131. Publication of any order or notification issued under any of the provisions of this Act, may be proved by the production of a copy of the Official Gazette in which the same is published, or a certified true copy of the original signed by such Magistrate or officer.

132. No rules, regulations, orders, directions, or notifications made or published and no adjudication, inquiry or act done under any of the provisions of this Act or the rules made thereunder, which is substantially in consonance with the same, shall be deemed to be illegal, void or invalid by reason of any defect of form.

Validity of rules and orders.

133. Whenever the office of a Magistrate or Police Officer falls vacant by any reason, the officer holding charge of the post of such Magistrate, or Police Officer whether temporarily or permanently, shall be competent to exercise all the powers and perform all the duties as are conferred or cast on such officer under this Act.

Officers holding charge of succeeding to vacancies competent to exercise powers.

134. (1) Any license or written permission granted under the provisions of this Act, shall specify the period, locality and the conditions and restrictions subject to which the same is granted and shall be given under the signature of the competent authority and shall be subject to payment of such fee as may be prescribed.

Licenses and written permissions to specify conditions.

(2) Every person to whom such license or written permission has been granted, shall, while it remains in force, produce the same at all reasonable times, if so required by a Magistrate or a Police Officer.

135. (1) Any license or written permission granted under this Act, may at any time, be suspended or revoked by the competent authority, if any of its conditions or restrictions are violated, or if the person to whom it has been granted is convicted of any offence relating to such permission.

Revocation of licences and its consequences.

(2) When any such license or written permission is suspended or revoked, or has expired, the person to whom such licence or written permission was granted shall be deemed to be without a license or written permission until the order for suspending or revoking the same is cancelled or the licence is renewed, as the case may be.

Explanation.—For the purpose of this section any such violation by a servant or agent acting on behalf of the person to whom the license or written permission has been granted, shall be deemed to be a violation by the person to whom such license or written permission has been granted.

Public notices how to be given.

136. Any public notice required to be given under any of the provisions of this Act shall be in writing under the signature of a competent authority and shall be published in the locality to be affected thereby, by affixing copies thereof in conspicuous public places, or by proclamation in public places using loudspeakers or other means, or by advertising the same in such local newspapers in English, or Hindi, as the said authority may deem fit.

Consent of a Competent authority may be proved by written document under his signature.

137. Whenever under this Act, the doing or the omitting to do anything or the validity of anything depends upon the consent, approval, declaration, opinion or satisfaction of a competent authority, a written document signed by that competent authority purporting to convey or set forth such consent, approval, declaration, opinion or satisfaction shall be sufficient evidence thereof.

Signature on notices may be stamped.

138. Every license, written permission, notice, or other document, not being a summons or warrant or search warrant, required by this Act, or the rule made thereunder, shall bear the signature of the competent authority and shall be deemed to be properly signed, if it has been authorized for issue by him and bears the facsimile of his signature stamped thereon.

Power to remove difficulty.

139. If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of this Act, the State Government may by order do anything, not inconsistent with the provisions thereof, which appears to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty and every order so made under this section shall be laid on the Table of the State Legislature:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of two years from the commencement of this Act.

Persons aggrieved may apply to State Government to annul, reverse or alter any rule or order.

140. Any person adversely affected by any rule or order made by the State Government, under an authority conferred by this Act requiring the public or a particular class of persons to perform certain duties or functions, or to conduct themselves or those under their control in a manner described therein may make a representation to State Government to annul, reverse or alter the said rule or order.

Power to make rules.

141. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette and after previous publication, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly, while it is in session for a total period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the Assembly makes any modification in the rule or decides that the rules should not be made, the rule shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

142. The Director-General of Police may, with the previous approval of the State Government and subject to the rules made under section 141 of this Act, by notification published in the Official Gazette, make regulations to carry out the purposes of this Act.

Power to make regulations.

143. (1) The Director-General of Police may, subject to the rules and the regulations made under this Act, issue standing orders to carry out the purposes of this Act.

Power to issue standing orders.

(2) Subject to sub-section (1), the Inspector-General, the Deputy Inspector-General, the District Superintendent of Police and Commandant of a Battalion may, with the previous approval of the authority to whom they are directly subordinate and subject to the rules and the regulations made under this Act, issue standing instructions within their respective jurisdiction to carry out the purposes of this Act.

144. (1) The Police Act, 1861 (hereinafter called the 'said Act') as in force by virtue of section 88 of the Punjab Re-Organization Act, 1966 (Act No. 31 of 1966) in the areas added to Himachal Pradesh under section 5 thereof and as applied to the areas which comprised in Himachal Pradesh immediately before the 1st day of November, 1966 by virtue of the Himachal Pradesh (Application of Laws) Order, 1948 and the Bilaspur (Application of laws) Order, 1949, is hereby repealed, in its application to the State of Himachal Pradesh.

Repeal and savings.

(2) Without prejudice to the provisions contained in the Himachal Pradesh General Clauses Act, 1968 with respect to repeals, any notification, rule, order, registration, appointment, certificate, notice, decision, direction, approval, authorization, consent, application, request or thing made, issued, given or done under the said Act, shall, if in force at the commencement of this Act, continue to be in force and have effect as if made, issued, given or done under the corresponding provisions of this Act.

(3) All references in any enactment to any provision of the said Act shall be construed as a reference to the corresponding provisions of this Act.

(4) The Punjab Police Rules, 1934 as applicable to the State of Himachal Pradesh shall, except to the extent that a provision may be inconsistent with the provisions of this Act, continue to be in force and shall have effect as if made under the corresponding provisions of this Act.

Repeal of
H.P.
Ordinance
No. 1 of
2007 and
savings.

145. (1) The Himachal Pradesh Police Ordinance, 2007 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

SCHEDULE-I*(See sections 24 and 35)*

Oath or affirmation on first appointment

“I, _____, having been appointed as a Police Officer of Himachal Pradesh do swear in the name of God/ solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgement perform the duties of my office without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws”.

SCHEDULE-II

(See Sections 25 and 36)

Certificate of Appointment

*

State/District Enrolment Number:-

“ _____has been appointed as a Civil/ Armed * Non-Gazetted Police Officer Grade-I/II* of the Police Service of the Government of Himachal Pradesh under the provisions of the Himachal Pradesh Police Act, 2007, and is vested with the powers, functions and privileges as well as the duties and responsibilities of a Civil/ Armed * Police Officer under the said Act”

* delete the inapplicable

Place :

Date :

Name & designation of
Appointing Authority

विधि विभाग**अधिसूचना****शिमला-2, 25 सितम्बर, 2007**

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6).-2 / 2007.-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 21-09-2007 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2007 (2007 का विधेयक संख्यांक 3) को वर्ष 2007 के अधिनियम संख्यांक 16 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,

(जे0 एन0 बारोवालिया),

प्रधान सचिव ।

हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 2007

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 21 सितम्बर, 2007 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2003 (2003 का 13) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 2007 है ।

(2) यह तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होगा ।

धारा 2 का संशोधन। **2.** हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2003 की धारा 2 के खण्ड (क) में "31 जुलाई, 2006 को अनुज्ञेय भत्ते" 2003 का 13 अंकों, शब्दों, और चिन्ह के पश्चात् "या समान या समरूप वेतनमानों में, राज्य के भीतर अनुज्ञेय ऐसे अन्य भत्ते (अखिल भारतीय सेवा नियमों के अधीन से अन्यथा), जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं," शब्द और चिन्ह जोड़े जाएंगे।

**THE HIMACHAL PRADESH JUDICIAL OFFICERS (PAY, ALLOWANCES AND
CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT ACT, 2007**

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 21ST SEPTEMBER, 2007)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay, Allowances and Conditions of Service) Act, 2003 (Act No. 13 of 2003).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows:—

- (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay, Allowances and Conditions of Service) Amendment Act, 2007. Short title
and
commence-
ment.
- (2) It shall come into force with immediate effect.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay, Allowances and Conditions of Service) Act, 2003 in clause (a), after the words, figures and signs "on 31st July, 2006", "the words and signs" "or such other allowances admissible within the State (other than under All India Service Rules), in identical or similar scales or pay, as may be notified from time time by the State Government" shall be added. Amend-
ment of
section 2.

